चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष - 2017

गाँधी का चम्पारण : चम्पारण का गाँधी

सर्वेक्षण के आईने में

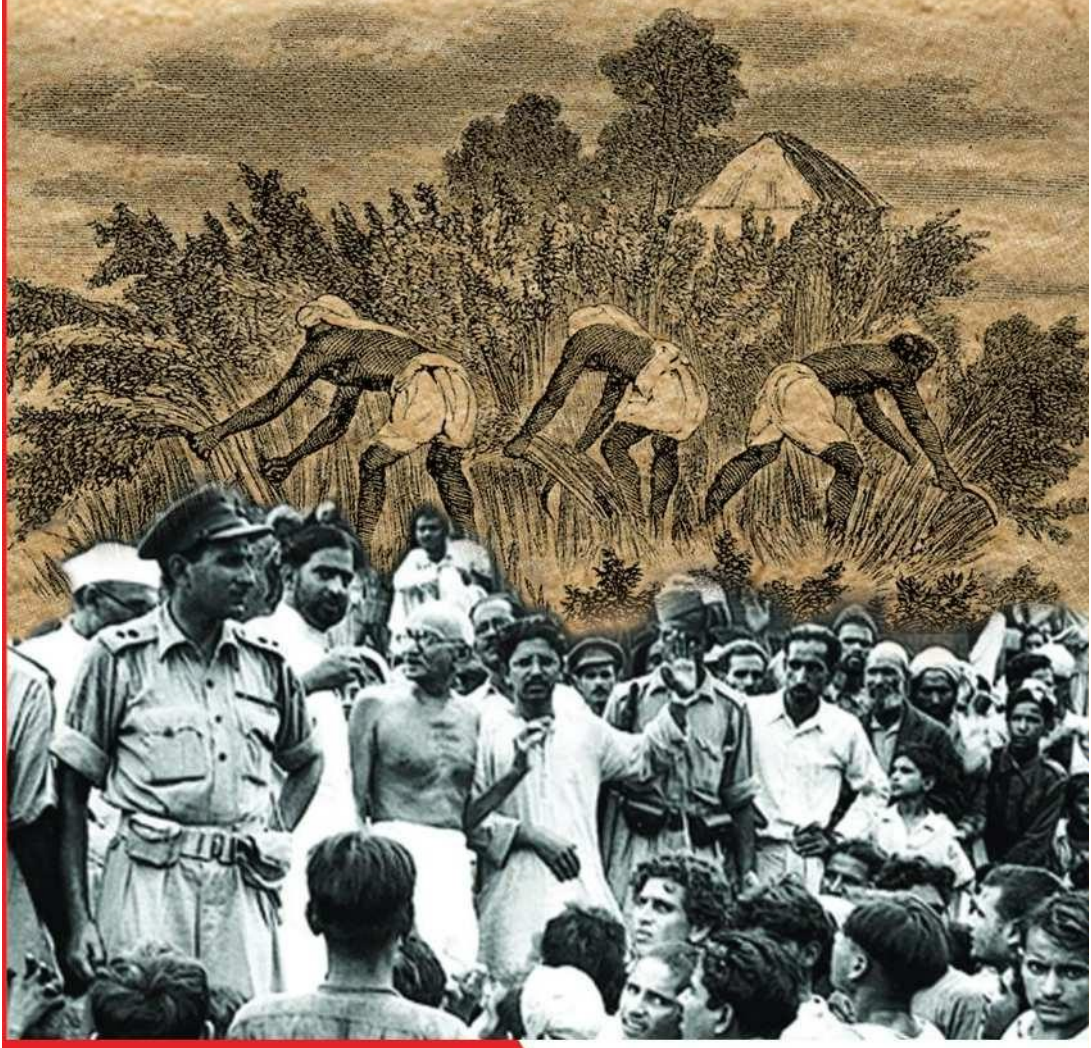

actionaid

संवाद SAMVAD

चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष - 2017

गाँधी का चंपारण : चंपारण का गांधी

सर्वेक्षण के आईने में

संवाद
उर्मिला इन्कलेव, पीस रोड
लालपुर, रांची - 834001

प्रकाशन वर्ष : 2018
प्रति : 500
प्रकाशक : संवाद उर्मिला इन्कलेव, पीस रोड, लालपुर, रांची
अध्ययन एवं प्रकाशन सहयोग : एक्शनएड, पटना
मुद्रक : अग्रवाल प्रेस, रांची

निवेदन

गाँधी का चंपारण : चंपारण का गांधी

डॉ. राममनोहर लोहिया की अध्यक्षता वाली 'चम्पारण फार्म जांच आयोग' (1950) के अनुसार गांधीजी के चम्पारण छोड़ने (1918) के बाद लगभग ढाई लाख एकड़ भूमि रैयतों के हाथ से निकलकर सूदखोंरो, चीनी मिलों तथा भूस्वामियों के पास चली गई।

वर्ष 1917 में यानी सौ साल पहले चंपारण में नील की कोठियों के अंग्रेज साहबों के दो दर्जन अहवाबों (टैक्सों) से दबे और उनकी मनमानियों के शिकार 8000 किसानों ने गाँधी जी और उनके सहयोगियों के सामने बयान दर्ज कराया था।

उक्त दो प्रामाणिक तथ्यों के बीच एक छोटा-सा सवाल है, जो पिछले 67 सालों से जवाब चाहता है। आज उस सवाल को सूत्रबद्ध करें तो वह इस प्रकार होगा - सौ वर्ष पहले जिन किसानों ने निर्भय होकर अंग्रेज कोठी वालों के खिलाफ अपने बयान दिये थे, आज उनके वंशज कहां है? कैसे हैं- उनकी हालत और उनके जीवन के हालात कैसे हैं? उनकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति क्या है और कैसी है?

पूर्वजों के उन बयानों के आधार पर ही तो 'चंपारण कृषक जांच समिति' का गठन हुआ था। जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर 'विधेयक' बना, पारित हुआ कानून बना और चंपारण के किसानों के लिए 'निलहों' से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ था। पूर्वजों द्वारा दिये गए बयानों के आधार पर वंशजों से यह पूछें तो कि

- क्या उनके पूर्वज किसान थे? बटाईदार थे? या गोरे निलहे या देशी जमींदार या किसी रैयत के यहां काम करने वाले खेतिहर मजदूर थे?

- वर्ष 1917 में पुरखों के पास कितनी भूमि थी, और आज उनके वंशजों के पास कितनी है?
- आज चम्पारण में खेती-किसानी से जुड़े भूमिहीनों की संख्या हजारों-लाखों में है। उनमें आज ऐसे लोग भी हजारों की संख्या में हैं, जिन्हें 'सरकार' की ओर से जमीन के लिए-खेती के लिए और वास के लिए सरकार की ओर से पर्चे मिले हैं। कुछ लोगों को पर्चे की जमीन पर दखल-कब्जा है। लेकिन हजारों ऐसे हैं जो जमीन से वंचित है। वे पर्चाधारी भूमिहीन कहलाते हैं। वे बरसों से पर्चे लिए अपने जीने के अधिकार के लिए याचक बने हुए हैं- असहाय से। क्या उनमें से भी कोई उन पूर्वजों के वंशज हैं, जिन्होंने सौ साल पहले अंग्रेज सरकार के खिलाफ बगावत की थी?

वर्ष 2017 चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष है। और, यह भी सर्वविदित है कि वर्ष 2019 में महात्मा गांधी के जन्म के 150 वर्ष पूरे होंगे। वर्ष 2017 के अप्रैल से वर्ष 2019 के अक्टूबर तक की अवधि है करीब ढाई वर्ष। इस अवधि ने हमें एक अवसर दिया है : (1) वर्तमान के सन्दर्भ में 'इतिहास को जानने-पहचाने का और (2) 'इतिहास' के परिप्रेक्ष्य में 'वर्तमान' का आकलन-विश्लेषण का।

और संक्षेप में कहें, तो हमारे देश के अतीत, वर्तमान और भविष्य से जुड़े तीन शब्द - 'चंपारण', 'गांधी' और 'सत्याग्रह' - से जुड़ा यह अवसर है : 'चम्पारण के गाँधी' और 'गाँधी के चम्पारण' को जानने-समझने-पहचानने का।

चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष में 'सर्वेक्षण' के आईने में चंपारण-सत्याग्रह को समझने-परखने से संबंधित प्रस्तुत रिपोर्ट के प्रकाशन का मकसद यह है कि –

(क) पिछले 100 वर्षो में विशेषकर 1918 के बाद से लेकर 1950 तक किसानों के हाथ से जमीन निकल कर चीनी मिलों और बड़े भूपतियों तक क्यों और कैसे पहुंची - इस रहस्य का खुलासा हो।

(ख) चम्पारण में जमीन की लूट की कहानियां प्रचलित हैं। शोध-सर्वेक्षण के जरिये प्राप्त तथ्यों-आंकड़ों से ऐसे ठोस नतीजे रेखांकित हों जो समाज तथा शासन का ध्यान आकृष्ट कर सकें।

(ग) ठोस तथ्यों-आंकड़ों और सूचनाओं के जरिये चंपारण में भूमि और खेती की अद्यतन स्थिति समझी जा सके। आज भी संघर्ष-सत्याग्रह के लिए उत्तेजित-प्रेरित भूमिहीन और पर्चाधारी किसान-मजदूर भी अपनी भूमिहीनता और बदहाली के कारणों को जानें-समझें, ताकि वे गत सौ वर्षो में बड़े पैमाने पर हुए भूमि-हस्तांतरण के खिलाफ न्याय की मांग तेज कर सकें।

(घ) सौ साल पहले बयान देने वाले पीड़ित लेकिन संघर्ष के लिए निकले निर्भय किसान परिवारों के वंशजों ने पिछले 100 वर्षों में क्या खोया व क्या पाया?

1917 में अनेक ऐसे किसानों ने बयान दिया था जिनकी रैयती जमीन अंग्रेज कोठी वालों ने छल से ले ली थी। क्या उन पूर्वजों के वंशज में भी कोई आज भूमिहीन या पर्चाधारी है? यह सब जानने-समझने से वह इतिहास परत दर परत खुलेगा, जो चंपारण की 'स्मृतियों' में जिंदा 'गांधी, उनके 'सत्याग्रह' की संकल्पना-स्ट्रैटजी की सफलता-विफलता और प्रासंगिकता आदि से जुड़ा है। और, यह सिर्फ चंपारण या बिहार के नहीं, बल्कि पूरे देश के किसानों के लिए प्रासंगिक हो सकता है। खास कर कपास जैसे कैश क्रॉप से जुड़े कर्ज और घाटे की खेती के कारण जिन किसानों की जान सांसत में है और जो आत्महत्या की अटूट कतार में खड़े रहने को मजबूर हैं! (सौ साल पहले चंपारण में 'नील' कैश क्रॉप था न!)

सौ साल पहले जिस चंपारण ने देश को आजादी की नयी राह दिखाई थी, वह आज आजाद देश की विकास-यात्रा की राह में कितना आगे बढ़ा या कितना पीछे रह गया? अतीत और वर्तमान के शोध-अध्ययन-सर्वेक्षण की यह पुनर्यात्रा भावी चिन्तन और योजनाओं के लिए "आधारपाठ" साबित हो सकती है।

– अध्ययन दल

भूमिका

प्रथम प्रयोग : अंतिम परिणाम

देश में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग था 'चम्पारण सत्याग्रह'।

उसकी नीति-रणनीति, पद्धति, प्रक्रिया और परिणाम के संदर्भ में अब तक जो अध्ययन हुए हैं वे इस मायने में आंशिक कहे जाएंगे कि इनके आधार पर (इनके आशय को निकष या कसौटी मानकर) 'चम्पारण सत्याग्रह' और दक्षिण अफ्रीका में गांधी द्वारा सत्याग्रह शास्त्र के आविष्कार एवं प्रथम प्रयोग के बीच के संबंध के साथ फर्क की - फर्क के भौगोलिक सहित सामाजिक-सांस्कृतिक-राजनीतिक कारणों की - समग्र पहचान करना आज भी मुश्किल जान पड़ता है।

ये अध्ययन इस मायने में भी अधूरे दीखते हैं कि इनके जरिये चम्पारण सत्याग्रह के बाद स्वयं गांधी के नेतृत्व में हुए नमक सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह, अगस्त क्रांति को - उनकी सफलता, विफलता और प्रभाव को – चम्पारण-प्रयोग के विविध सोपानों या विविध अभ्यास के रूप में रेखांकित किया जाना संभव नहीं दिखता। 1917 के बाद तेजी से बदली राजनीतिक परिस्थितियों में 1920-22 से 1942 के बीच हुए उन विविध संघर्षों की अंत:सूत्रता की पहचान भी मुश्किल है।

हालाकि ऐसे कुछ अध्ययन हुए हैं, लेकिन उनमें विविध संघर्षों के अंतरसंबंधों के मुख्य सूत्र के रूप में 'गांधी' के नेतृत्व के महत्व की पहचान और व्याख्या प्रस्तुत की गयी है। यह उन अध्ययनों का मुख्य उद्देश्य भी रहा होगा और मर्यादा भी कि उनमें गांधी के जीवन-दर्शन को मुख्य अंत:सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया, लेकिन उस 'सत्याग्रह-दर्शन' को रेखांकित नहीं किया गया, जिसे उन संघर्षों में शामिल राजनीतिक खिलाड़ियों एवं आम दर्शकों (आम से लेकर अंतिम जन तक) ने समझा, ग्रहण किया।

'चंपारण-सत्याग्रह' की प्रक्रिया, गति और उससे संभावित परिवर्तन और सफलता में 'कानून' और 'राज्य' के हस्तक्षेप - विरोध और सहयोग – का कितना हाथ था?

चम्पारण भारत के भूगोल का सिर्फ अंश नहीं, बल्कि भारतीय राष्ट्र की समस्त आर्थिक-सामाजिक-राजनीतिक-सांस्कृतिक (यथार्थ एवं कल्पना) का हिस्सा है। इसे दृष्टिगत रखते हुए गांधी-युग में चम्पारण का अपने अतीत से मुठभेढ़ एवं आंतरिक द्वंद्व, सत्याग्रह में शामिल होकर अपने आपको बदलने की तैयारी और उसकी ऐतिहासिक भूमिका आदि से संबंधित सामग्री कहीं है? कहीं न कहीं है – होगी ही। लेकिन सौ साल बाद भी उनकी खोज, छानबीन, और प्रकाशन के प्रति कायम उपेक्षापूर्ण उदासीनता क्या चंपारण-सत्याग्रह की प्रासंगिकता की सीमा है?

गांधी के सहकर्मियों में बहुत कम ही लोग आज जीवित हैं। चम्पारण सत्याग्रह में शामिल उन सहकर्मियों के परिवारों के ऐसे सदस्य जो गांधी-युग में बच्चे थे और बाद में उनके विचारों से अनुप्राणित सामाजिक-राजनीतिक आंदोलनों में सक्रिय रहे और आज भी ऐसे कार्यों में वैचारिक या नैतिक स्तर पर या नेतृत्व के स्तर पर हस्तक्षेप करते हैं, ऐसे लोगों की संख्या भी अब सार्वजनिक जीवन में कम है। चम्पारण में भी गांधी के सत्याग्रह के दौर में जो लोग बच्चे थे और आज जीवित हैं, वे वयोवृद्ध हो चुके होंगे। उनसे या उनके बच्चों (जो अब वयस्क हैं) से सम्पर्क-सम्वाद के जरिये 'सत्याग्रह' के गांधी-रूट मैप की जानकारियां (जो कथा-कहानियों, घटनाओं, किवदंतियों के रूप में भी हैं) प्राप्त की जा सकती हैं। उन अनुभवों - मौखिक इतिहास - की कसौटी पर 'गांधी' एवं 'सत्याग्रह' की उत्तरजीविता और प्रासंगिकता का सम्यक आकलन किया जा सकता है। लेकिन आज के राजनीतिक नेतृत्व और नयी पीढ़ी की दृष्टि और दिशा क्या इस ओर इशारा करती नहीं दीखती कि इस तरह के अकादमिक कसरत की आवश्यकता और उपयोगिता कितनी रह गयी है?

चंपारण-प्रयोग में गांधी अपनी इस मान्यता को साकार और सिद्ध करने की कोशिश करते दिखाते हैं कि अंतिम तौर पर अन्याय एवं शोषण के खिलाफ अहिंसक संगठन, अनुशासन और बलिदान की शक्ति ही जनता के वास्तविक रक्षा दुर्ग का निर्माण करती है, न कि विधायी कागजात, वीरतापूर्ण शब्द और जोशीले भाषण।

आज की जवान और नयी पीढ़ी की भटकन, बेचैनी और उत्तेजना में निहित नकारात्मकता और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत आम जन की असहाय याचक जैसी छवि का संकेत यह है कि एक सवाल लगभग अनुत्तरित जैसा है। वह यह कि आजादी के बाद देश में गांधी के नाम पर, 'सत्याग्रह' शास्त्र के आधार पर और उसे शस्त्र रूप में धारण करने के दावे के साथ उनके अनुयायियों और उत्तराधिकारियों

द्वारा जो अभियान-आंदोलन छेड़े गये, और विभिन्न (किंचित परस्पर विरोधी भी!) राजनीतिक-सामाजिक शक्तियों के शांतिपूर्ण आंदोलन, सामूहिक अनशन, व्यक्तिगत उपवास, आदि का जो सिलसिला आज भी जारी है, उसे किस हद तक गांधी प्रणीत सत्याग्रह के इतिहास की अगली कड़ी के रूप में स्वीकार किया जाए? उनमें 'गांधी' और 'सत्याग्रह' को किस रूप में स्वीकार किया गया? प्रेरणा के रूप में? मजबूरी के रूप में? या मुखौटा और मोहरा के रूप में?

चम्पारण में और उसके बाद देश के अन्य क्षेत्र में 'सत्याग्रह' जिस तरह परिभाषित हुआ, प्रकट हुआ, क्या उसे, आजादी के बाद देश के नवनिर्माण के लिए चले और आज भी जारी विभिन्न अभियान, आंदोलन और संघर्षों का आधारपाठ माना जा सकता है?

गांधी ने, चम्पारण के लिए विशेषरूप से, एक बात कही थी - सविनय अवज्ञा और असहयोग उनके लिए गढ़े गये हैं, जो जमीन जोतने वाले हैं, जिनके पास कोई राजनीतिक आधार नहीं है। लेकिन जैसे ही उन्हें राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, उनकी तमाम शक्तियों का निपटारा विधायी माध्यमों से किया जाएगा। लेकिन शायद आप कहेंगे कि उनके पास इतनी राजनीतिक शक्ति नहीं है। मेरा उत्तर है कि स्वराज जनता के उपायों से प्राप्त किया जाता है और इसे अवश्य ही अहिंसा के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए और उनकी आवाज सबसे अधिक सुनी जानी चाहिए। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है और सीमित मताधिकार के आधार पर जनता और सरकार के बीच कोई व्यावहारिक समझौता होता है, तो जमीन जोतने वालों के हितों से सर्वणी ख्याल रखा जाए। यदि वैधानिक प्रक्रिया से किसानों के हितों की रक्षा नहीं होती है, तो किसानों के पास हमेशा सविनय अवज्ञा और असहयोग आंदोलन का सर्वोच्च रास्ता अख्तियार करने का विकल्प मौजूद है।

वर्ष 1917 का चम्पारण सत्याग्रह मुख्यत: भूमि संघर्ष था। आजादी के पहले और बाद देश में किसानों और भूमि से जुड़े भूमि संघर्ष हुए। उनमें कई शांतिमय अथवा अंहिसक जन-संघर्ष के रूप में चर्चित हुए। कई आज भी हो रहे हैं। लेकिन चम्पारण भूमि-सत्याग्रह के सिलसिले में, संभवत: अब तक की एकमात्र अध्ययन-रिपोर्ट - लोहिया जांच आयोग रिपोर्ट-1950 - जो उपलब्ध है, आजाद देश में गठित प्रथम गैरसरकारी जांच आयोग की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के अनुसार, चम्पारण का परिवर्ती इतिहास नये बंधनों की उत्पत्ति का इतिहास है।

लोहिया आयोग की जांच-रिपोर्ट का मुख्य शीर्षक तो जैसे चंपारण के 'वर्तमान' का पूर्ण सत्य है - निलहे गये, मिलहे आए।

उस रिपोर्ट में दर्ज है कि गांधी ने चंपारण में संघर्ष छेड़ा, उनके कारण 'सत्याग्रह' का असर हुआ, जनता में भी तथा सत्ता संचालकों और नियंत्रकों पर

भी। लेकिन रिपोर्ट में व्यापक सर्वेक्षण पर आधारित निष्कर्ष और सिफारिशों के साथ गांधीजी की चिंता और चेतावनी को भी इन शब्दों में रेखांकित किया गया है – "गांधीजी की चिंता जायज साबित हुई। उन्होंने कहा इस संघर्ष के कारण अगर हम रैयतों के लिए कुछ राहत हासिल करने में सफल हो भी जाएं, तो भी वे इसका पूरा लाभ नहीं ले पाएंगे और वे नए बंधनों में जकड़ जाएंगे। ... गुलाम हिन्दोस्तान में चम्पारण ने स्वातंत्र्य युग का उद्घाटन किया, लेकिन आजाद भारत में चम्पारण 'आजादी और समता' के युग का पथ-प्रदर्शक नहीं बना। राजनीतिक आजादी की आकांक्षा तो पूरी हुई, लेकिन सामाजिक न्याय और यहां तक कि न्यूनतम जीवन स्तर की भूख भी शांत नहीं हुई... ।

लोहिया जाँच-आयोग की रिपोर्ट में अंतिमत: यह उम्मीद जाहिर की गयी कि "भारत में समता और प्राचुर्य के युग का पथ-प्रदर्शक, खासकर किसानों के लिए, चम्पारण ही होगा!

चंपारण-सत्याग्रह शताब्दी वर्ष के मौके पर हम कुछ मित्र 67 वर्ष पहले की (1950 की) इस उम्मीद के आईने में गांधी के चम्पारण की वर्तमान तस्वीर की पहचान करने निकले। इसके लिए हमने चंपारण के पुनर्यात्रा की। प्रस्तुत सर्वेक्षण उसका एक प्रतिफलन है।

सर्वेक्षण-विधि और प्रक्रिया : सीमा और मर्यादा

सत्याग्रह शताब्दी वर्ष के सिलसिले में हम चंद उम्रदराज मित्रों ने नयी पीढ़ी के चंद युवा मित्रों के सहयोग से सर्वेक्षण की योजना बनायी। उसे जून से दिसंबर, 2017 तक संपन्न करने का लक्ष्य तय किया।

इस सर्वेक्षण को अंजाम दिया हेमंत (पटना) के साथ पश्चिम चंपारण के तीन युवा मित्रों ने - शंभू कुमार सिंह (रामपुरवा), संत राम (पूर्वी तुरहपट्टी), और जीतेंद्र (मच्छरगावां) ने। टीम का संयोजन पंकज (बेतिया) ने किया। चंपारण-सत्याग्रह शताब्दी सर्वेक्षण के रूप में प्रस्तुत इस रिपोर्ट का संपादन किया घनश्याम (मधुपुर, झारखंड) ने।

अपनी टीम की क्षमता और साधन-संसाधन की सीमा के मद्देनजर हमने 'पश्चिम चंपारण' जिला के सिर्फ उन चुने हुए इलाकों को सर्वेक्षण के भौगोलिक दायरे के रूप में स्वीकार किया, जिसे 'गांधी-रूट' कहा जाता है, यानी उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार जहां-जहां से गांधी स्वयं गुजरे या फिर जहां के लोगों ने गांधी और उन की मिशन-मंडली के समक्ष अपना बयान दिया। इसमें भी उपलब्ध सुविधा-सहूलत को ध्यान में रखकर हमने सर्वेक्षण के तहत बेतिया को केंद्र मानकर 25-30 किलोमीटर रेडियस वाले वृत्त के दायरे में आनेवाले गांव-समाज से भौतिक

संपर्क-संवाद साधने का प्रयास किया। इस लिहाज से हमने पूर्वी चंपारण के उन चंद इलाकों से ही संपर्क किया, जो पश्चिमी चंपारण की सीमा से सटे हैं – जैसे कनछेदवा गांव।

हमने सर्वेक्षण के तहत इन चुनिन्दा इलाकों के उन परिवारों के लोगों से साक्षात्कार करने की प्लानिंग की, जिनके 'पूर्वजों' ने सौ साल पहले गांधी और उनके सहयोगियों (गांधी के शब्दों में 'मिशन-मंडली') के समक्ष निलहों के खिलाफ बयान दर्ज कराये। यानी (1) हमने सौ 'पूर्वजों', जिनके नाम बयानकर्ता के रूप में उजागर हैं, के वंशजों का सर्वेक्षण किया। और (2) उन वंशज परिवारों की संख्या भी सौ तक ही सीमित रखी।

(3) सौ पूर्वजों में किसी के वंशज परिवारों की संख्या एक से अधिक थी, सो उपलब्धता और पहुंच के आधार पर उनमें से किसी एक परिवार का साक्षात्कार-सर्वेक्षण किया गया, यानी एक सर्वेक्षण-प्रपत्र (प्रश्न-पत्र) एक पूर्वज के एक वंशज-परिवार के मौखिक या लिखित बयान के आधार पर भरे या भरवाए गए? जहां दो-तीन या अधिक वंशज किसी एक जगह एक घर में संयुक्त परिवार के रूप में बसर करते मिले, तो उसे भी सर्वेक्षण आधारित आकलन-विश्लेषण में एक 'वंशज' परिवार की एक इकाई के रूप में शामिल किया गया।

(4) सर्वेक्षण-प्रपत्र में मुख्यत: वंशजों की वर्तमान आर्थिक और सामाजिक स्थिति से संबंधित प्रश्न थे। उस प्रपत्र को भरवाते वक्त सर्वेक्षण-कर्ता ने वंशजों की स्मृतियों में आज तक जिंदा अपने पुरखों की बातों को कुरेदने का प्रयास किया और सौ साल पूर्व की घटनाओं, निलहों के खिलाफ बयान आदि से संबंधित पूर्वजों की कहानी वंशजों की जुबानी नोट करने का प्रयास किया ।

(5) 'वंशजों' के नाम-गाम की तलाश के पहले बयानकर्ता 'पूर्वजों' के नाम-गांव के पते और पहचान की विधि-प्रक्रिया तथा उनके 'बयान' के सत्यापन एवं प्रामाणिकता से संबंधित कई सवालों से सामना होना ही था। पहला सवाल यह रहा कि सौ साल पहले सुदूर गांव-देहातों से निकल कर मोतिहारी और बेतिया में गांधी और उनके सहयोगियों (गांधी के शब्दों में 'मिशन-मंडली') के समक्ष निलहों के खिलाफ बयान देनेवालों की संख्या 8 से 14 हजार थी। कुछ पुस्तकों के मुताबिक अपनी व्यथा-कथा सुनाने और बयान देने के लिए खुद पहुँचने वाले लोगों की संख्या इतनी थी कि उनकी गिनती संभव नहीं थी। कुछ प्रकाशित दस्तावेजों के मुताबिक गांधी की मिशन-मंडली या सहयोगियों ने, जिनकी अधिकतम संख्या 31 थी, किसी एक का पूरा बयान लिखा और उस पर उस बयानकर्ता के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान लगवाया और उसके नीचे बयानदर्ज-कर्ता के रूप में अपना नाम और हस्ताक्षर तिथिवार दर्ज किये। उनमें बयानात के ऐसे कागजात संभवत: सैकड़ों की

संख्या में हैं, जिनके अंत में, इस 'टिप्पणी' के साथ कि "इसी तरह के बयान उसी गांव के निम्नलिखित व्यक्तियों के हैं," कई-कई लोगों के हस्ताक्षर अथवा अँगूठे के निशान हैं। शायद दो से लेकर 60 अंगूठे के निशान या हस्ताक्षर! तो हम चुनिंदा इलाकों में 'बयानकर्ता पूर्वज' के रूप में नामों का सत्यापन किस आधार पर करें? इसके लिए हमने दस्तावेजों के आधार पर उन 'बयानकर्ता' लोगों के नाम-पते का संकलन किया, जो सौ साल पहले आज के पश्चिम चंपारण जिले के भौगोलिक दायरे में आनेवाले गांवों के बाशिंदे थे। और उन पूर्वजों के वंशज परिवारों के जितने सदस्य (स्त्री और पुरुष) चंपारण में हैं, उनकी खोज कर एक प्रश्न-पत्र के जरिये नाम-पता और सत्यापन का कार्य किया गया।

(6) इसी दौरान ऐसे कई-कई लोगों से मुलाकत हुई, जिन्होंने सौ साल बाद भी अपनी स्मृति में अपने पूर्वजों की याद सहेज रखी है। उन्होंने बताया कि उनके पूर्वजों ने सौ साल पहले भले 'बयान' दर्ज नहीं कराए, लेकिन गांधी के मिशन में निर्भय होकर किस तरह का सक्रिय सहयोग किया - कैसी-कैसी यातनाएं झेलीं, कष्टों और कठिनाइयों का सामना किया, त्याग और कुर्बानी की कीमत पर सामाजिक और राजनीतिक सत्ता को चुनौती दी।

(7) वंशजों के सर्वेक्षण के लिए 'बयानकर्ता' पूर्वजों के ज्ञात-अज्ञात नाम-पतों की तलाश और उनका सत्यापन उनके प्रामणिक बयानों के आधार पर करने की विधि और फिर वंशजों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति की पहचान एक सामान्य (कॉमन) सर्वेक्षण-प्रपत्र के जरिये करने की प्रक्रिया हमने निश्चित की – इसका आधार थी वर्तमान चंपारण का दौरा करते हुए उस 'इतिहास' की अकादमिक यात्रा जिसे हमने वर्ष 2015 के जनवरी से ही शुरू कर दी थी, जब गांधी की भारत वापसी के सौ साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में कई तरह के आयोजन शुरू हुए थे - सरकारी स्तर पर और गैर-सरकारी स्तर पर भी। हमने गांधी के चंपारण-प्रयोग के सिलसिले में उनकी 1917 के पूर्व की और बाद की विचार-यात्रा को जानने-समझने के लिए कुछ दस्तावेजों के अध्ययन का अभ्यास किया। हमने गांधी के उन सभी बयानों और आलेखों की खोज करने और संकलित करने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने चंपारण-प्रयोग का उल्लेख किया। और, इसके साथ हमने सत्याग्रह शताब्दी वर्ष के सिलसिले में चंपारण की यात्रा का कार्यक्रम और रूट-मैप तैयार किया। इसके लिए हम मित्रों का एक शोध-अध्ययन दल "गांधी के चंपारण" की यात्रा में निकला - "चंपारण के गांधी" की खोज में। अध्ययन दल के सदस्य-मित्र - पंकज, शैलेन्द्र, प्रो. प्रकाश, प्रो. शमशुल हक, प्रभात और हेमंत - कभी साथ मिलकर और कभी दो-तीन ग्रुपों में बंटकर मोतिहारी-बेतिया से लेकर कनछेदवा, लवकरिया, जसौली, सींघाछापर, नरकटियागंज, शिकारपुर, लालगढ़, सरसिवां आदि-आदि दर्जनों गांवों में

पहुंचे। ऐसे क्षेत्रों और स्थानों का दौरा किया - जहां गांधी के जाने, रहने-टिकने और लोगों की स्मृति में उनके जिंदा होने की जानकारी मिली। इस दौरान आम और खास लोगों से गांधी के चंपारण-प्रयोग से संबंधित जो जानकारी मिली, सौ साल पूर्व की जो घटनाएँ और तथ्य किस्से-कहानियों के रूप में सुनने को मिले, उनके आधार पर दस्तावेजों और प्रमाणों की खोज, संकलन, अध्ययन और मौखिक इतिहास के सत्यापन की हमारी अकादमिक यात्रा चली। वंशजों के सर्वेक्षण के पूर्व चली गांधी के चंपारण और चंपारण के गांधी के प्रामाणिक और दस्तावेजों पर आधारित इतिहास की इस अकादमिक यात्रा में मदन मिश्र (पटना), सचिन चक्रवर्ती (दिल्ली), शशिभूषण (पत्रकार, पटना) भी शामिल हुए।

(8) बहरहाल, यहां प्रस्तुत रिपोर्ट में, इसके पृष्ठों की संख्या और समय-सीमा के मद्देनजर, प्रसंगाधीन विषय को यानी 'सर्वेक्षण' के फलाफल को तथ्यों, आंकड़ों और संक्षिप्त निष्कर्ष में समेटने का प्रयास किया गया है। यह विस्तृत व्याख्या-विश्लेषण नहीं है - 'गांधी के चंपारण' के वर्तमान को दर्शाने वाला एक छोटा सा आइना है, जिसे बहस-विमर्श और व्याख्या-विश्लेषण के जरिये चमकाना-निखारना होगा। इसके लिए समयबद्ध फील्ड-वर्क और अकादमिक शोध-अध्ययन का प्रकाशन आवश्यक है। यहाँ यह स्पष्ट करना प्रासंगिक होगा कि यह हमारे शोध-अध्ययन के मूल विषय 'गांधी का चंपारण : चंपारण का गांधी (एक पुनर्यात्रा)' का एक हिस्सा है। इस सर्वेक्षण-रपट में चंपारण की वर्तमान स्थिति, मुख्यतः यहाँ की भूमि व्यवस्था और कृषि के साथ जुड़ी हुई आबादी की आर्थिक-सामाजिक अगति-प्रगति और दुर्गति का संक्षिप्त आकलन प्रस्तुत किया गया है!

– संवाद टीम

खण्ड - एक

चम्पारण : गांधी-रूट

हम मित्र चंपारण-सत्याग्रह शताब्दी वर्ष के सिलसिले में "गांधी के चंपारण" की यात्रा में निकले - "चंपारण के गांधी" की खोज में। मोतिहारी-बेतिया से लेकर लवकरिया, जसौली, सींघाछापर, नरकटियागंज, शिकारपुर, लालगढ़, सरसिवां आदि-आदि दर्जनों गांव का दौरा किया। कई ऐसे क्षेत्रों और स्थानों में गए - जहां गांधी के जाने, रहने-टिकने और लोगों की स्मृति में जिंदा होने की जानकारी मिली। हम और भी कई गांधी के ठिकाने घूम आये - बड़हरवा लखनसेन, भीतिहरवा और मधुबन 'वृंदावन' के बीमार और मरणासन्न बुनियादी तालीम के केंद्र (विद्यालय), हजारीमल धर्मशाला का ढूह जहां करीब चार हजार किसानों के बयान दर्ज किये गए थे ...!

और, पहले कदम पर ही यह महसूस होने लगा कि पटना-बेतिया जैसे शहरों की बात अलग है, चम्पारण के गांवों में - बूढ़ों से लेकर जवानों तक में - आम तौर पर गांधी के बारे में एक जैसी राय है। उस राय का प्रकट अर्थ यह है कि गांधी चम्पारण के गरीब ग्रामीणों में इस कदर घुल-मिल गये कि उन्हें ये लोग अब खुद पहचान नहीं पा रहे! लगता है, यह एक सार्वकालिक सच है कि अपने आपको खुद कोई नहीं पहचान पाता!

हम भितहरवा आश्रम के पास पहुंचे और 'थथम' गये! गेट के अंदर कदम रखते ही महसूस हुआ कि प्रदर्शनीय बनाने के बहाने इसे पथरीला स्मारक बनाने की कोशिश तेज है।

गेट पर कई जवानों से भेंट हुई, जो आजादी के बाद पैदा हुए, और आज सत्ता में हैं, पावरफुल हैं। उन लोगों ने बताया – "हम गांधी को न ठीक से जानते हैं और न पहचानते हैं। फिर भी हमने वही किया, जो हमें सिखाया गया। उनकी खूब

पूजा की - सत्ता पर काबिज होने के लिए उनके नाम का भरपूर इस्तेमाल किया।" उन्होंने जिस बेबाक ईमानदारी से अपनी बात कही, उसे देख-सुन हम मित्र अवाक् रह गए! क्या इसे गांधी के अब तक बचे प्रभाव की झलक माना जाए कि आश्रम के गेट पर खड़े होकर वे अपने बारे में सच बोलने को अभिशप्त दिखे! उन्होंने बताया कि वे यह पता करने आये हैं कि गांधी को आश्रम के लिए यह जमीन किससे और कैसे मिली?

गांधी को यह जमीन क्यों मिली, किस मकसद के लिए मिली, इसकी जानकारी आपको है? हमने पूछा। जवानों की तरफ से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आया। वे जल्दी में थे। उन्हें शायद इसकी जानकारी नहीं थी, या फिर उन्हें इस जानकारी की जरूरत नहीं थी!

हम अंदर जाकर गांधी-कस्तूरबा की कुटिया के पीछे के पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर देर तक मौन बैठे रहे। दिल-दिमाग में तूफान उठा – "गांधी को पत्थर की मूरत बना दिया! क्यों? इसलिए कि जनता आत्मविस्मृति में पड़ी रहे? क्या जनता को यह बोध भी नहीं रहा कि गांधी को पत्थर की मूरत बनाकर खुद उसकी स्वचेतना को काट दिया जा रहा है - जानवर की खाल खींचकर बोटी-बोटी काटने की तरह!"

हम पेड़ से झरते सूखे पत्तों की तरह गिरते-पड़ते बेतिया लौटे। और, उन वंशजों से मुलाकात की जिनके पुरखों ने अपनी धर्मशाला – हजारीमल धर्मशाला - में गांधी को टिकने की जगह दी थी।

उनसे मालूम हुआ कि उनके पुरखों ने गांधी को अपनी धर्मशाला में इसलिए टिकाया, क्योंकि वह उनके व्यवसाय का हिस्सा था! उनको इसका पैसा मिला या नहीं, यह धर्मशाला के वर्तमान उत्तराधिकारियों को मालूम नहीं। सिर्फ इतना मालूम है कि गांधी के नाम से उनके परिवार का रुतबा बढ़ा, नाम मिला और पुश्तैनी धंधा खूब फला-फूला!

गांधीजी 22 अप्रैल, 1917 को बेतिया पहुंचे थे। हजारीमल धर्मशाला को निलहा विरोधी आंदोलन का मुख्य शिविर बनाया गया। 6 महीने के भीतर चम्पारण के 850 गांवों के 10 हजार किसानों के 60 नील कारखानों के विरुद्ध पक्षपात रहित बयान दर्ज किये गए।

धर्मशाला के खंडहर का लगभग चौथाई या उससे छोटा हिस्सा कूड़े के ढेर सा पड़ा हुआ है। उसके चारों ओर अब अत्याधुनिक मार्केट कम्पलेक्स जगमगा रहा है!

एक स्थानीय युवक ने बताया - "खंडहर के एक छोर पर कुछ बरस पहले एक बोर्ड टंगा हुआ था, यह बताने के लिए कि 1917 में चम्पारण आकर गांधी यहीं टिके थे, लेकिन उस बोर्ड को अब किसी ने हटा दिया है।"

हजारीमल मार्केट कम्पलेक्स पर काबिज उत्तराधिकारी पीढ़ी के एक युवक ने बड़ी शालीनता से कहा - कोर्ट का स्टे है, इसीलिए यह कूड़ा अभी तक पड़ा है! सरकार ने केस कर रखा है, वह जानती है कि फैसला हमारे पक्ष में होगा! वैसे, सरकार यह जानती है कि अब गांधी के नाम पर इस कूड़े खंडहर को यूं ही रखना 'यूजफुल' नहीं है। सरकार गांधी की याद के सहारे नहीं, हमारे वोट के बल पर टिकी है।"

हम उस वक्त "भक" रह गये जब हजारीमल परिवार के एक उत्तराधिकारी युवक ने तैश में कहा - "हमारे पुरखों ने गांधी को (हजारीमल धर्मशाला में) टिकने दिया, अन्यथा गांधी चम्पारण से कब के...। उसने वाक्य पूरा नहीं किया। लेकिन इस लहजे में कहा मानो वह कहना चाहता था - गांधी कब के भाग खड़े होते...!

उसने कहा - "आप लोग यहां क्या देखने आ गये? पहले इतिहास पढ़िए। आपलोगों के चेहरे से लगता है कि आपलोगों ने इतिहास पढ़ा ही नहीं। हमारे पुरखों ने गांधी को टिकाया। गांधी का चम्पारण में इतना जबरदस्त विरोध हुआ था कि वह यहां एक दिन भी नहीं रह पाते। हमने जगह दी...।"

हम मित्रों ने एक दूसरे यूं निहारा – 'सचमुच! हमने यह इतिहास तो पढ़ा ही नहीं!'

चंपारण की जुबानी गांधी को सुनने-पहचानने की इच्छा लिये हम ने जिन्दा बुजुर्ग लोगों (जिन्होंने बचपन में गांधी को देखा) और उनके जवान बेटी-बेटों, नाती-पोतों से मुलाकात की - जिन्होंने गांधी को देखा नहीं, लेकिन अपने माता-पिता या दादा-दादी, नाना नानी से उनके बारे में सुना और आज तक उसके असर को जी रहे हैं! हमने जो कुछ देखा, सुना-गुना, उसे अपनी डायरी में नोट किया। किताबों में सौ साल पहले का जो इतिहास हमने पढ़ा, उसे रौशन रास्ता समझ कदम बढ़ाया, लेकिन चंपारण की पुनर्यात्रा में हम हकीकत के वर्तमान अंधेरे में गुम से हो गए - पग-पग पर सवालों के ठोकर और कई पीछा करते सवालों के धक्के खाने लगे!

किताबों में पढ़कर समझा था कि चंपारण के गांधी को गुलाम देश-समाज के अंतिम आदमी ने अपने जीवन के संघर्ष-पथ के लिए मील के पत्थर के रूप में पहचाना था। लेकिन अब महसूस होता है कि वह गाँधी आज आजाद देश-समाज के विकास के आम और खास दोनों तरह के रास्ते पर पत्थर की मूर्ति-सा पड़ा है – अप्रासंगिक हो गया है। समाज के अंतिम और आम जन के लिए अबूझ 'चुनौती' जैसा हो गया है; देश के खास लोगों के लिए राज-मार्ग में बीच रस्ते अड़े-पड़े रोड़े जैसा अवांक्षित 'बाधा' बन गया है!

खेन्हर राव के गांव के रास्ते में सुना कि सौ साल पहले ब्रजकिशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, खेन्हर राय आदि लोगों के साथ गांधीजी ने बेतिया से लवकरिया

के रास्ते राजमन कुरमी की जमीन की तहकीकात की थी। उन्होंने उस लड़के को देखा जिसे मार पड़ी थी। उस कुरमी के लड़के का नाम क्या था? उसे किसने और क्यों मारा था?

हम सिंगाछापर गए। रास्ते में एक टोले में रुके, बढई समुदाय के टोले में, जहां घर के बाहर के परिसर में कुछ महिलाएं आपस में गपिया रहीं थीं। हमने गांधी की बात छेड़ी। बूढ़ी और 50 पार की महिलाएं जमकर बतियाने लगीं, जवान लड़कियों के चेहरों पर हंसी और उत्सुकता अठखेलियाँ करने लगीं। तब तक आसपास के कई पुरुष भी जमा हो गए.. बच्चे, जवान और कुछ वयस्क। महिलाएं भोजपुरी में न जाने क्या-क्या बोल रहीं थीं! रह-रह कर उनकी बातों पर हंसी के पटाखे छूटे! हमारी टोली के सहयोगी स्थानीय मित्र भी भोजपुरी में बोलने-बतियाने लगे। लेकिन एक वृद्ध माई की अबूझ टिप्पणी पर हम सब अटक गये। उसने भोजपुरी में कुछ यूँ कहा – "बबुआ, आप पटना-दिल्ली से हमारे चंपारण में आये हैं। गांन्ही बाबा की तलाश में। आप बड़े लोग हैं। आपकी बतवा से हमको लगता है कि आप लोग उलझन में हैं। आपको बुझा नहीं रहा कि गांन्ही देस से हार गया या कि देस गांन्ही को हार गया? इसलिए हमरे पास आये हैं। है कि नहीं? बड़े लोग की बड़ी बात। बाकी, हम तो देहाती गरीब-गुरबा लोग हैं। हमको बुझाता है कि जिस गांन्ही बाबा ने सौ साल पहले हमको जिताया, वो तो उस टाइम 'हेरा' (गुम) गया, जब देस आजाद हुआ...।" शाम घिरने लगी थी, सो सब उठ गए। हम बेतिया लौटे और हमारे आगे सवाल – आखिर ऐसा क्यों हुआ? कैसे हुआ?

हम बेतिया के पश्चिम 12 किलोमीटर दूर गंडक के किनारे पुजहां (पटजीरवा) पहुंचे। बाजार में भूमिहीन पर्चाधारी किसानों के जारी संघर्ष के नेता गिरिधारी राम भेंटा गए। देखते-देखते कई लोग जमा हो गए - विपद चौधरी, विश्वनाथ साह और उनके कई मित्र-भाई-बंधु...! पास की दूकान पर गिरधारी राम ने बैठने का इंतजाम किया, तो बैठकी जम गयी। हम कुछ कहते, इसके पहले ही आवाज आयी – गिरधारी भाय, अबकी हम भी जेल चलेंगे, सत्याग्रही फार्म हम भी भरेंगे...।

पश्चिम चंपारण के हजारों भूमिहीन पर्चाधारी किसानों का पर्चे की भूमि पर मालिकाना हक हासिल करने के लिए जारी संघर्ष चंपारण-सत्याग्रह शताब्दी वर्ष में कुछ और तेज और तीखा होगा, इसकी झलक दिखी। दस्तावेजों के मुताबिक सौ साल पहले पुजहां के सात लोगों ने निलहों के खिलाफ बयान दर्ज कराया था - गांधीजी और उनके सहयोगी नेताओं के समक्ष। वृद्ध विपद चौधरी मिले, उन्होंने कहा - हमारे दादा थे गोपी मल्लाह, गोरे जमींदार के खिलाफ बयान दिया था।

वह हमें अपने टोले में ले गये। करीब 200 झोपड़ियों का दलित टोला। विपद चौधरी ने कहा - हमारा ये टोला बेतिया राज की जमीन पर बसा है। बरसों से।

लेकिन आज भी उजाड़ दिए जाने का खतरा है। कई बार सरकारी लोग आये - कभी नोटिस लेकर तो कभी लाठी-पुलिस के साथ। लेकिन हम जाएं कहाँ...? ... हम भूमिहीन हैं... मजदूरी करते हैं... बेटा मजदूरी के लिए बाहर जाता है - कभी दिल्ली, कभी पंजाब...। बस, ऐसे ही जिनगी चलती है...।

हमने पूछा, तो बताया – 9-10 बरिस पहले हमको परचा मिला। लेकिन वह यह बता नहीं पाए कि उन्हें किस चीज के लिए पर्चा मिला - वासगीत का परचा या कि खेती की जमीन का?

उन्होंने कहा - दादा भूमिहीन थे, बटैय्या पर खेती करते थे, मालिकों के यहां खटते थे...। हमरे बाबूजी भी यही करते थे...।

आज चंपारण में संघर्षरत भूमिहीन लोगों में कितने परिवार ऐसे हैं, जिनके पूर्वजों ने गांधी के चंपारण-सत्याग्रह के दौरान निलहों के खिलाफ अपने बयान दर्ज कराये? गिरिधारी राम कहते हैं - इस इलाके में बहुत होंगे। ऐसे लोग तो बहुतो मिल जायेंगे, जिनके पुरखे गांधी की लड़ाई में साथ दिया - खूब लड़े, मार खाया, जेल गए, लेकिन गुमनाम रह गए। क्योंकि वो बयानकर्ता नहीं थे...।

लौटती में हम विश्वनाथ साह की दूकान पर गए – वह कुरकुरे-बिस्कुट, घरेलू काम के सामान और मेड इन चाइना के माल बेचते हैं...। उनकी उम्र 50 के नीचे लगी। वह चार भाइयों में सबसे छोटे हैं। उन्होंने फख्र के साथ कहा - हमारे दादा द्वारका कलवार द्वारिका साह थे - बयानकर्ता थे। 1917 में वे छोटे किसान थे। अपनी कुछ जमीन थी, कम थी। इसलिए वे बटाई में भी खेती करते थे...। आजादी के बाद पिताजी रामप्यारे साह ने थक-हार कर खेती-बटाई छोड़ दी, एक दूकान खोली परचून की। ये वही दूकान है, जगह बदल गयी है।

तभी विश्वनाथ साह के युवा पुत्र ओमप्रकाश आये, जो कॉलेज की पढ़ाई करते हुए भी मुख्यत: पिता की दूकान को चमकाने की बात सोचते हैं। वह कहते हैं - दादा की जमीन बंट गयी और बिक गयी। अब तो न के बराबर जमीन है...।

पुजहां से लौटती में रास्ते हम मित्रों के बीच की बहस एक ही सवाल पर केन्द्रित रही - सौ साल पहले चम्पारण सत्याग्रह के दौरान निलहों के जुल्म से पीड़ित 8000 किसानों ने अपने बयान दर्ज कराये। उनके वंशज आज कहाँ हैं? कैसे हैं? आजाद देश में उनकी हालत उनके पुरखों की गुलामी के दौर की स्थिति से कितनी बदली है? इस सिलसिले में हमें क्या कुछ करना चाहिए, इस पर कोई प्लानिंग करनी है।

नीम का पेड़

हम - शिशिर टुडू, प्रकाश और हेमंत - पीर मोहम्मद मूनिस की नतिनी हाजरा

खातून से मिलने गए (बेतिया शहर)। उनके पति मोहम्मद मुस्तफा उर्फ भोला जी। बिहार राज्य के नामी फुटबॉल प्लेयर रहे हैं। अब उनकी उम्र शायद 70 के पार है। उन्होंने आवाज देकर हाजरा खातून को बुलवाया। उनकी आवाज सुनकर अंदर से हाजरा खातून बाहर आईं। 65-67 की उम्र। गोरी - औसत कद-काठी की महिला। चेहरे पर निर्मलता!

अपने नाना की यादों में पगी हाजरा खातून ने बताया - "मैं 5-6 महीने की थी, तभी मेरे पिता का इंतकाल हो गया। पिता मोहम्मद सुलेमान - मेरे नाना पीर मोहम्मद मूनिस के इकलौते पुत्र। मेरी मां का नाम राबिया खातून। मैं जब तीन-चार साल की थी, तभी पीर बाबा (मोहम्मद मूनिस) का देहांत हो गया।

हजरा खातून ने हमें वह जगह दिखाई जहां पीर साहब की झोपड़ी हुआ करती थी। जहां गांधीजी आये और पीर बाबा की मां से मिले थे। उस जगह आज दो मंजिला पक्का मकान खड़ा है - किसी महानुभाव ने उस पर अपना मकान उठा लिया है। (भोला जी ने पीर बाबा के रहते उस जमीन को लेकर हुए झंझट और बाद में बने उस मकान की पूरी कहानी सुनाई)

हाजर खातून ने घर के सामने का पेड़ (नीम का) दिखाया। सूखा - ठूंठ - काला पड़ा! उन्होंने कहा – इसे गांधी बाबा ने लगाया था!

वह अभी तक धराशाई नहीं हुआ, यह आश्चर्य की बात है!

मैंने शिशिर जी से कहा कि वह पेड़ की वीडियोग्राफी विस्तार से करें। यह सौ वर्ष बाद के, आज के चंपारण के लोकमानस में पैठे गांधी की छवि का वास्तविक प्रतीक है!

पीर साहब की जमीन पर ही कुछ हटकर नतिनी का मकान है। उसकी गली के मुहाने पर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। हाजरा खातून कहती हैं - गांधी बाबा ने यहां पीर बाबा के पास पहुंचकर कुछ पूजा-पाठ की बात की थी, तब बाबा ने एक 'पत्थर' लाकर रख दिया था। अब उसी को घेरकर मंदिर बना दिया गया है। (शिशिर जी ने उस मंदिर के अंदर-बाहर की वीडियोग्राफी की)

हाजरा खातून ने कहा - गांधी बाबा ने उस पत्थर की पूजा की थी।

हेमंत, हाजरा खातून और उनके पति भोला जी से इस सवाल में उलझा रह गया कि क्या उस वक्त गांधीजी ने सचमुच पूजा-पाठ-सा कुछ किया था? दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी ने भारत के किसी मंदिर में जा कर पूजा-पाठ किया, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख इतिहास में नहीं मिलता!

लौटती में हेमंत और अन्य मित्र मंदिर के अंदर झांकर उस पत्थर को देखना भूल गये!

शिलालेख

हम बेतिया से भितिहरावा रवाना हुए (मार्च)। रास्ते में एक शिलालेख देखा। उसके दोनों पाटी पोस्टर से अटे पड़े थे।

हमने उसे पानी से साफ किया। खूब रगड़ना पड़ा। छोटू भिड़ा और साफ कर दम लिया - रंजीत कार में रखे बोतल-पानी ले आया। शिलालेख के सामने की पाटी और पीठ पर दर्ज इबारतों को हमने कागज पर उतारा। प्रकाश जी ने कुड़िया कोठी के खंडहर और सामने की जमीन पर आज जिनका स्वामित्व है उनके कार्य-व्यापार के बारे में हमें विस्तार से बताया।

इस बीच हम शिलालेख के पास ही सड़क से लगे 'महादलित टोले' (डोम परिवारों के) में झांकने चले गए। 8 परिवारों का टोला। गंदगी का अद्‌भुत नजारा!

लोगों से खूब बक-झक हुई। मजा आ गया।

एक युवक - दारू पिया हुआ - आया। हम पर गुस्साने लगा। उसने झगड़ा मोल लेने के लहजे में कहा – "जाइए, जाइए! आपकी तरह के बीसियों आए, गए। उपदेश झाड़ गए।"

हेमंत ने एक गलती कर ही दी। उसके वहां पहुंचते ही पास नंग-धड़ंग बच्चों की एक टोली आ गई थी। उनमें से एक से उसने पूछा – "कितने दिन हुए नहाए?

उस बच्चे के हाथ-पांव माटी-कादो से पगे थे। उसने हंसते हुए कहा - रोज नहाता हूं...।

उसी वक्त उसकी मां आई। वह साफ-सुथरी थी। लाल साड़ी पहने थी - सस्ती-सी, लेकिन साफ-सुथरी और चमकदार!

उसने कहा - बच्चा है, नटखट है, दिन भर खेलता रहता है धूल-माटी में।

"लिखता-पढ़ता है कि नहीं? आसपास कोई स्कूल है कि नहीं ...?" हेमंत पूछ ही रहा था कि अचानक कई-कई महिलाएं दौड़ती हुई-सी पहुंच गयीं। शिशिर जी एक्शन में आ गये! वह तेजी से वीडियोग्राफी करने लगे। सब की निगाहें उस ओर मुड़ गईं...।

प्रभात जी और अन्य साथी हेमंत को समझाने लगे – "आप चलिए यहां से। किन बातों में उलझ गए! बेकार गाली खा रहे हैं... । असली काम छूट जाएगा। भितहरवा में साथी इंतजार कर रहे हैं...।"

हेमंत अपने मित्रों से भी उलझ पड़ा– असली काम क्या है? यह नहीं है? छोटू को कुछ समझ में नहीं आया। वह तैश में आ गया। हेमंत से कहा - "आप गजबे हैं! आप को कुछ समझ नहीं है। ऐसे थोड़े ना चलता है? आपके कहने से थोड़े ना कुछ बदल जाएगा। एक दिन में सब पूरा कहीं बदलता है?"

शायद छोटू – 13-14 बरस का किशोर, सातवीं कक्षा का विद्यार्थी - सही कह रहा था! शाम को हम भितहरवा से बेतिया उसी रास्ते से लौटे। शिलालेख के पास रंजीत ने गाड़ी की रफ्तार धीमी की। हमें शिलालेख देखने को कहा। हमने देखा - शिलापट्ट के दोनों तरफ बड़े-बड़े पोस्टर चिपके हुए थे!

बहरहाल बेतिया से भितिहरवा जाते वक्त ही हमने शिलापट्ट के सामने की पाटी और पीठ पर दर्ज इबारतों को कागज पर उतार लिया था।

शिलापट्ट में दर्ज है : इस कोठी का प्रबंधक एसी इलियट बहुत ही क्रुर एवं हठी स्वभाव का व्यक्ति था। वह गांव के बगल (गोइड़ा) के खेतों में नील की खेती करने के लिए लोगों को तंग करता था। रैयतों को नील की कीमत एवं कटाई की मजदूरी बहुत कम देता था। वह बिना किसी पट्टा के ही नील की खेती करने के लिए रैय्यतों को बाध्य करता था। उसका यह कार्य तत्कालीन सरकारी नियम के प्रतिकूल था। अप्रैल, 1917 में जब कोठी के कर्मचारियों ने सिंघाछपरा गांव की एक तेलिन और बढ़इन के साथ दुर्व्यवहार किया, तो उस गांव में रैयतों ने इसकी शिकायत गांधीजी से की।

शिलापट्ट के दूसरी तरफ लिखा है दिनांक 26 अप्रैल 1917 की सुबह 8 बजे गांधीजी रामनवमी बाबू के साथ बरवत के बाबू के हाथी पर सवार होकर सिंघाछपरा गए थे। वहां पर दोनों पीड़ित महिलाओं का इजहार हुआ। नील के खेती की तहकीकात की गई। 11 बजे गांधी जी बेतिया लौट गए।

चनपटिया पथ में कुडिया कोठी के पास लगा शीलालेख देखा। शिलालेख में दर्ज है - '...कोठी के कर्मचारियों ने सिंगाछापर गाँव की एक 'तेलिन' और 'बढ़इन' के साथ दुर्व्यवहार किया, तो उस गाँव के रैय्यतों ने इसकी शिकायत गांधीजी से की। गांधीजी रामनवमी बाबू के हाथी पर सवार होकर सिंगाछापर (बेतिया से 06 किमी दूर) गए। वहां पर दोनों पीड़ित महिलाओं का इजहार हुआ...।'

शिलापट्ट को पढ़ते ही हम कई सवालों से उलझ गए – यह शिलापट्ट किस साल, किस सरकार की पहल पर यहाँ गड़ा? यह 'तेलिन' और 'बढ़इन' क्या है? उन महिलाओं के नाम क्या थे? चम्पारण सत्याग्रह के दौरान निलहों के जुल्म से पीड़ित 8000 किसानों ने अपने बयान दर्ज कराये। उनमें कई महिलाओं के नाम दर्ज हैं। क्या बयानकर्ताओं के उपलब्ध दस्तावेजों में भी उन महिलाओं के नाम की जगह तेलिन-बढ़इन ही दर्ज है? इसकी वजह? शिलापट्ट में दर्ज इन संबोधनों को सौ साल पहले के समाज में व्याप्त महिलाओं के प्रति पुरुष-दृष्टि की संकीर्णता-सीमाओं का संकेतक मान कर छोड़ दिया जाय? या कि आजादी के वर्षों बाद लगा यह शिलापट्ट अपने आप में एक टिप्पणी है कि आजाद देश में गाँधी और चंपारण-सत्याग्रह की स्मृति के महत्व और प्रासंगिकता के प्रति?

तेलिन 'अकिला' : बढ़इन 'मतेसरी'

हम (पंकज, प्रकाश, शैलेन्द्र, शमशुल हक, हेमंत) सिंगाछापर गए। गांधी को अपनी पीड़ा-कथा बताने वाली 'तेलिन' और 'बढ़इन' के नाम-पते की तलाश में। बढ़ई और तेली समुदायों की बस्ती में कई महिलाओं और युवकों से मिले। शैलेन्द्र और शमशुल हक ने भोजपुरी में लंबी बातचीत चलाई। करीब 15 दिन की खोज के बाद उनके नाम-पते मिले।

तेलिन का नाम 'अकिला' देवी, पति का नाम गुल्ली साह। और बढ़इन का नाम 'तेसरा' देवी, पति का नाम डोमा मिस्त्री।

उनके वंशजों से मुलाकात भी हुई। करीब तीन महीने बाद पटना के पत्रकार शशिभूषण ने सप्ताह भर बेतिया में रह कर नामों के सत्यापन का श्रमसाध्य कार्य किया और यह रिपोर्टिंग की :

चम्पारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी और उनके सहयोगी जब किसानों का बयान ले रहे थे तब हजारों किसानों ने निलहों के जुल्म के खिलाफ बयान दर्ज कराये थे। सबके नाम हैं। यह इकलौता वाकया है जिसमें तेलिन और बढ़इन दर्ज है। दस्तावेजों में नाम नहीं है।

बढ़इन और तेलिन की शिनाख्त के लिए सिंघाछपरा गांव पहुंचने पर यह स्पष्ट हुआ कि उन दोनों के बारे में मौजूदा पीढ़ी को कुछ भी पता नहीं है। लोगों ने गांव के दो बुजुर्गों दारोगा राऊत (96 वर्ष) और डॉक्टर साहब का नाम बताया कि वे शायद कुछ बता पाएं।

डॉक्टर साहब का नाम यदुनंदन राय। 82 वर्ष के हैं। बेतिया के डॉक्टर राजीव लोचन बैनर्जी के यहां कम्पाउंडर थे। गांव में लोग बीमार पड़ते हैं तो वह दवा देते हैं, सो गांव वाले उन्हें डाक्टर साहब पुकारने लगे। यदुनंदन राय (डॉक्टर साहब) बताते हैं कि तेलिन का नाम 'अकिला' देवी और बढ़ईन का नाम तेसरी नहीं, 'मतेसरी' देवी था। उन्होंने मतेसरी देवी को देखा था। अकिला देवी को नहीं।

दारोगा राऊत बोले – हाँ, मैंने दोनों को देखा है। दोनों सहेली थीं, बड़ी बहादुर थीं दोनों। अकिलवाली भी। गांव नीलहों और गुमाश्तों के आतंक से तबाह था। कोठी का गोड़ाइत उगरे दुसाध था। बड़ा अटपट बोलता था। आतंक से परेशान गांव के ही बच्चू बाबू ने कोठी के एक अंग्रेज को घोड़ा से गिरा दिया। उसने गांव लुटवा लेने की धमकी दी। गांव एकजुट हुआ। बांस काटा गया। फट्टर बनाया गया। बाबू जी बताते थे कि अकिला और मतेसरी भी घर से निकलीं। अकिला कहती थीं - राज रही त इज्जत ना रही। उन दिनों बड़कू (ऊंची जाति) लोग की औरतें घर से नहीं निकलती थीं। अकिला और मतेसरी छोटी जात की थीं, सो निकल गई। अकिला की मौत का तो मुझे नहीं, लेकिन मतेसरी, छोटे रामधनी की असमय मौत के बाद

विक्षिप्ता अवस्था में गुजरीं।

दोनों महिलाओं के वारिस आज भी गांव में मौजूद हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनकी दादी-परदादी ही वे बढ़इन और तेलिन थी, जिनका उल्लेख कुड़िया कोठी के शिलालेख में है।

अकिला देवी के पति का नाम गुल्ली साह था। दारोगा राऊत ने बताया – "अकिला देवी रामजी साह के महतारी रहली। हमारा खूबे खेलवले बाड़ी।" रामजी साह, गुल्ली साह के बेटे थे। उनकी तीन संतान हैं - भीखम (भीष्म) साह, नारद साह और शांति देवी।

अकिला देवी के पोते भीष्म साह बातचीत में कहते है – "हमें कुछ भी नहीं मालूम। डॉक्टर साहब और दारोगा राऊत पुरनिया (बुजुर्ग) हैं। वो जो बता रहे हैं उसे ही सही माना जाए।" उनके घर में गांधी जी की तस्वीर है। वह बताते हैं - शिक्षक पद से सेवानिवृत हुआ तो मेरे छात्र ने इसे भेंट किया। मिट्टी का एक तोता भी। साह की बैठक में प्रवेश करते ही दीवार पर टंगी रायफल और तलवार दिखती है।

अंग्रेजी राज : सामन्ती समाज

चंपारण के स्कूल-कॉलेज के शिक्षक-व्याख्याता, और बुद्धिजीवी वर्ग में इतिहासवेत्ता, अर्थशास्त्री-समाजशास्त्री के रूप में चर्चित विद्वानों से हम मित्रों ने औपाचारिक-अनौपचारिक गप-गोष्ठियों के बहाने बहस-विमर्श की कोशिश की। परिणामत: 'अंग्रेजी राज' में चम्पारण की भूमि और कृषि व्यवस्था पर आधारित समाज की एक आधी-अधूरी तस्वीर बनी -

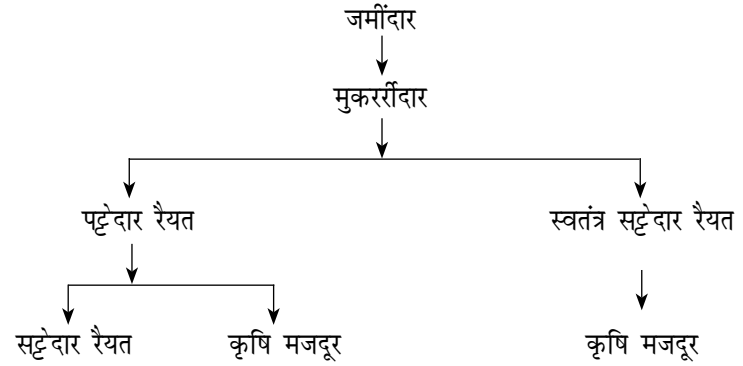

यानी कृषि-व्यवस्था में शीर्ष पद जमींदार थे और निम्नतम स्तर पर कृषि मजदूर थे। कृषि मजदूरों की आबादी में अधिकतर 'निम्न' और 'पिछड़ी' जातियों

के थे। एक सरकारी रपट में चम्पारण में कृषि मजदूरों का जातिगत अनुपात (1892-1896) दर्ज किया गया, जो इस प्रकार है :-

क्र.	जाति	कुल जनसंख्या	कृषि मजदूरों की संख्या	प्रतिशत
1.	अहीर	1,83,732	70,000	38.1
2.	राजपूत	86,440	0	0
3.	ब्राह्मण	84,493	0	0
4.	कोयरी	1,08,877	33,433	?
5.	भूमिहार	28,496	0	0
6.	कुर्मी	96,145	45,092	46.9
7.	जुलाहा	80,358	44,036	54.8
8.	कानू	68,588	31,823	45.2
9.	दुसाध	91,452	46,823	51.2
10.	मल्लाह	63,070	31,409	49.8
11.	चमार	126,997	73,531	57.9
12.	कलवार	33,796	0	0
13.	नोनिया	52,903	38,197	72.2
14.	तुरहा	26,775	13,441	50.2
15.	हजाम	27,239	4,000	18.3
16.	कुम्हार	24,954	11,204	44.9
17.	बिंद	27,331	13,408	49.0
18.	धानुक	11,460	5,272	46.00
19.	धुनिया	26,994	15,467	57.30

शोषण की परकाष्ठा

चीनी मिलों के बड़े-बड़े फार्मो की भू-सम्पत्ति का संकेन्द्रण यह गवाही देता है कि यह तिनकठिया प्रथा से मुक्ति के बावजूद पिछले सौ साल में चम्पारण के खेती-किसानी से जुड़े समाज में कौन कितना शोषण की व्यवस्था में बंधा और कितना मुक्त हुआ।

1892 से 1934 के बीच चम्पारण में नौ चीनी मिलों की स्थापना हुई। इनमें अधिसंख्य मिलों पर भारतीय उद्योगपतियों का एकाधिकार था। चीनी मालिकों ने फार्म बनाने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए, जिसके लिए अंग्रेजी शासन का हर स्तर पर सहयोग मिला : (1) नीलहों से जमीन खरीदी (2) जबरन कब्जा (3) बेतिया राज से बंदोबस्ती (4) गैर मजरुआ जमीन की जोत।

इन लोगों ने 30 रु. से 200 रु. एकड़ के भाव से रैयतों की जमीन खरीद ली। इसके खिलाफ न तो सरकार थी, और न मध्यस्थ गोरे या देसी जमींदार। उल्टे इस सिलसिले के बीच गोरे नीलहों ने लीज की जमीन बेच दी। यानी पट्टे की तरह सट्टे की जमीन भी बेच दी गई। जबकि उनकी वास्तविक कीमत 1000 रु. बीघा आंकी जाती थी।

1950 तक विभिन्न चीनी मिलों के हाथ में चार करोड़ रु. मूल्य की भूमि चली गई जिसके बदले में उन्होंने मात्र 20 लाख रुपए चुकाए।

क्र.	चीनी मिल का नाम	मालिक का नाम	फार्म का क्षेत्रफल (एकड़ में)
1.	चकिया	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन	1200
2.	सुगौली	अमजद अली	1200
3.	लौरिया	शांति प्रसाद जैन	3500
4.	मझौलिया	मेसर्स मोतीलाल पदमपत	4000
5.	चंदपरिया	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन	300
6.	नरकटियागंज	बिरला ब्रदर्स	3000
7.	हरिनगर	राजानारायण लाल पित्ती	10000
8.	बगहा	खेतान ब्रदर्स	4000
9.	मोतिहारी	रामेश्वर लाल नेपाली	12000
		कुल	**39,200**

क्या उपरोक्त तथ्य इस ओर इशारा नहीं करते कि गांधी के अथक प्रयास - करीब 8000 बयानों के दबाव के बाद अंग्रेज सरकार द्वारा गठित कमीशन की जांच-रिपोर्ट, उसकी सिफारिशों के आधार पर विधेयक पारित किए जाने एवं तिनकठिया प्रथा के खात्मे के बावजूद चम्पारण के शासन-शोषण के भूमि-व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ? पुरानी ढांचागत व्यवस्था टूटने के बदले इस कदर विस्तृत और विकराल हुई कि शोषण का चेहरा बदल गया। चेहरा बदलने का मायने यह कि ज्यों-ज्यों शोषण बढ़ा और तीखा हुआ, उसका विशाल चेहरा अदृश्य होने लगा विकास के नाम पर!

खण्ड - दो

चम्पारण : सर्वेक्षण- 2017

संक्षिप्त रपट :

1917 में चम्पारण में 2816 गांव थे। इनमें तीन चौथाई बेतिया, रामनगर और मधुबन-शिवहर राज के अधीन थे। अकेले बेतिया राज में 1719 गांव थे।

मधुबन-शिवहर प्राचीन बेतिया राज परिवार से निकले हुए परिवार का राज था। जाति से ये भूमिहार थे। रामनगर राज के जमींदार नेपाल राजवंश से संबंधित राजपूत थे।

उस समय ब्रिटिश शासन के तहत चम्पारण की भूमि-व्यवस्था के दो-तीन पहलू स्पष्ट थे - कृषि योग्य कुल भूमि के तीन चौथाई भाग पर केवल तीन बड़े जमींदारों, क्रमशः बेतिया राज, रामनगर राज एवं मधुबन-शिवहर परिवार का अधिकार था। ये सभी जमींदार सवर्ण हिन्दू थे। अंग्रेजों के अधीन वे सामंती भूमि व्यवस्था को जीवित रखने में कामयाब हुए। इस व्यवस्था को अंग्रेजों ने भरपूर पोषण दिया, क्योंकि यह उनकी लूटने-चूसने की नीति के अनुकूल थी।

1888 में बेतिया राज को कर्ज से उबारने के लिए राज के मैनेजर टी एम गिब्बन ने नीलहे अंग्रेजों की सिक्यूरिटी पर इंगलैण्ड से 475000 पौंड का कर्ज उपलब्ध कराया। इसकी सिक्यूरिटी की शर्त में यह शामिल था कि बेतिया राज स्थायी लीज पर नीलहों को जमीन देगा, बंगाल प्रोविंस के लेफ्टिनेंट गवर्नर की सलाह पर ही मैनेजर बहाल करेगा और गिब्बन बेतिया राज के मैनेजर बने रहेंगे। (सन् 1911 तक ब्रिटिश राज के तहत बिहार बंगाल प्रोविंस का हिस्सा था)

1917 आते-आते इनमें अनेक गांव अस्थायी या स्थाई लीज पर दे दिए गए

थे, जो आम तौर पर अंग्रेज कोठी वाले थे। अंग्रेज कोठी वालों ने बेतिया राज से ली गई लीज वाले रकबे को रैयतों की भूमि हड़प कर बढ़ाया।

1917 में चम्पारण कृषक जांच कमिटी के समक्ष दिए गए राजकुमार शुक्ल के बयान के अनुसार, साठी कोठी के पश्चिम में अवस्थित हिछोपाल गांव के निवासियों को जबरन भगा दिया और गांव की जमीन कोठी के जिरात में मिला ली गई। साठी कोठी के दक्षिण के गांव रायबरवा के सुन्दर खान और गुलाब खान की 60 बीघा जमीन जिरात में मिला ली गई थी। इन दोनों ने नील की खेती करने से मना कर दिया था और कोठी के जुल्म के खिलाफ लड़ते रहे थे।

मंझौलिया थाना के अहवर शेख गांव के कोपाल कोयरी ने 1917 में बयान दिया था। उनके पास 19 बीघा जमीन थी पर आज उनके वंशज-परिवार में मात्र 02 बीघा है।

अहवर गांव के बयानकर्ता धुर मियां के वंशज का आज भरापुरा परिवार है। 1917 में 28 बीघा जमीन थी। आज 40 बीघा है। उन्हें चार लड़के थे। चार पुत्रों के परिवार में आज 200 पुरुष और 185 महिलाएं हैं। बेतिया से 05 किमी दूर गुरवलिया गांव के तपेसर तेली और अन्य बयानकर्ताओं के वंशज गरीबी की हालत में जी रहे हैं। परिवार के सदस्य मजदूरी करते हैं।

अहवर के चितु तुरहा के वंशज-परिवार में अधिकांश पुरुष बाहर जाकर कमाते हैं। बूढ़ी कुसमी देवी को पेंशन भी नहीं मिलती।

बेतिया से 05 किमी. पूरब अवस्थित सिंगाछापर के बयानकर्ता महावीर ठाकुर के वंशजों ने बताया कि 05 रुपया मालगुजारी अदा नहीं करने के चलते उनकी दो बीघा जमीन नीलाम हो गई। 20 वर्षों तक मुकदमा चला। तब जाकर 02 बीघा जमीन हासिल हुई।

चम्पारण के किसानों की हालत में पिछले 100 वर्षों में क्या और कितना परिवर्तन आया है और आज उनकी हालत क्या है, यह जानना-समझना इस अध्ययन का उद्देश्य है। चम्पारण सत्याग्रह के समय यहां के किसान निर्भय थे। उन्होंने दारोगा की उपस्थिति में नीलहों के जुल्म के खिलाफ बयान लिखवाया था। पर आज हरिनगर चीनी मिल के फारम के पास के दो टोलों - बहुअरवा फारम मुसहर टोला और बहुबरवा कांटा - के गरीबों, खेत-मजदूर व बटाईदार किसानों की बकरियां मिल के सुपरवाइजर और सिपाही पकड़ कर ढाठ में डाल देते हैं। एक खेत मजदूर ने, जो मिल के फारम में काम करता है, साढ़े चार हजार रुपया कर्ज लेकर ढाठ से अपनी बकरी और पठरू छुड़ाए। एक महिला से मिल के सुपरवाइजर ने 250 रुपया लेकर उसकी बकरी छोड़ी। यह सब इसलिए हो रहा था ताकि खेत मजदूर, चीनी मिल की सीलिंग की जमीन को भूमिहीनों में बांटने की मांग में शामिल न हों।

बगहा क्षेत्र के गन्ना किसान बगहा चीनी मिल के तौल पर भरोसा नहीं करते। जब कुछ किसानों ने धर्मकांटा पर अपना गन्ना तौल करा उसकी रसीद चीनी मिल के कारिन्दों को दिखाते हुए पूछा कि दोनों तौल में अंतर क्यों है, तब चीनी मिल ने फरमान सुनाया कि बाहर के तौल कांटे से तौल की पुर्जी मान्य नहीं होगी। चीनी मिलें दूर-दराज - मुख्यतः गंडक नदी के दक्षिण-पश्चिम उत्तरप्रदेश से सटे चार अंचल - के किसानों का गन्ना निम्न स्तर का होने के कारण लेने से मना कर चुकी हैं। जबकि इस गन्ने का मूल्य सामान्य से 45 रु. क्विंटल कम है। आज भी अंग्रेजी काल का वह कानून जिन्दा है जिसके तहत किसानों पर आरक्षित क्षेत्र में गुड़ बनाने पर रोक है।

इस वर्ष (2017) के अगस्त माह में भयंकर बाढ़ आई। फसल बरबाद हुई। पर हर बार की तरह इस वर्ष भी बटाईदार किसानों को फसल की क्षति का मुआवजा या उसका हिस्सा नहीं मिला।

1917 के बयानकर्ता किसानों में शामिल अति-पिछड़े एवं अल्पसंख्यक समाज के वंशज-परिवारों में शिक्षा की हालत बेहद खराब है। गुरवलिया के नूर महम्मद (बयानकर्ता) के वंशजों में पहली बार एक लड़का और एक लड़की सातवें वर्ग में पहुंची है। आज गांव में शिक्षा की सरकारी व्यवस्था लचर हो चुकी है। लगभग 30 प्रतिशत शिक्षक अयोग्य हैं और 50 प्रतिशत कामचोर। छोटे किसान और खेतिहर मजदूर अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने के लिए मजबूर हैं। थोड़े खुशहाल लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। उनके नाम सरकारी विद्यालयों में भी चलते हैं। आधी-अधूरी पढ़ाई के लिए प्राइवेट स्कूल और भोजन, छात्रवृति सहित अन्य सुविधाओं के लिए सरकारी स्कूल।

चीनी मिलों के फारम पर काम करने के लिए 75-80 वर्ष पहले लाकर बसाए गये मुसहर और धांगड़ परिवारों के पास वासगीत का पर्चा नहीं है। वे 30-40 वर्ष पूर्व बने इन्दिरा आवास के खंडहरों के द्वार पर चादर तानकर पड़े रहने को अभिशप्त हैं।

चम्पारण सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष में खेत मजदूरों, बटाईदारों किसानों की हालत में परिवर्तन एक बड़ी चुनौती है। खेत मजदूरों के पास वास की भूमि नहीं है। सड़क, नहर की फुटपाथ-पटरी पर झोपड़ी में रहने वाले परिवारों के लिए स्वच्छता अभियान में स्पेस नहीं है। हां, ओडीएफ के लिए झोपड़ी हटाकर शौचालय बनाया जा सकता है।

परिस्थितियां चम्पारण को एक नहीं, अनेक सत्याग्रह का आमंत्रण दे रही है। लेकिन लोग डरे हुए हैं और सरकार शताब्दी वर्ष के आयोजनों तथा ओडीएफ की घोषणाओं में व्यस्त है।

चम्पारण में गोरे नीलवर किसानों से जबरन नील की खेती कराते थे। किसान 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती की उपज कर कोठियों में पहुंचाते थे। नील की खेती करनेवालों के साथ अंग्रेजों द्वारा बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जाता था। ऐसे ही बर्बर व्यवहारों से त्रस्त किसान राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर अप्रैल 1917 में महात्मा गांधी का पदार्पण चम्पारण की धरती पर हुआ। असह्य पीड़ा से परेशान किसान गांधीजी को अपना दुख सुनाने के लिए भारी संख्या में इकट्ठा हुए। उन्होंने निर्भय होकर अपने बयान दर्ज करवाए, जबकि उस दौर में 'लाल टोपी' देखकर लोग अपने किवाड़ बंद कर लेते थे।

आज 100 साल के बाद बयान दर्ज करानेवाले उन किसानों के घर हमलोगों ने ढूंढे और उनके वंशज-परिवार की वर्तमान स्थिति का पता किया।

चम्पारण में 69 नील की कोठियां थीं। सभी कोठियों के अपने-अपने गांव थे। सभी का किसानों पर दमनचक्र चलता था। बपही-पुतही, घोड़ही, फगुअही कई तरह के 'कर' किसानों से लिये जाते थे। मालगुजारी के चलते किसान खेत छोड़ देते थे। हर गांव में गोड़ाईत व कोठी के चमचे होते थे। वे हर गांव की खबर कोठी को देते रहते थे। जिस खेत को किसान अधिक खाद देकर तैयार करता था, उसकी खबर कोठी में हो जाती थी। घोड़े पर सवार कोठी का अंग्रेज जमीन के उपजाऊ टुकड़े पर नील बोने के लिए बाध्य करता था।

बेतिया-लौरिया पथ पर गुरुवलिया गांव के किसानों ने बयान दर्ज करवाया था। उन किसानों के वंशज-परिवार आज भी काफी गरीब है। बहुतों के पास मात्र घराड़ी भर की जमीन है, मकान भी खपड़ैल के हैं। गुरुवलिया गांव कुड़िया-कोठी के अन्तर्गत आता था। दिलेश्वर मिश्र उर्फ विनेश्वर मिश्र के वंशज बताते हैं कि "सौ साल पहले कुड़िया कोठी के अंग्रेज प्रभारी ने उनके घर पर आकर उन पर हंटर चलाया था। हंटर चलाते वक्त दिलेश्वर मिश्र ने उसका बाजू पकड़ लिया, जिससे उस अंग्रेज का रक्त-संचार बंद हो गया। वह घोड़े से गिरने को हुआ, तो दिलेश्वर मिश्र ने उसका बाजू छोड. दिया; वह हंटर नहीं चला सका, लेकिन मिश्र पर केस दर्ज हुआ। मालगुजारी के चलते नूरमहम्मद मियां को खेत छोड़नी पड़ी थी।"

मझौलिया के अहवर में बयान देने वाले पूर्वजों के वंशजों ने सौ साल पहले की कई चौंकाने वाली बात बताई। निलहों द्वारा लोगों को कोठी पर आने पर बन्धक बनाना, हिन्दू-मुस्लिम के बीच फूट डालना उस समय आम घटना थी। घुर मियां ने लालसरैया कोठी के साहेब से धनौती नदी पर आलमगंज और बनकट के बीच पुल बनाने का प्रस्ताव रखा था। साहेब ने कहा कि इलाके में पीपल का पेड़ जहां भी है उसे काटो, तो पुल बनेगा। पेड़ कटे, तभी ईंट-भट्ठा लगा, और पुल बना। उस समय हाथी पर बैठ कर कोठी का साहेब पुल देखने आया था।

बेतिया के नजदीक का गांव सिंघाछापर में किसानों ने बयान दर्ज करवाया था। उनके वंशजों ने बताया कि भोर के समय गोड़ाइत आकर उन्हें जगाता था। वह कहता था – "मेहरारू के पास टांग चढ़ाके सुतऽ तारऽ तब नील के खेत कम तैयार होई।" यह किस्सा दरोगा गादी (96साल) ने सुनायी – "सिंघाछापर गांव कुड़िया कोठी के अन्तर्गत आता था। कोठी का आंची साहेब गांव लुटवाने आया था। झेगंट साह कानू ने गड़ास उठाया तो नीलहा साहेब भाग गया। यहां के बच्चू सिंह ने निलहा साहेब पर हाथ चलाया था। इसी गांव की एक बढ़इन और एक तेलिन महिला कुड़िया कोठी में गांधीजी के पास अपना बयान दर्ज कराने गई थी, जो कुड़ियाकोठी के पास सड़क पर शिलापट्ट में दर्ज है। इनमें एक जगदीश शर्मा की परदादी थी। 1917 में गांधीजी रामशरण दूबे के घर पर आये थे। पकड़ी के पेड़ के पास...।"

सिंघाछापर के महावीर ठाकुर (बयानकर्ता) के वंशजों ने बताया – "5 रु. मालगुजारी अदा नहीं करने के चलते हमारी 2 बीघा जमीन नीलाम हो गयी। 20 वर्ष केस चला, तब जाकर अब जमीन हमलोगों की जोत में है।" उन्होंने सौ साल पहले की घटना सुनाई – "लौरिया अंचल के सुअरचाप के पांच किसानों ने अपना बयान दर्ज करवाया था। इनमें निधि राय किसानों के नेता थे। उनकी जमीन नीलहे कोठी वालों ने नीलाम कर दी थी। इनका घर साठी कोठी में पड़ता था। इनकी 8 बीघा जमीन मुरली खरकटवा (रामनगर) में थी, जिस पर कोठी वाले ने कब्जा कर लिया था। गांव के लोग रात में जाकर वहां से फसल लूट कर लाते थे। केस हुआ, तब जाकर जमीन पर कब्जा हुआ। बगल की गटियरिया कोठी से रोज रात में निधि राव को पकड़ने कोठी का अंग्रेज और 20-25 उसके आदमी आते थे। निधि राव एक दिन गड़ास लेकर दौड़ पड़े। अंत में मटियरिया कोठी ने हार मान ली। निधि राव का बरवा के गुलाब शेख तथा राजकुमार शुक्ल से संबंध था। निधि राव प्रजापति मिश्र के घर पर एक माह तक छुपे थे।

"साठी के नजदीक के जमुनिया गांव के किसानों ने भी बयान दर्ज करवाया था। बयानकर्ता सुकदेव मिश्र ने अपने लड़के से लक्ष्मी मिश्र के दरवाजे पर अभद्र व्यवहार करने के कारण कोठी के नीलहा साहेब को गोबर के मांद में दाब दिया था। इस कारण उन्होंने बक्सर जेल में डेढ़ साल की सजा काटी थी। जेल में उन्हें तेल पेराई का काम करना पड़ा था।"

मझौलिया के धेकराहां में गांधीजी दो बार पहुंचे थे। रामलाल पाण्डेय, मनोहर पाण्डेय ने बयान दर्ज करवाया था। जर्नादन पाण्डेय (91वर्ष) से बातचीत-

धेकराहां कोठी के अंगरेज ने गांधीजी पर झूठा मुकदमा कर दिया। इल्जाम था कि गांधीजी ने मेरी कोठी पर आकर अनाज का गोदाम फूंकवा दिया। गांधीजी दुबारा आए, बोले-दिखाओ कहां गोदाम में रखा अनाज जला है? कोठी के साहेब

ने कहा कि राख हवा में उड़ गयी है। इस पर गांधीजी एक बोरा जलाए और कहा कि बताइए राख कहां उड़ रही है। कोठी का साहब काफी लज्जित हुआ। गांधीजी सरिंसवा में खाना खाए थे और पैदल ही धेकराहां आए थे।

उजार तिवारी इस गांव के थे। दुबले-पतले व लम्बे थे। उन्होंने बयान दिया कि कोठी वाला मेरे शरीर का सारा खून व मांस पी-खा गया है, केवल हड्डी बची है। इसपर गांधीजी खूब ठहाका मारकर हंसे।

लालबाबू तिवारी ने बताया-निलहा धेकराहां में खेत का रेन्ट वसूलने आया था। रामलाल तिवारी ने कहा कि अभी गरीबी है, बाद में देंगे। इस पर कोठी के साहब ने रोल चला दिया। वह घोड़ा पर था पर रोल रामलाल तिवारी जी के नाक पर लगा। उनके हाथ में छड़ी थी। उन्होंने गट्टा पकड़कर उसे पांच छड़ी लगाई। इसकी पंचायती हुई। दूसरी कोठी का साहेब भी आया था। उसने रामलाल तिवारी से पूछा तो उन्होंने मालगुजारी नहीं दे पाने का कारण गरीबी बताया। दूसरी जगह का कोठी वाला ने धेकराहां कोठी के अंगरेज को कहा कि आप किसान की इज्जत नहीं करेंगे, तब आपकी इज्जत रैयत कैसे करेगा?

24 अप्रैल 1917 को बैरिया के लौकरिया में खेन्हर राव जी के दरवाजे पर गांधीजी, राजकुमार शुक्ल, ब्रजकिशोर प्रसाद एक घोड़ागाड़ी से पहुंचे थे। दूसरे इक्के पर खेन्हर राव व अन्य लोग प्रस्थान किए।

मि. हरगेल (बैरिया कोठी के साहेब) का दमनचक्र तेज हो गया था। राजमन कुर्मी की जमीन हड़प ली गई थी। तथा उनके बेटे को लठैतों ने जानवर की तरह पीटा। आते समय राजमन कुर्मी के जमीन की जांच हुई। उनके लड़के को गांधीजी ने देखा जिस पर मार पड़ी थी। वे इसके बाद बैरिया कोठी होते हुए लौकरिया पहुंचे। गांधीजी ने गाय का दूध और रोटी खाई। ठीक उसी बीच बेतिया का सबडिविजनल मजिस्ट्रेट लेविस पहुंचा। उसकी मौजूदगी में रैयतों ने निडर होकर बयान दिया। बैरिया कोठी के हरगेल साहब से गांधेजी की बातचीत हुई।

25 अप्रैल 1917 को सुबह बाबू खेन्हर राव के दरवाजे पर सभी लोगों ने स्नान भोजन किया तथा 11 बजे शिवराज करमैनी (नौतन) पहुंचे। उस समय भीत्त का खपड़ैल बैठका था।

खेन्हर राव के लड़के कौशल किशोर राव अगस्त क्रांति 1942 में गांव से लड़कों को लेकर बेतिया गये थे। उसी में जगरनाथपुरी को गोली लगी थी। यह परिवार यूपी से आया था, मात्र एक लड़का था, वह शहीद हुआ। शोक में माता-पिता का भी एक साल के अन्दर ही स्वर्गवास हो गया।

बखरिया गांव के बिहारी ततवा ने बयान दिया था। ततवा के पास घोड़ा था। कोठी के अंगरेज के पास भी घोड़ा था। उनके घर के सामने पोखरा था। इस पोखरा

का जलकर अंगरेज कोठी वालों ने मछली खाने के लिए मांग लिया। आज यह सरकार का हो गया है। सर्वे में यह पोखरा बिहारी ततवा के नाम से है। निलहे ने पोखरा लेकर बिहारी ततवा की मालगुजारी माफ कर दी थी।

सोमगढ़ गांव-साठी कोठी के बयानकर्त्ता सलामत खां के परिवार वालों ने बताया- इस कोठी का साहेब दूसरी कोठी में भी काम करने के लिए सोमगढ़ गांव के लोगों को भेज देता था।

पूर्वी चम्पारण का सोनवल गांव सिरनी कोठी के अन्तर्गत आता था। वहां भी कोठी के निलहा किसानों को काफी यातनाएं देता था।

गेहूं के लिए खेत तैयार था, किसान गेहूं बोना चाहते थे, कोठी का अंगरेज नील बोना चाहता था। वह घोड़ा पर सवार होकर सोनवल आया। गांव के ही कुछ लोग खबरीलाल थे, जिन्होंने खबर कर दी थी कि खेत तैयार है। वह दस हल-बैल लेकर नील बोने खेत पर आया। मीर अब्दुल खेत पर आए, निहोरा किया पर नहीं माना तो धीरे-धीरे घोड़ा के पास गये तथा तलवार से अंगरेज की बांह काट दिए। बैल लेकर कोठी का साहब भागा। गांव के लोग काफी डर गए। गांव बचाने के लिए मोतिहारी कोर्ट में हाजिर हो गए।

मोतिहारी जेल में एक नट था। वह ताली बजाकर साथ के कैदियों को ललकारता था कि कौन हमसे लड़ेगा? मीर अब्दुल ने यह बात सुनी, जेलर से आज्ञा लेकर लड़े और उसे चित कर नट की एक बांह तोड़ दी। उनकी सजा छह माह बढ़ा दी गई। कुछ दिनों बाद वे जेल की चहारदिवारी लांघकर नेपाल चले गए। कभी-कभी गांव आते थे। एक बार घर आए उसी वक्त छापा पड़ा तो साड़ी पहनकर भाग गए तब से वे नेपाल से नहीं आए।

निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि चम्पारण में नीलहों का आतंक चरम पर था। हर गांव में यातना की अपनी-अपनी कहानी थी। पर अनेक किसानों ने नीलहों के जुल्म का प्रतिकार भी किया था।

रामखेलावन सिंह (बयानकर्ता, प्रखंड-चनपटिया) के परपोते किशोरी सिंह (उम्र 61 वर्ष) से बातचीत, चौबेटोला : यह गांव लोहियरिया कोठी के अन्तर्गत आता था। किशोरी सिंह ने बताया कि रामखेलावन सिंह के लड़के ने पैखाना कर लोहियरिया कोठी के पोखर का पानी छू लिया। कोठी की मेम साहब ने देख लिया। कोठी के दो गुमाश्ते उसे पकड़ने के लिए दौड़े। लड़का भागकर, गोठउल में गोहरा के नीचे छुप गया। खोज हुई, और उसको पकड़कर कोठी में लाया गया। रामखेलावन सिंह ने जुर्माना देकर छुड़ाया। किशोरी सिंह के कथनानुसार, उनकी कुछ जमीन कोठी द्वारा नीलाम कर दी गई थी।

गांधी जी को अपना दु:ख और पीड़ा दर्ज कराने वाले किसानों और मजदूरों

के परिवारों से मिलकर उनकी स्थिति जानने का प्रयास किया गया जिसमें योगापट्टी अंचल के बलुआ गांव के गुठन महतो ने बताया कि उनके दादा श्री रामलगन कोइरी जब अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाये तो कोठी को नुकसान पहुँचाने का काम किये थे, यह बातें उन्होने सुनी थी। गुठन महतो मुख्यत: खेती करने का कार्य करते हैं लेकिन आय का मुख्य श्रोत बाहर जाकर मजदूरी करना है। वहीं बैरिया अंचल के पुजाहाँ निवासी घमण्डी मुखिया जिनके पूर्वज तपेश्वर बिन्द जो बेतिया गये थे लेकिन अपना बयान दर्ज कराये थे कि नहीं यह मालूम नहीं है।

खेती की जमीन गंडक नदी के कटाव के कारण नदी में चली गयी है जिससे खेती ना के बराबर होती है, शिक्षा का हाल भी काफी दयनीय है क्योकि इनके यहां का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति सातवाँ पास है। पूजहाँ के ही गोपी मल्लाह के वंशज विपद चौधरी गांधी जी के साथ गये थे लेकिन बयान दर्ज कराये थे इसकी जानकारी नहीं है। इनका मुख्य पेशा मछली पकड़ना है और घर के नौजवान बाहर पलायन कर रहे हैं। वहीं शिवगोविन्द के वंशज मेधा चौधरी बताते हैं, कि वह अपने दादा जी के साथ बेतिया गये थे, वहाँ पर भीड़ थी लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आज मेधा चौधरी गंडक नदी के बांध पर अपना जीवन बिता रहे हैं।

बैरिया अंचल के ही पखानहा गांव के निवासी अलाउद्दीन मियाँ के वंशज फूल नेशा को किसी प्रकार की जानकारी नहीं है, सिलाई और मजदूरी इनका पेशा है। यहीं के अबदुल्ला खाँ के वंशज दयीयान खाँ बताते हैं कि गांधी जी के आंदोलन में उनके दादा जी ने भाग लिया था, वह अपने दादा जी से सुने थे।

दयीयान खाँ एक सेवानिवृत शिक्षक हैं। गंडक के कटाव के चलते खेती की ज्यादातर भूमि नदी में चली गयी है। पखानहा के ही अबदुल रहमान के वंशज अतिउल्लाह खाँ बताते हैं कि आंदोलन में उनके दादा जी गये थे वह सुने थे। पेशे से अतिउल्लाह खाँ जनवितरण प्रणाली के दुकानदार हैं। अच्छी शिक्षा के लिए बच्चों को बेतिया जाना पड़ता है। खेती की समस्या नदी के कटाव के कारण बनी रहती है।

गांधी जी को अपना बयान दर्ज कराने वाले व्यक्तियों के वंशजों की स्थिति आज भी 100 साल पहले वाली स्थिति से काफी मिलती-जुलती है।

निलहों के जाने के बाद मिलहों का राज कायम है, किसानों को उनके फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इसमें भी दलित और महिलाओं की स्थिति काफी खराब है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई और भूमि की समस्या बनी हुई हैं। आज लगभग 2 लाख परिवारों को विभिन्न प्रकार के पर्चे सरकार द्वारा दिये गए हैं, लेकिन उन पर कब्जा ना के बराबर है। भूमि का वितरण आज भी चम्पारण की समस्या बनी हुई है। चीनी मिल और रसूखदार अवैध कब्जाधारियों के सरकार में पहुँच के चलते गरीब किसान-मजदूरों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। शिक्षा के लिए जो 53 जगहों

पर नयी तालिम बुनियादी विद्यालय की स्थापना की गयी थी, आज सिर्फ नाम के हैं। वहाँ पर श्रम-कौशल विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। चनपटिया अंचल के वृन्दावन में बुनियादी विद्यालयों के संस्थापक एवं स्वतंत्रता सेनानी प्रजापति मिश्र ने वृन्दावन आश्रम के लिए दान में 102 बीघा जमीन प्राप्त की थी। खादी-वस्त्र, ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना और गोसेवा के लिए प्राप्त यह जमीन छिन्न भिन्न हो गयी। नवोदय विद्यालय के लिए 35 एकड़ जमीन ले ली गयी। ट्रस्ट की शेष जमीन को एक बड़े दान-दाता के परिवार वाले गैरकानूनी ढंग से बेच रहे हैं। सफाई और स्वच्छता की दशा तो कहना ही बेमानी होगा क्योंकि आज भी चम्पारण के अधिकांश गांव कूड़े के ढेर पर स्थित है, सड़कें शौचालय का काम कर रही हैं। व्यक्तिगत शौचालय के मुकाबले सामुदायिक शौचालय ज्यादा उपयोगी साबित हो सकेगा। गरीब परिवार के पास वास भूमि की कमी, पानी का अभाव और शौच के लिए बाहर जाने की लगी लत के कारण व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण असफल साबित हो रहा है। गांधीजी मोतीहारी से बेतिया पहुंचे। तत्कालीन बेतिया सब डिवीजन में किसानों का बयान दर्ज करने, स्वंयसेवकों-सहयोगियों से विमर्श करने तथा भोजन एवं ठहराव के लिए हजारीमल धर्मशाला केन्द्र बना। धर्मशाला के संस्थापकों के वंशजों ने इसे एक व्यापारिक केन्द्र के रूप में बदल दिया है। बिहार सरकार का यह कर्तव्य है कि वह धर्मशाला के शेष पुराने ढाँचे को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित करे। आज फिर चम्पारण गांधी को खोज रहा है शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई तथा भूमि वितरण के लिए सत्याग्रह कर गरीबों को हक दिलाने और सम्मान पूर्वक जीने के लिए। हम तभी चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष मनाने के हकदार होंगे जब चम्पारण के गरीब भूमिहीनों, विस्थापितों को भूमि, शुद्ध पेयजल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अच्छी चिकित्सा तथा खुले में शौच से मुक्ति दिलाने का कार्य पूरा करें, जो गांधी का सपना था।

चम्पारण सत्याग्रह की 100वीं वर्षगांठ पर बिहार और झारखण्ड के मित्रों ने यह तय किया था कि गांधी के 'नील सत्याग्रह' की प्रक्रिया, परिणाम और प्रभाव पर एक अध्ययन किया जाए। इसके लिए चम्पारण (पूर्वी और पश्चिमी) के 100 वैसे परिवारों, जिनने उक्त सत्याग्रह के दौरान अपनी भागीदारी निभाई और निर्भयतापूर्वक गांधी तथा उनके सहयोगियों के समक्ष अपना बयान दर्ज करवाया, के अद्यतन स्थिति का अध्ययन किया जाए। चम्पारण के कुछ साथियों ने यह बीड़ा उठाया और सर्वश्री हेमन्त और पंकज ने इस अध्ययन का मार्गदर्शन किया। निर्धारित लक्ष्य तक तो साथी पहुंच नहीं पाए क्योंकि पूर्वजों के वंशजों को खोज पाना एक दुरूह काम था। हम 72 परिवारों तक ही पहुंच पाए। इनमें से सात दलित बयानकर्ताओं जो सभी एक ही गांव माधोपुर, अंचल मझौलिया के थे, के वंशजों की पड़ताल नहीं हो सकी। वे

वर्षों पूर्व गांव छोड़कर जा चुके हैं तथा चार बयानकर्ता नावल्द थे। उनका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का आकलन किया गया है। यह आकलन निम्न 4 तालिकाओं में संयोजित किया गया है।

तालिका-1 में 61 परिवारों के पूर्वजों के वंशज की जानकारी दी गई है तथा वे किस गांव के हैं, इसका भी पता लगा कर लिखा गया है। इसी तालिक में सामाजिक स्थिति का आकलन भी है और यह तथ्य बहुत ही दिलचस्प है कि कुल 61 परिवारों में से 25 पिछड़ा परिवारों से, 10 अति-पिछड़ा से आते हैं, 1 दलित से, 20 अगड़े तथा 5 अन्य (अज्ञात) परिवार से हैं। 20 अगड़े परिवारों में से 7 अगड़ा-मुस्लिम परिवार से तथा 13 अगड़ा हिन्दू परिवार से आते हैं। यानी यह कहा जा सकता है कि उक्त सत्याग्रह में समाज के हरेक समुदाय की सक्रिय भागीदारी थी और सबों ने एक स्वर से गांधी के नेतृत्व में विश्वास किया था।

तालिका- 2 में बयानकर्ताओं के वंशजों की शैक्षणिक स्थिति का आकलन किया गया है। सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि उनके वंशजों की शैक्षणिक स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। पहले जो बिलकुल अनपढ़ थे और अंगूठे का निशान लगाते थे, उन परिवारों के अधिकांश वंशज अब साक्षर हो गए हैं और सामान्यतया पढ़ना-लिखना जान गए हैं। एक परिवार में पहली बार बच्चे स्कूल जाना शुरू किए हैं।

तालिका-3 में आर्थिक स्थितियों का आकलन किया गया है। सर्वेक्षणकर्ताओं ने यह पाया कि गांधी के सत्याग्रह के दौरान उनकी जैसी आर्थिक स्थिति थी, उनमें कोई खास बदलाव नहीं आया। कुछ परिवार जो उस समय खेतीहर मजदूर थे, उनके वंशज आज भी भूमिहीन हैं।

इन परिवारों में से अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, जिनके पास रहने लायक जमीन तो है, लेकिन अभी भी उनको जमीन का पट्टा मुहैया नहीं कराया गया है। इसलिए वे सब अभी भी गांधी के सत्याग्रह के रास्ते चल कर तिरंगा लहराते हुए तिरंगा सत्याग्रह कर रहे हैं और जमीन पर अपना पट्टा पाने हेतु संघर्षरत हैं। इनमें से कई वर्ष 2017 में यानी गांधी के 100वें सत्याग्रह सदी पर महीनों जेल में रहे हैं।

इस अर्थ में गांधी का सत्याग्रह आज भी सार्थक और प्रासंगिक है।

तालिका-1

क्र.	पूर्वज	वंशज	संबंध	गांव	सामाजिक स्थिति
1.	नूरमहमद मियां	जोखू मियां, झापस मियां	परदादा	गुरवलिया	पिछड़ा
2.	तपेसर तेली	विद्या साह, श्यामनन्दन साह	परदादा	गुरवलिया	पिछड़ा
3.	रमरुच महतो उर्फ मुनेसर महतो	जोखू महतो	परदादा	गुरवलिया	पिछड़ा
4.	दिलेसर मिश्र उर्फ विनेश्वर मिश्र	रजनीश मिश्र , संजीव मिश्र, मुकेश मिश्र	परदादा	जोकहाँ (गुरवलिया)	अगड़ा
5.	विशन कुर्मी	विनोद राऊत, उमेश राऊत	परदादा	गुरवलिया	पिछड़ा
6.	लक्ष्मण बरई	रामबाबू चौरसिया, विनोद चौरसिया	परदादा	अहंवर	अतिपिछड़ा
7.	शिवचन्द्र कुर्मी	अम्बिका प्रसाद	परदादा	अहंवर	पिछड़ा
8.	चितु तुरहा	यादवलाल साह उर्फ घेघी साह	परदादा	अहंवर	पिछड़ा
9.	रामटहल महतो, पिता - तपसी प्रसाद	चनरमन प्रसाद	दादा	अहंवर शेख	पिछड़ा
10.	कोदई कोयरी	शंकर महतो	नाना	अहंवर	पिछड़ा
11.	गोपाल कोयरी, पिता - तपी कोयरी	कन्हैया प्रसाद	नाना	अहंवर	पिछड़ा
12.	घूर मियाँ, पिता-निचन मियाँ	साहेबजान मियाँ	परपोता	अहंवर	पिछड़ा
13.	अकलु मियाँ	वजीर मियाँ	दादा	अहंवर	पिछड़ा
14.	केवल राऊत	दारोगा राऊत	परदादा	सिंगाछापर	पिछड़ा
15.	गोवर्धन	शिवधर गदी	परपोता	सिंगाछापर	पिछड़ा
16.	महावीर ठाकुर	भगवान ठकुर	परपोता	सिंगाछापर	पिछड़ा
17.	धीरज राऊत, पिता- पूरन राऊत	विनोद पटेल	परपोता	सिंगाछापर	पिछड़ा
18.	रामानुज दुबे, पिता - द्वारिका दुबे	भूपकिशोर दुब	परपोता	सुअरचाप	अगड़ा

19.	साधु उपाध्याय	विनोद उपाध्याय	पोता	सुअरचाप	अगड़ा
20.	रामौतार पाण्डेय	माला पाण्डेय	परपोती	सुअरचाप	अगड़ा
21.	निधि राव	जयनारायण राव	परपोता	सुअरचाप	अगड़ा
22.	बालगोविन साह	रमाकान्त साह	परपोता	सुअरचाप	पिछड़ा
23.	सुकदेव मिश्र	हरेन्द्र मिश्र, राधेश्याम मिश्र	परपोता	जमुनिया	अगड़ा
24.	विंध्यवासिनी प्रसाद	शान्ति देवी,पति - शशिसुमन	परपोती	जमुनिया	अगड़ा
25.	रामलाल पाण्डेय	शक्तिनाथ तिवारी	परनाती	धोकराहा	अगड़ा
26.	सहदेव चौधरी	धुरेन्द्र राय	परनाना	सिंगाछापर	अगड़ा
27.	खेन्हर राव	रामजी राय	पोता	लौकरिया	अगड़ा
28.	मुस्मात वतनिया	लालसरैया मठ पर साधुनी थी		लालसरैया	
29.	बिहारी ततवा	मदन दास	परपोता	लालसरैया	दलित
30.	सलामत खाँ	फरजान खाँ	परपोता	सोमगढ़	पिछड़ा
31.	रसूल खाँ	नावल्द		सोमगढ़	
32.	बोधमन राऊत	दुखनी देवी	बेटी	गोपालपुर	
33.	रघुनन्दन तेली	शिवशंकर साह	परपोता	सतवरिया	पिछड़ा
34.	बांगुर मियाँ	आलम मियाँ	पोता	सतवरिया	पिछड़ा
35.	द्वारका साह	राजेश जयसवाल	परपोता	सतवरिया	पिछड़ा
36.	म. अली	रैसुल आजम	परपोता	सतवरिया	पिछड़ा
37.	नवधारी मिश्र	श्रीकान्त मिश्र	परपोता	सोनवल	अगड़ा
38.	रामप्रसाद बरई	विक्रम भगत, कैलास भगत	परदादा	सोनवल	अतिपिछड़ा
39.	मीर अब्दुल	मीर शमशुल जोहा	परदादा	सोनवल	पिछड़ा
40.	रामराज मिश्र	अरविन्द मिश्र	परदादा	सोनवल	अगड़ा
41.	रामलगन बरई	अशोक कु. चौरसिया	परदादा	सोनवल	पिछड़ा
42.	बादर बरई	भरत प्रसाद सिन्हा	परदादा	सोनवल	अतिपिछड़ा
43.	गनपत बरई	लालबाबू भगत	परदादा	सोनवल	अतिपिछड़ा

44.	रामप्रसाद बरई	रामबरन भगत	परदादा	सोनवल	अतिपिछड़ा
45.	शिवराज पाण्डेय	मुन्ना पाण्डेय	दादा	सोनवल	अगड़ा
46.	मैना लोहार	अमरेश कुमार	परदादा	सोनवल	अतिपिछड़ा
47.	रामलगन कोईरी	गुठन महतो	दादा	बलुआ	पिछड़ा
48.	राजकुमार	चन्द्रमा चौधरी	दादा	पुजहा	अतिपिछड़ा
49.	तपेसर बिन्द	घमण्डी मुखिया	दादा	पुजहा	अतिपिछड़ा
50.	गोपी मल्लाह	विपत चौधरी	दादा	पुजहा	अतिपिछड़ा
51.	द्वारिका कलवार	विश्वनाथ साह	दादा	पुजहा	पिछड़ा
52.	शेख सुभान	शेख आरस	दादा	पुजहा	अगड़ा
53.	शिवगोविन्द	मेघा चौधरी	पिता	पुजहा	अतिपिछड़ा
54.	गुलाम रसूल	नजाम खाँ	दादा	पखनाहा	अगड़ा
55.	अब्दुल रहमान	अतिउल्लाह खाँ	दादा	पखनाहा	अगड़ा
56.	अब्दुल करीम	शेख तनवीर	परदादा	पखनाहा	अगड़ा
57.	अब्दुल हुसैन	दयीयान खाँ	दादा	पखनाहा	अगड़ा
58.	अदालत खाँ	मुस. कुरैशा खातून	ससुर के भाई	पखनाहा	अगड़ा
59.	अलाउद्दीन मियाँ	फुलनेशा	ससुर के पिता	पखनाहा	अगड़ा
60.	राजकुमार शुक्ल	मणिभूषण राय	नाती	सतवरिया	
61.	रामखेलावन सिंह	किशोरी सिंह	परपोता	चौबेटोला	
पिछड़ा-25, अतिपिछड़ा-10, दलित-1, अगड़ा-20 (7 अगड़ा-मुस्लिम + 13 अगड़ा-हिन्दू) अन्य-(अज्ञात)-5					

तालिका-2

क्र.	पूर्वज	वंशज	न्यूनतम योग्यता प्राप्त व्यक्ति	अधिकतम योग्यता प्राप्त व्यक्ति
1.	नूरमहमद मियां	जोखू मियां, झापस मियां	झापस मियां	लाल बाबू मियां
2.	तपेसर तेली	विद्धा साह, श्यामनन्दन साह	-	-

3.	रमरुच महतो उर्फ मुनेसर महतो	जोखू महता		
4.	दिलेसर मिश्र उर्फ विनेश्वर मिश्र	रजनीश मिश्र , संजीव मिश्र, मुकेश मिश्र	मुकेश मिश्र	रजनीश मिश्र
5.	विशन कुर्मी	विनोद राऊत, उमेश राऊत	रमेश राऊत	उमेश राऊत
6.	लक्षमण बरई	रामबाबू चौरसिया , विनोद चौरसिया		रामबाबू चौरसिया
7.	शिवचन्द्र कुर्मी	अम्बिका प्रसाद	जितेन्द्र पटेल	नीलेश कुमार एमए
8.	चितु तुरहा	यदावलाल साह उर्फ घेघी साह	कुशुमी देवी	गुड्डू कुमार
9.	रामटहल महतो, पिता - तपसी प्रसाद	चनरमन प्रसाद	बिन्दु देवी	प्रमोद कुमार, स्नातक
10.	कोदई कोयरी	शंकर महतो	राबड़ी देवी	सुरेन्द्र प्रसाद
11.	गोपाल कोयरी, पिता - तपी कोयरी	कन्हैया प्रसाद	मुन्ना प्रसाद	लालबाबू प्रसाद
12.	घूर मियाँ, पिता - निचन मियाँ	साहेबजान मियाँ	हाफिज उल	जाकिर हुसैन
13.	अकलु मिया	वजीर मियाँ	तबरेज	कौसर अली
14.	केवल राऊत	दारोगा राऊत	नूर आलम	रईस आलम
15.	गोवर्धन	शिवधर गदी	फूलमान गदी	मंजूर गदी स्नातक
16.	महावीर ठाकुर	भगवान ठकुर	प्रेमशीला देवी	गंगासागर
17.	धीरज राऊत, पिता - पूरन राऊत	विनोद पटेल	चन्द्रिका पटेल	विवेक कुमार
18.	रामानुज दुबे, पिता- द्वारिका दुबे	भूपकिशोर दुबे	शारदा देवी	मुकेश कुमार
19.	साधु उपाध्याय	विनोद उपाध्याय	सुधांशु कुमार	त्रिपुरारि शरण उपाध्याय
20.	रामौतार पाण्डेय	माला पाण्डेय	प्रभास पाण्डेय	पदमेश पाण्डेय
21.	निधि राव	जयनारायण राव	उमा राव	जयनारायण राव
22.	बालगोविन साह	रमाकान्त साह	मुन्ना साह	सुनील कुमार
23.	सुकदेव मिश्र	हरेन्द्र मिश्र, राधेश्याम मिश्र	मुन्ना कु० मिश्र	संजय कु० मिश्र

24.	विंध्यवासिनी प्रसाद	शान्ति देवी,पति – शशिसुमन	नीरज प्रसाद	ममता श्रीवास्तव
25.	रामलाल पाण्डेय	शक्तिनाथ तिवारी	मुकेश तिवारी	प्रदीप तिवारी
26.	सहदेव चौधरी	धुरेन्द्र राय	ओमप्रकाश राय	धुरेन्द्र राय
27.	खेन्हर राव	रामजी राय	संजय कुमार राव	विजय कुमार राव
28.	मुस्मात वतनिया	लालसरैया मठ पर साधुनी थी		
29.	बिहारी ततवा	मदन दास	भिखम दास	प्रमोद दास
30.	सलामत खाँ	फरजान खाँ	नसीम अहमद	फरजान खाँ
31.	बोधमन राऊत	दुखनी देवी		
32.	लखिया मुस्मात	नावल्द		
33.	रघुनन्दन तेली	शिवशंकर साह	पननलाल सह	शिवशंकर साह
34.	बांगुर मियाँ	आलम मियाँ	मस्जिद मियाँ	इस्लाम मियाँ
35.	द्वारका साह	राजेश जायसवाल	राजकुमारी देवी	राजेश जायसवाल
36.	म. अली	रैसुल आजम	म. यूसुफ	रेसूल आजम
37.	नवधारी मिश्र	श्रीकान्त मिश्र	चन्द्रभूषण मिश्र	श्रीकान्त मिश्र
38.	रामप्रसाद बरई	विक्रम भगत, कैलास भगत	जितेन्द्र भगत	सचिन कुमार
39.	मीर अब्दुल	मीर शमशूल जोहा	मीर शमशुल जोहा	सेयाल आलम
40.	रामराज मिश्र	अरविन्द मिश्र	अरविन्द मिश्र	सुमित कुमार
41.	रामलगन बरई	अशोक कु. चौरसिया		
42.	बादर बरई	भरत प्रसाद सिन्हा	ओमप्रकाश	अशोक चौरसिया
43.	गनपत बरई	लालबाबू भगत	मंजु देवी	आदेश कुमार
44.	रामप्रसाद बरई	रामबरन भगत	अजित कुमार	सुधाकर कुमार
45.	शिवराज पाण्डेय	मुन्ना पाण्डेय		मुन्ना पाण्डेय
46.	मैना लोहार	अमरेश कुमार	सिंगासन ठाकुर	अमरेश कुमार
47.	रामलगन कोईरी	गुठन महतो		
48.	राजकुमार	चन्द्रमा चौधरी	रमेश चौधरी	नरेश चौधरी
49.	तपेसर बिन्द	घमण्डी मुखिया		

50.	गोपी मल्लाह	विपत चौधरी		बालखिला
51.	द्वारिका कलवार	विश्वनाथ साह	नितेश कुमार	मुकेश कुमार
52.	शेख सुभान	शेख आरस	शेख इम्तेयाज	शेख रेयाज
53.	शिवगोविन्द	मेघा चौधरी	प्रभावती	प्रतिमा
54.	गुलाम रसूल	नजाम खाँ	सीमा खातून	मजरूल हक
55.	अब्दुल रहमान	अतिउल्लाह खाँ	वाहिद एकबाल	आबिद एकबाल
56.	अब्दुल करीम	शेख तनवीर	शेख अफसर	शेख हाशिब
57.	अब्दुल हुसैन	दयीयान खाँ	सफिकुल हसन	जेब अख्तर
58.	अदालत खाँ	मुस. कुरैशा खातून		फिरोज खाँ
59.	अलाउद्दीन मियाँ	फुलनेशा	राजू	अफसाना खातून
60.	राजकुमार शुक्ल	मणिभूषण राय		माधुरी कुमारी एम.ए. कर रही हैं।
61.	रामखेलावन सिंह	किशोरी सिंह	किशोरी सिंह	मनोज कुमार सिंह

तालिका-3

क्र.	पूर्वज	वंशज	पूर्वज की स्थिति	वंशज की अद्यतन स्थिति		
				पेशागत स्थिति	खेती की जमीन का रकबा	आर्थिक स्थिति
1.	नूरमहमद मियां	जोखू मियां, झापस मियां	खेतिहर मजदूर	खेतिहर मजदूर	भूमिहीन	मौसमी रोजगार
2.	तपेसर तेली	विद्धा साह, श्यामनन्दन साह	खेतिहर मजदूर	खेतिहर मजदूर	भूमिहीन	मौसमी रोजगार
3.	रमरुच महतो उर्फ मुनेसर महतो	जोखू महतो	किसान	किसान	1 बीघा 20 कट्ठा	मौसमी रोजगार
4.	दिलेसर मिश्र उर्फ विनेश्वर मिश्र	रजनीश मिश्र, संजीव मिश्र, मुकेश मिश्र	किसान	किसान		

5.	विशन कुर्मी	विनोद राऊत, उमेश राऊत	खेतिहर मजदूर	खेतिहर मजदूर	भूमिहीन	मौसमी रोजगार
6.	लक्ष्मण बरई	रामबाबू चौरसिया, विनोद चौरसिया	किसान	किसान	20 बीघा	नियमित रोजगार
7.	शिवचन्द्र कुर्मी	अम्बिका प्रसाद	किसान	किसान	9 बीघा	नियमित रोजगार
8.	चितु तुरहा	यदावलाल साह उर्फ घेघी साह	खेतिहर मजदूर	खेतिहर मजदूर	भूमिहीन	मौसमी रोजगार
9.	रामटहल महतो, पिता - तपसी प्रसाद	चनरमन प्रसाद	किसान	किसान	ढाई बीघा	मौसमी रोजगार
10.	कोदई कोयरी	शंकर महतो	खेतिहर मजदूर	खेतिहर मजदूर	1 बीघा	मौसमी रोजगार
11.	गोपाल कोयरी, पिता - तपी कोयरी	कन्हैया प्रसाद	किसान		2 बीघा	मौसमी रोजगार
12.	घूर मियाँ, पिता - निचन मियाँ	साहेबजान मियाँ	किसान	किसान	40 बीघा	नियमित रोजगार
13.	अकलु मियाँ	वजीर मियाँ	खेतिहर मजदूर	खेतिहर मजदूर	3 कठ्ठा	मौसमी रोजगार
14.	केवल राऊत	दारोगा राऊत	किसान	किसान	2 बीघा	मौसमी रोजगार
15.	गोवर्धन	शिवधर गदी	अन्य	अन्य	भूमिहीन	मौसमी रोजगार
16.	महावीर ठाकुर	भगवान ठकुर	किसान	किसान	2 बीघा	मौसमी रोजगार
17.	धीरज राऊत, पिता - पूरन राऊत	विनोद पटेल	किसान	किसान	10 बीघा	किसानी कार्य
18.	रामानुज दुबे, पिता - द्वारिका दुबे	भूपकिशोर दुबे	किसान	किसान	32 बीघा	किसानी कार्य
19.	साधू उपाध्याय	विनोद उपाध्याय	किसान	किसान	5 बीघा	किसानी कार्य
20.	रामौतार पाण्डेय	माला पाण्डेय	किसान	किसान	5 बीघा	किसानी कार्य
21.	निधि राव	जयनारायण राव	किसान	किसान	6 बीघा	नियमित रोजगार

22.	बालगोविन साह	रमाकान्त साह	किसान	किसान	3 बीघा	नियमित रोजगार
23.	सुकदेव मिश्र	हरेन्द्र मिश्र, राधेश्याम मिश्र	किसान	किसान	4 बीघा	नियमित रोजगार
24.	विंध्यवासिनी प्रसाद	शान्ति देवी, पति - शशिसुमन	किसान	किसान	2 ½ बीघा	किसानी कार्य
25.	रामलाल पाण्डेय	शक्तिनाथ तिवारी	किसान	किसान	2 बीघा	किसानी कार्य
26.	सहदेव चौधरी	धुरेन्द्र राय	किसान	किसान	2 बीघा	किसानी कार्य
27.	खेन्हर राव	रामजी राय	किसान	किसान	30 एकड़	नियमित रोजगार
28.	मुस्मात वतनिया	लालसरैया मठ पर सधूनी थी	किसान	किसान	2 बीघा	
29.	बिहारी ततवा	मदन दास	किसान	खेतिहर मजदूर	40 कठ्ठा	मौसमी रोजगार
30.	सलामत खाँ	फरजान खाँ	किसान	किसान	1 बीघा	नियमित रोजगार
31.	रसूल खाँ	नावल्द	किसान	किसान		
32.	बोधमन राऊत	दुखनी देवी	अन्य			
33.	रघुनन्दन तेली	शिवशंकर साह	अन्य	किसान		मौसमी रोजगार
34.	बांगुर मियाँ	आलम मियाँ	खेतिहर मजदुर	किसान	1 बीघा	मौसमी रोजगार
35.	द्वारका साह	राजेश जयसवाल	किसान	किसान	4 बीघा	नियमित रोजगार
36.	म. अली	रैसुल आजम	किसान	किसान	16 बीघा	मौसमी रोजगार
37.	नवधारी मिश्र	श्रीकान्त मिश्र	किसान	किसान	1बीघा 17 कठ्ठा 18 धुर	मौसमी रोजगार
38.	रामप्रसाद बरई	विक्रम भगत, कैलास भगत	किसान	किसान		मौसमी रोजगार
39.	मीर अब्दुल	मीर शमशुल जोहा	खेतिहर मजदूर	खेतिहर मजदूर	21 कठ्ठा	मौसमी रोजगार
40.	रामराज मिश्र	अरविन्द मिश्र	किसान	किसान	2 बीघा	नियमित रोजगार
41.	रामलगन बरई	अशोक कु. चौरसिया	किसान	किसान	6 बीघा	

42.	बादर बरई	भरत प्रसाद सिन्हा	किसान	किसान		नियमित रोजगार
43.	गनपत बरई	लालबाबू भगत	किसान	किसान	13 बीघा	नियमित रोजगार
44.	रामप्रसाद बरई	रामबरन भगत	किसान	किसान	10 बीघा	मौसमी रोजगार
45.	शिवराज पाण्डेय	मुन्ना पाण्डेय	किसान	किसान	1 ½ बीघा	मौसमी रोजगार
46.	मैना लोहार	अमरेश कुमार	अन्य	अन्य	10 कठ्ठा	नियमित रोजगार
47.	रामलगन कोईरी	गुठन महतो	किसान	किसान		नियमित रोजगार
48.	राजकुमार	चन्द्रमा चौधरी	किसान	किसान	1 एकड़ 2 कठ्ठा	मौसमी रोजगार
49.	तपेसर बिन्द	घमण्डी मुखिया	किसान	किसान	7 एकड़	मौसमी रोजगार
50.	गोपी मल्लाह	विपत चौधरी	किसान	किसान	3 एकड़	मौसमी रोजगार
51.	द्वारिका कलवार	विश्वनाथ साह	किसान	अन्य	भूमिहीन	नियमित रोजगार
52.	शेख सुभान	शेख आरस	किसान	किसान	2 एकड़	मौसमी रोजगार
53.	शिवगोविन्द	मेघा चौधरी	खेतिहर मजदूर	खेतिहर मजदूर	भूमिहीन	मौसमी रोजगार
54.	गुलाम रसूल	नजाम खाँ	किसान	शिल्पकार	भूमिहीन	नियमित रोजगार
55.	अब्दुल रहमान	अतिउल्लाह खाँ	किसान	किसान	5 एकड़	नियमित रोजगार
56.	अब्दुल करीम	शेख तनवीर	किसान	किसान	2 एकड़	मौसमी रोजगार
57.	अब्दुल हुसैन	दयीयान खाँ	किसान	किसान	4 एकड़	नियमित रोजगार
58.	अदालत खाँ	मु. कुरैशा खातून	किसान	अन्य	भूमिहीन	मौसमी रोजगार
59.	अलाउद्दीन मियाँ	फुलनेशा	किसान	अन्य	भूमिहीन	मौसमी रोजगार
60.	राजकुमार शुक्ल	मणिभूषण राय	किसान	किसान	10 कट्ठा	मौसमी रोजगार
61.	रामखेलावन सिंह	किशोरी सिंह	किसान	किसान	15 बीघा	नियमित रोजगार
खेतिहर मजदूर-9, किसान-48, अन्य-4, **कुल-61**						

चम्पारण भूमि व्यवस्था : एक सर्वेक्षण (1892-1896)

1764 ई. के बक्सर युद्द में जब ईस्ट इंडिया कम्पनी ने बंगाल-बिहार पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया, तो मुगल सम्राट शाह आलम ने अगले वर्ष इस क्षेत्र का प्रशासन अंग्रेजों को सौंप दिया। उस समय चम्पारण का अधिकांश भूखंड बेतिया-राज के अधीन था। शेष पर रामनगर राज का अधिकार था। बेतिया राज में 1766-71 के मध्य हुए सत्ता संघर्ष के कारण मधुबन राज अस्तित्व में आया। 1770 के भयंकर दुर्भिक्ष के कारण चम्पारण की आधी जनसंख्या काल कवलित हुई। तब अंग्रेजों का ध्यान भूमि व्यवस्था की ओर गया। उस वक्त यह क्षेत्र औद्यौगिकी में शून्य था और भूमि व्यवस्था सामंती थी। बहरहाल, 1172 में पूरे चम्पारण को 15 भागों में बांटकर उनको 5 वर्ष के लिए विभिन्न ठेकेदारों के अधीन किया गया कि वे वहां का राजस्व वसूलें एवं वहां की व्यवस्था देखें। इसमें पुराने जमींदार अपने प्रभाव के कारण सफल रहे। इस व्यवस्था के अन्तर्गत भी जमींदारों ने रैयत से काफी 'कर' उगाहा, रैयतों की दशा दयनीय बनी रही। तब 1791 ई. में 6 व्यक्तियों के साथ चम्पारण की 22,61,732 एकड़। 22 लाख 61 हजार 732 एकड़। भूमि को दस वर्ष के लिए 3,51,42749। तीन करोड़, 51 लाख, 42 हजार 749 रु.। रुपयों के राजस्व के लिए व्यवस्थित किया गया। 1793 ई. में यह व्यवस्था स्थायी कर दी गयी। इस प्रकार भूमि पर जमींदारों का वंशानुगत अधिकार बना रहा और सामंती प्रथा जारी रही। निम्नलिखित आंकड़ों से चम्पारण में की गयी स्थायी व्यवस्था (भूमि) के स्वरूप का पता चलता है।

क्र.	जमींदारों का नाम	व्यवस्थित भूमि	राजस्व रु०-आना-पैसा
1.	वीरकेश्वर सिंह	मझौआ एवं सेमरा परगना	2,62,050-2-9
2.	अवधूत सिंह	(मधुबन राज) दुहो सुहो रप्पा	2000-0-0
3.	श्रीकृष्ण सिंह	(शिवहर) अवधूत सिंह (मधुबन) मेंहसी परगना	78524-0-0
4.	हरकुमार दत्त सेन	(रामनगर राज) रामगीर, जम्हौली, चिगवन, वतसरा टप्पा	3,641-0-0
5.	अभय चरण	तालुका संग्रामपुर मजुमदार	4,912-2-0
6.	उमेद सिंह	मौजा हरपुर राज	300-0-0 रामबल सिंह
			351,427-4-9

उक्त 6 व्यक्तियों में अभयचरण मजुमदार को छोड़कर शेष सभी पुराने जमींदार

थे। मधुबन-शिवहर परिवार तो प्राचीन बेतिया राज परिवार से निकले हुए परिवार थे। जाति से ये भूमिहार थे। रामनगर राज के जमींदार नेपाल राज वंश से संबंधित राजपूत थे। अभयचरण मजुमदार पहले राजस्व विभाग के कर्मचारी रहे थे। उनके बाद उनकी जमींदारी भी बेतिया राज में सम्मिलित कर ली गयी। वे बंगाली कायस्थ थे। इस प्रकार हुई चम्पारण में स्थायी भूमि व्यवस्था। इसके दो पहलू स्पष्ट हैं-

कृषि योग्य कुल भूमि के तीन चौथाई भाग पर केवाला तीन बड़े जमींदारों, क्रमशः बेतिया राज, रामनगर राज एवं मधुबन-शिवहर परिवार का अधिकार था। दूसरे ये सभी जमींदार सवर्ण हिन्दू थे। अंग्रेजों के अधीन भी वे सामंती भूमि व्यवस्था को जीवित रखने में कामयाब हुए। उनकी इस व्यवस्था को अंग्रेजों ने भी भरपूर पोषण दिया क्योंकि यह उनके लूटने-चूसने की नीति के अनुकूल थी। स्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत जमींदार और रैयतों के बीच के सम्पर्क सूत्र का कार्य राजाओं द्वारा नियुक्त 'छोटे जमींदार' करते थे। छोटे जमींदारों और रैयतों के मध्य ठेकेदार, मुकर्रीदार; होते थे। रैयतों से 'कर' मनमाने ढ़ंग से उगाहा जाता था। इसके लिए जमींदार लठैत पालते थे। यह शोषण और अन्य ही चम्पारण के कृषक आंदोलनों का स्रोत था। चम्पारण में अंग्रेजों के आगमन के बाद कृषि-औद्योगिकी का विकास हुआ यानी अफीम, नील और गन्ना उपजाए जाने लगे और इस उत्पादन की अर्थ व्यवस्था का संचालन, नियंत्रण गोरे अंग्रेज और यूरोपियन के हाथ में था। इस उत्पादन का अनुपात भूमि की स्थाई व्यवस्था से जुड़ा था। जाहिर है, इस अर्थव्यवस्था ने भी कृषक आंदोलनों को हवा दी। राजा-जमींदार-रैयत के बीच संबंध मधुर नहीं थे- यह जाहिर है। भूमि राजा या जमींदार की थी। 1793 ई. में चम्पारण के कुल 2847 गांवों में से 1719 पर बेतिया राज एवं 455 गांवों पर रामनगर राज का अधिकार था। मधुबन राज (नेपाल राजवंश का परिवार) की जमींदारी 50,000 (पचास हजार) एकड़ भूमि की थी। भूमि रैयतों को एक निश्चित वार्षिक मालगुजारी पर दी जाती थी। उपज नहीं होने या मौसमी आपत्ति में भी 'मालगुजारी' में ढील नहीं दी जाती थी। रैयतों से जमीन छीनी जा सकती थी। स्वभावतः चम्पारण के किसान भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित नहीं कर सके। चम्पारण की भूमि अति उर्वरा होते हुए भी यहां के रैयत और भूमिहीन मजदूरों की आर्थिक प्रगति का आधार नहीं बनी। सामंतवादी व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बनी। भूमि की स्थायी व्यवस्था का यह एक महत्वपूर्ण दुष्परिणाम था। और यह परिणाम अंग्रेज प्रशासन एवं राजा और जमींदारों के बीच के गठबंधन का सबसे बड़ा आधार था। इस व्यवस्था में बड़ी-बड़ी जमींदारी स्थापित करने में अंग्रेज शासन ने अपनी ताकत और कौशल का सहयोग दिया। इस व्यवस्था में शासन का रैयत से सीधा संबंध नहीं था। जबकि पंजाब में की गयी महलवारी व्यवस्था में एक व्यक्ति के हाथ एक ही गांव की व्यवस्था की

गयी थी। दक्षिण भारत में सीधे रैयतों के साथ भूमि की रैयतवारी व्यवस्था की गयी थी। भूमि की इन व्यवस्थाओं से अंग्रेजों की गुलामी के दौर में भी जहां पंजाब की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संगठित सुगठित होती रही, वहीं दक्षिण भारत के किसानों ने भूमि के साथ अपना तादात्म्य स्थापित रखा। अंग्रेजों ने नील, गन्ना, अफीम आदि उत्पादन के जरिये सामंती भूमि व्यवस्था में कृषि का वाणिज्यीकरण शुरू किया, जबकि चम्पारण में कृषि-संबंधी सुविधाओं का घोर अभाव था। यातायात के साधन नगण्य थे। सिंचाई की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। (बीसवीं सदी के प्रथम दशक में त्रिवेणी नगर, तियुर नगर एवं ढ़ाका नगर अस्तित्व में आए) इसलिए किसानों के लिए वाणिज्यीकरण में 'गोरों का कार्य' आरोपित था। यह कार्य उनके 'शोषण' की पद्धति की प्रक्रिया को और तेज और तीखा करने वाला था- इसकी समझ किसानों में शुरू से ही बनने लगी। इसलिए इसके विरोध में कई बार उन्होंने आवाज बुलंद की-आंदोलन भी किया। चम्पारण कृषि-वाणिज्य के अन्तर्गत मौद्रिक मूल्य वाली फसलें थीं- अफीम, नील, गन्ना, तम्बाकू और जूट। चम्पारण में तम्बाकू और जूट का उत्पादन क्रमशः 0.17 प्रतिशत और 0.48 प्रतिशत था, जो तिजारत के लिए ही देश की सत्ता पर काबिज अंग्रेज शासन के लिए महत्वहीन था। तम्बाकू और जूट का उत्पादन स्थानीय उपयोग के लिए होता था। तम्बाकू का सेवन यहां के ग्रामीण करते थे और जूट से रस्सियां बनती थी। अफीम, नील और गन्ना की आरोपित खेती और व्यापक पैमाने पर उत्पादन का निहितार्थ सिर्फ एक था- अंग्रेजों के आर्थिक साम्राज्यवाद की पुष्टि और तुष्टि। क्योंकि इनका उपयोग स्थानीय आम लोगों के लिए न के बराबर भी नहीं था। खास लोग तो जमींदार और राजा थे- जो व्यक्ति उपभोग के लिए बहुत सीमित 'उत्पादन' करवाते थे। उन्नीसवीं सदी के आरंभ में यूरोपियन अर्थ व्यवस्था पर ब्रिटेन का वर्चस्व समाप्त होता नजर आ रहा था। फ्रांसिसी, डच एवं पुर्तगाली उपनिवेश ब्रिटिश नियंत्रण में थे। लेकिन अमेरिका ब्रिटिश आधिपत्य से निकल चुका था। पश्चिम और दक्षिण में ब्रिटिश विस्तार की संभावनाएं शून्य थीं। चीन के साथ उसके सबंधों की बुनियाद अफीम पर खड़ी थी। नील अर्ध विकसित औद्योगिकी में बहु प्रयुक्त रसायन था और गन्ने से शक्कर बनता था- इन तीनों फसलों की अफीम, नील और गन्ना का तत्कालीन पादप अर्थव्यवस्था में मुख्य भूमिका थी। अफीम की खेती को अंग्रेज साम्राज्यवाद ने बंद कर दिया था। इसका चम्पारण में गांधी के पहले या बाद में अफीम की खेती बंद करने का कोई आंदोलन नहीं हुआ। कुछ विरोध की आवाजें उठने संबंधी तथ्य इतिहास में मिलते हैं लेकिन अफीम की खेती पर प्रतिबंध का कारण 'चम्पारण में विरोध' नहीं था। वस्तुतः चीन का बाजार अधिकृत हो जाने के बाद अंग्रेज साम्राज्यवाद के लिए व्यापक पैमाने पर अफीम की खेती उतनी लाभप्रद नहीं रही थी। इसलिए चम्पारण में अफीम की खेती

बंद की गयी। अंग्रेज अफीम के स्थान पर नील ले आये। चम्पारण की भूमि अत्यंत उर्वरा थी और उसकी व्यवस्था का संचालन और नियंत्रण की डोर अंग्रेजों के हाथ में आ गयी, तो उन्होंने इस क्षेत्र में इन फसलों पर आधारित उद्योग को प्रोत्साहन और संरक्षण की रणनीति अपनायी। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एकाधिकार तभी संभव है, जब सामान्य जन के शोषण की प्रणाली की कोई केन्द्रित ढांचागत व्यवस्था हो। सो चम्पारण में यही हुआ। विभिन्न कोठियों के अधीन सुनिश्चित मात्रा में नील उत्पादन के नियम और बाद में चीनी मिलों के लिए बड़े-बड़े फार्म की स्थापना के कानून इस ढांचा-व्यवस्था के आधारभूत प्रमाण हैं। चम्पारण में बड़े राजा-जमींदार और रैयतों के बीच कोई सीधा सम्पर्क नहीं था। इनके मध्य ठीकेदार मुकर्रीदार और कतकीतदार होते थे। बड़े जमींदार एक निश्चित अवधि के लिए निश्चित राजस्व पर एक निश्चित भूखंड किसी व्यक्ति को देते थे। वह ठेकेदार कहा जाता था। मुकर्रीदार भी ऐसा ही व्यक्ति होता था-ठेकेदार जैसा ही, लेकिन वह स्थायी होता था। ठीकेदार और मुकर्रीदार की रैयत के साथ व्यवहार के लिए कतकीतदार व्यवस्था की जाती थी। इसमें सभी बड़े जमींदार अपने प्रिय जनों को मध्यस्थ जमींदार बनाये रखते थे। जब शासन अंग्रेज के हाथ में आयी तो उसने अपने गोरे एजेन्टों को मध्यस्थ जमींदार बनने की छूट दे दी। 1889 में बेतिया राज पर ब्रिटिश कर्ज लदा तो कर्ज अदायगी के तहत अंग्रेज ठीकदारों को मुकर्रीदार कर दिया गया और यह तय कर दिया गया कि इसके बाद किसी भारतीय को मुकर्रीदारी नहीं दी जाएगी। अधिकांश अंग्रेज मुकर्रीदार निलहे साहब थे, जिनकी अपनी कोठियों में नील के कारखाने थे। पहला नील का कारखाना 1820 में खुला था लेकिन अंतिम और बीसवां नील का कारखाना 1884 में खुला। बेतिया राज क्षेत्र में कुल 13 कारखाने थे।

क्र.	मुकर्रीदार कारखानों के नाम	अधीनस्थ गांवों की संख्या	मुकर्ररी जमा
1.	पिपरा कारखाना कोठी	80	77,877-8-3
2.	भलहिया कोठी	09	8,765-15-0
3.	ताजपुर (करनौप)	10	7,488-4-0
4.	तेतरिया कोठी	04	6,385-5-9
5.	बारा कोठी	13	7,978-14-3
6.	धनौती (धनौती) कोठी	05	72,528-8-0
7.	लाल सरैया कोठी	43	62,654-4-0
8.	मोतिहारी कोठी	42	90,696-9-0
9.	मुरली एवं लोहिया कोठी	17	14,561-5-9

10.	राजपुर कोठी	35	46,578-13-10
11.	परसा कोठी	41	26,360-12-9
12.	तुरकौलिया कोठी	111	115,347-10-10
13.	बैरिया कोठी	07	14,551-0-0
		कुल जोड़	**417-531, 783-15-0**

मध्यस्थ जमींदारों की उत्पत्ति के साथ ही भूमि के बेनामी बंदोबस्त का भी जन्म हुआ। उदाहरण- रामनगर की रानी का ढेबरी महल तथा बेतिया महारानी की टिकुलिया संपत्ति विभिन्न जमींदारों द्वारा उनको दिये गये अनगिनत गांवों में फैली थी। 1868 में बेतिया की महारानी ने पावक सिंह(?) नामक अपने विश्वस्त अनुचर के सहयोग से 54 गांवों का अपने लिए बेनामी बंदोबस्त कराया था, जिसकी कुल आय 65,836-1-3 रु. थी। महारानी ने कई गांवों का ठीक भी बख्तियार तिवारी तथा गजाधर मिश्र के नाम से ले रखा था। यह विलक्षण बात है कि जहां एक ओर बेतिया राज ने ब्राह्मण मध्यस्थ भूपतियों को प्रश्रय दिया, रामनगर राज्य के कायस्थों को। 'दीवान जी का शिकारपुर' जैसी रियासतें(?) इसी प्रकार प्रकाश में आयीं। बिलासपुर, डुमरिया तथा बड़गांव रियासतें भी मध्यस्थ जमींदारी प्रथा के ही प्रतिफल हैं। यहां जमींदारी कृषि प्रणाली से जुड़ी कुछ प्रथाओं का उल्लेख आवश्यक है- जिरात प्रथा और आसामी प्रथा।

जिरात प्रथा एवं आसामी प्रथा सामंती राज में जमींदारों ने कृषि की दो प्रणालियों का अवलम्बन किया हुआ था –

1. जिरात प्रथा
2. आसामी प्रथा

जिरात प्रथा के अन्तर्गत जमींदार स्वयं खेती करते थे। स्वयं खेती करते थे का मायने यह कि वे कृषि मजदूरों से खेती करवाते थे और उनकी मजदूरी सहित खेती में होने वाला पूरा व्यय वे स्वयं वहन करते थे।

आसामी प्रथा में मध्यस्थ जमींदार अपने अधीनस्थ भूमि का कुछ भाग कृषि मजदूरों या किसानों को सट्टा पर देते थे। इस भूमि की खेती के कार्य पर व्यय सट्टाधारी को करना पड़ता था। और बदले में उपज का आधा भाग जमींदार को देना पड़ता था। (कुछ सट्टे एक निश्चित परिभाग में फसल के बदले भी दिये जाते थे।)

यहां यह स्पष्ट होना चाहिए कि 'पट्टा' और 'सट्टा' में सीधा अंतर था।

चंपारण में बड़े जमींदारों ने कुछ सवर्ण और धनीमानी लोगों के हाथ कुछ भूमि पट्टा पर दिया था। ऐसे भूमि के मालिक को पट्टाधारी कहा जाता था। पट्टाधारी

पट्टे की जमीन के लिए जमींदार को केवल लगान देता था। (पट्टानामा की शर्त पूरी न करने पर पट्टे की जमीन छीनी जा सकती थी।)

लेकिन 'सट्टे' की जमीन पर 'किसान' को लगान के साथ उपज का आधा भाग भी जमींदार को देना पड़ता था। सट्टे की इसी प्रथा को आसामी प्रथा कहा जाता था, जिससे आज भी जाटी 'बटाईदारी' और 'हुंग' प्रथा का जन्म हुआ।

हम जिसे सामंतवादी आर्थिक व्यवस्था कहते हैं, उसके तहत शोषण की गति एवं अन्याय का नियमन बढ़ा, जब प्रथा के ऊपर आसामी प्रथा को तरजीह दी जाने लगी। जब तक राजतंत्र में (मुगल काल तक) में जमीन के मालिक (राजा कहलाता था) के हाथ में राजनीतिक और सामाजिक शासन का अधिकार था, लेकिन जब मुगल राजतंत्र का विघटन और पतन शुरू हुआ और अंग्रेजों का उस पर कब्जा होने लगा, तो जमीन के मालिक (जो अपने अधीनस्थ जमीन के पैमाने के आधार पर महाराजा, राजा या बड़े जमींदार-छोटे जमींदार कहलाते थे) जिरात प्रथा के स्थान पर आसामी प्रथा को प्राथमिकता देने लगे।

आसामी प्रथा में जमींदार को आर्थिक नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं थी। बिना किसी पूंजी निवेश के लाभ मिलता था। किसी तरह के शारीरिक श्रम (व्यवस्थात्मक दौड़-धूप से होने वाले शरीरिक कष्ट) से भी पूर्णतः मुक्ति थी (जिरात प्रथा से भी ज्यादा आसामी प्रथा में ऐय्याशी का वक्त अधिक मात्रा में उपलब्ध होता था और सामाजिक-सांस्कृतिक विघटन में बड़ी भूमिका अदा करते हुए भी उसकी जवाबदेही से मुक्ति प्राप्त होती थी।)

फसल अच्छी हो या बुरी, सट्टे निश्चित मात्रा में फसल के बदले दिये जाते थे।

यूं जिरात प्रथा में 'लगान' भी फसल पर निर्भर थी। यानी अनिश्चित थी। इसके अलावे इसके जमींदार को पूंजी के साथ श्रम भी लगाना पड़ता था।

जिरात प्रथा में जमींदारों को जब तब 'लगान' वसूली के लिए जोर जबर्दस्ती करनी पड़ती थी, इसके लिए वे 'लठैत' रखते थे। लेकिन जमींदार की सामाजिक प्रतिष्ठा 'जोर-जर्बदस्ती' की 'सीमा' तय करती थी।

आसामी प्रथा में भी जमींदार अपना मांग 'जबर्दस्ती' वसूल करते थे और 'जबर्दस्ती' वसूली को 'कानूनी' हक जैसी मान्यता हासिल हो गयी।

सामाजिक-सांस्कृतिक विघटन में बड़ी भूमिका अदा करते हुए भी उसकी जवाबदेही से मुक्ति प्राप्त होती थी।

फसल अच्छी हो या बुरी, सट्टे निश्चित मात्रा में फसल के बदले दिये जाते थे।

चम्पारण के निलहे यानी गोरे 'बागान प्लांटर्स'

भारतीय कृषि में अंग्रेजों की दिलचस्पी 'बागान' उद्योगों से शुरू हुई। वे चाय, कॉफी, गन्ना और नील जैसे पौधों के उपजाने की ओर आकृष्ट हुए।

नील उगाने वाले गोरे (अंग्रेज अथवा यूरोपियन) ब्रिटिश साम्राज्यवादी व्यवस्था के एजेन्ट थे।

ईस्ट इंडिया कंपनी के तिजारती शासनकाल में अंग्रेजों की नीति भारत के रैयतों के प्रतिकूल नहीं थी। लेकिन 1857 'गदर' के बाद, यानी तिजारत से ताज पर कब्जा करने के बाद अंग्रेजों की नीति भारतीय रैयतों के अनुकूल नहीं रही।

यूं 'कम्पनी राज' में भी भारतीय किसानों से अंग्रेज बागानवालों की हैसियत भिन्न थी। इसलिए कि गोरों पर ब्रिटिश साम्राज्य का वरदहस्त था। उन्हें राजनीतिक श्रेष्ठता प्राप्त थी, वे अपने स्वार्थ में स्थानीय प्रशासन पर हावी रहते थे। लेकिन भारतीय रैयातों पर निलहों के दबाव के प्रति अंग्रेज प्रशासन सावधान रहता था। प्रशासन चाहता था कि भारतीय रैयातों पर निलहों का अनुचित दबाव नियंत्रित रहे, इतना न बढ़े कि रैयत सामूहिक विरोध या विद्रोह के लिए उकस जाएं। डा. बांकेबिहारी मिश्र के मुताबिक ('चम्पारण में महात्मा गांधी का आन्दोलन 1917-18) – 'चम्पारण इसका अपवाद रहा हो, ऐसी बात नहीं है।'

1887 के 'प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन' ने 'कम्पनी राज' का अंत कर दिया। भारत में सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के नियंत्रण में ब्रिटिश राज कायम हुआ।

1862 में सर चार्ल्स वुड ने, जो उस वक्त 'सेक्रेटरी ऑफ स्टेट' थे, फरमान निकाला कि स्थायी बंदोबस्ती को अन्य भू-भागों में फैलाया जाय। मामूली लगान पर बंजर (परती) भूमि गोरे 'प्लांटरों' के हाथ बंदोबस्त किया जाय; ये गोरे प्लांटर ही चम्पारण में 'नीलहे' के रूप में पहचाने जाते थे।

सर चार्ल्स वुड का उक्त फरमान स्थानीय स्तर पर आम खेती-किसानी से जुड़े लोगों पर शासन-प्रशासन का प्रभाव स्थापित करने की योजना का हिस्सा था। इसके तहत 'प्लांटर्स' के संगठित समूह स्थापित करने और उनसे स्थानीय आबादी को नियंत्रित करने की रणनीति चली। इससे स्थानीय स्तर पर 'विद्रोह' की आग को दबाने-बुझाने में ब्रिटिश हुकूमत को मदद मिली।

'कम्पनी राज' में गोरे नागरिक और सैनिक अधिकारियों को भू-संपदा अर्जन करने का अधिकार नहीं था। इसे कंपनी राज में सेवा शर्तों के प्रतिकूल माना जाता था। यूरोपियनों को प्रादेशिक शहरों (प्रांतीय शहरों) से केवल 10 मील के चतुर्दिक दायरे में बसने की इजाजत थी। उन्हें दूर देहातों में बसने या अपना कारोबार चलाने की अनुमति नहीं दी जाती थी।

लेकिन 1857 के विद्रोह का ब्रिटिश साम्राज्य पर ऐसा असर हुआ कि वह

अपने 'असली रूप' में आ गया। उसने उक्त नियंत्रण हटा लिया और गोरों को दूर-दूर बसने और व्यवसाय करने की सुविधाएं प्रदान करना शुरू किया। और तो और, खुद को 'उदार जाति' के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत करने वाले अंग्रेज शासकों-प्रशासकों ने भी 'रंग-भेद' की नीति चलानी शुरू की। यानी कालों से घृणा और गोरों से अपनापन।

1858 में ब्रिटेन के सम्राट ने भारत में 'यूरोपियनों' के साथ भारतीय जमींदार-ठेकेदारों को भी 'आनरेरी मजिस्ट्रेट' बनाना शुरू किया। इसका मूल मकसद यह था कि यूरोपियन तो अपने हैं ही, भारतीय जमींदार-ठिकेदार भी अपने हित या स्वार्थों को अंग्रेजी शासन से जोड़ लेंगे। वे अपनी 'सुरक्षा एवं स्थायित्व' के लिए अंग्रेजी शासन के स्थायित्व के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। इससे अंग्रेजी शासन का पाया पुख्ता होगा।

1991 की जनगणना के अनुसार उस वक्त भारत में यूरोपियनों की कुल संख्या- 1,99,000 (एक लाख निन्यानबे हजार) थी। बिहार उस वक्त 'बंगाल प्रोविन्स' का हिस्सा था। 1912 में जब अलग हुआ तो बिहार में उड़ीसा भी शामिल था। 1935-36 में उड़ीसा बिहार से अलग प्रांत बना। सो 1911 की जनगणना के अनुसार उस वक्त बिहार और उड़ीसा में यूरोपियनों की संख्या 6200 (छह हजार दो सौ) थी। उनमें से सिर्फ 2700 (दो हजार सात सौ) यूरोपियन जमींदारी और कृषि कार्य में लगे थे। कृषि कार्य के तहत वे मुख्यतः 'बागानों' में चाय, कॉफी, नील, रबर आदि उपजाते थे। ऐसे प्लांटर्स की संख्या बिहार-उड़ीसा में 350 थी।

1911 की गणना के अनुसार बिहार में उस वक्त 109 नील के कारखाने थे और 6 चाय बगान थे। चम्पारण में यूरोपियनों की संख्या 200 थी। उनमें जमींदारी करनेवाले और नील कारखाने चलाने वालों की संख्या 60 से ऊपर थी।

माना जाता है कि चम्पारण में नील की खेती 19वीं सदी से पहले भी होती थी, लेकिन वह सिर्फ स्थानीय जरूरत को पूरा करने के लिए होती थी। यूरोपियन ढंग से नील की खेती 1782 से शुरू हुई। यानी तब से 'नील की खेती' का उद्योग के रूप में विकसित होने का सिलसिला शुरू हुआ।

'तिरहुत' में इसके विकास की गति धीमी रही। 1788 में यहां नील के 5 कारखाने थे। 1810 में इनकी संख्या 25 हुई। जाहिर है, ऐसा इसलिए था कि 'कम्पनी राज' में यूरोपियनों को दूर देहातों में बसने या व्यवसाय करने की अनुमति नहीं थी। तब भी इसके प्रमाण मिलते हैं कि उस वक्त केवल तिरहुत से कलकत्ते के लिए प्रतिवर्ष 10 हजार (दस हजार) मन नील भेजा जाता था।

स्टीवेंन्सन मूर की 'सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट - मुजफ्फरपुर 1900' के अनुसार 19वीं सदी के अंत में यानी 1900 तक तिरहुत में 87000 (सत्तासी हजार) एकड़

में नील की खेती होने लगी थी। इसका अर्थ यह है कि उस वक्त तक तिरहुत की कृषि योग्य भूमि के 50 प्रतिशत पर नील की खेती होने लगी थी।

तिरहुत में नील का कारखाना खुलने के करीब 30 वर्ष बाद यानी 1813 में चम्पारण में नील का पहला 'कारखाना' खुला। यह कारखाना 'कर्नल हिक्की' ने बारा (चकिया) में खोला। तब से चम्पारण में नील की खेती होने लगी।

फ्रांसिस ग्रैंड तिरहुत का पहला कलक्टर था, जिसने उत्तर बिहार में नील उगाने के लिए भारतीय रैयतों को भी खूब प्रोत्साहन दिया।

जे.ए. स्वीनी की "फाइनल रिर्पोट : सर्वे एंड सेटलमेंट आपरेशन रिविजन इन चम्पारण डिस्ट्रिक्ट,1914-18" के अनुसार, 1917 में चम्पारण में कुल गांवों की संख्या 2846 (दो हजार आठ सौ छियालिस) थी।

इनमें से तीन-चौथाई गांवों में तीन मालिकों की जमींदारी थी - बेतिया-राज, रामनगर-राज और मधुबन-राज की।

बेतिया राज 1719 (एक हजार सात सौ उन्नीस) गांवों का मालिक था। यानी चम्पारण के कुल गांवों में आधे से अधिक गाँव बेतिया राज के अधीन थे।

उक्त 'मालिकों' को जमींदारी अधिकार 1793 में मिला था, जब से 'स्थायी बंदोबस्ती' का कानून लागू हुआ।

लेकिन 1917 के विवरण के मुताबिक इन 'इस्टेटों' के अधीनस्थ भू-भाग के अधिकांश भूखंड पट्टे (लीज) में स्थायी रूप से यूरोपियन प्लांटर अर्थात नीलहों के हाथ में चले गये।

चम्पारण के निलहे और उनके अमले : 1866-67 में चम्पारण का कलक्टर जॉन विक्स था। उसने निलहों के संबंध में लिखा है "अशिक्षित, मशहूर पियक्कड़, चरित्रहीन, आवारा, स्थानीय निवासियों के प्रति निर्दय।"

बुकानन नामक लेखक ने लिखा कि "ये निलहे पहले अमेरिका में गुलामों (काले - निग्रो) की चरवाही पर रखे जाते थे। अमेरिका में ये लोग क्रूरता से वहां के गुलामों के साथ बर्ताव करते थे, उसी की पुनरावृत्ति भारतीय रैयतों के साथ कर रहे हैं।"

चम्पारण के निलहों के अमलों को कारखाने के मैनेजरों जैसा अधिकार प्राप्त था। ये देसी और स्थानीय अमले अपने ही लोगों पर खूब अत्याचार करते थे। रैयतों की किस जमीन में नील उगाना है, खेत की तैयारी रैयत को किस तरह करनी है, कब और कैसे करनी है - यह सब निलहे साहब के इशारे पर ये अमले ही तय करते थे और रैयतों को आदेश देते थे।

ये अमले ही निलहे साहब के निर्देश पर 'नाजायज कर' वसूल करते थे और वसूली में अत्याचार की हद करते थे।

निलहे साहब के ये अमले नाप-जोख में भी बेइमानी करते थे। रिश्वत देने पर ही जमीन की सही नापी करते थे। अन्यथा निलहे साहब से चुगली करते थे कि अमुक रैयत ने तीन कट्ठे से कम में नील उगाया था, ठीक से काटा नहीं, ठीक से ढोया नहीं, आदि-आदि।

ये लोग तीन कट्ठे की नापी करने में भी रैयतों को धोखा देते थे। निलहे जब-तब रैयतों से हल, बैलगाड़ी आदि भाड़े में मांगते, लेकिन उसका तय भाड़ा भी नहीं देते थे। 1868 में मजिस्ट्रेट ने 2 रुपया प्रति गाड़ी भाड़ा तय किया था, लेकिन निलहे रैयतों को औसतन 9 पैसा प्रति गाड़ी की दर से भाड़ा देते थे। एक हल का भाड़ा 3 आना था, निलहे 5 पैसा देते थे।

निलहे अपनी 'जिरात' से कारखाना तक नील ले जाने के लिए 'बैलगाड़ी' और जिरात को तैयार करने के लिए 'हल' की जरूरत का बोझ सीधे रैयतों पर डाल देते थे। जॉन विक्स ने एक पत्र में 'आफत का मारा एक रैयत' दास्तान कुछ इस प्रकार दर्ज की :

"एक रैयत ने नील उगाने से इन्कार कर दिया। निलहे ने अपने अमलों को उसे 'ठीक' करने का आदेश दिया। अमलों ने रैयतों की झोपड़ी के चारों ओर की जमीन जोत डाली और चारों ओर कंटीले पौधे की बाड़ लगा दी। और कह दिया – 'अगर जोती गयी जमीन पर कोई पैर रखेगा, तो उसे जेल भेज दिया जाएगा।'

"बेचारा रैयत और उसका परिवार कुंए से पानी भी नहीं ला सकता था। दो दिन तक वह घर में पड़ा रहा। तीसरे दिन रात में चौकीदार की नजर बचा कर भागा। दिन भर बाहर छिपा रहा। रात में मुझसे मिला। उसने अपनी दास्तान सुनाई।"

जॉन विक्स ने अपने दो वर्ष के कार्यकाल में ऐसी बहुत-सी घटनाएं देखी-सुनीं और उनकी जांच की। उसने अपने पत्र में (ऊपर के अधिकारियों को) लिखा – "चम्पारण के निलहों की नजर में, जो आदमी नील उगाने से इन्कार करता हो, वह बागी और खतरनाक है। निलहे उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई करते हैं, उसे विधि-सम्मत मानते हैं।"

काश्तकारी - खेती - करने वाले रैयत नील उगाने से बचने की कोशिश करते थे। इसके कई कारण थे। लेकिन उनमें एक कारण यह भी था कि निलहों के देसी अमले प्रायः 'नीची' जाति के होते थे। सो स्थानीय रैयतों - बड़े किसानों - जो अपनी जमीन दूसरों से जुतवाते थे (उनमें कुछ लोग खेती-किसानी का प्रबंधन करते हुए खुद कुछ न कुछ शरीर-श्रम करते थे) - को यह सह्य नहीं था कि निलहों के 'नीच जाति' के अमले उन पर हुकूमत करें।

लेकिन रैयती खेती करनेवालों को कोई चारा नहीं था। सो प्रारंभ में निलहों का ज्यादा अत्याचार इन्हीं 'रैयतों' पर हुआ। जब 'जिरात' की खेती ज्यादा होने लगी,

तब स्थानीय मजदूरों पर अत्याचार बढ़ा। जिरात में काम कराने के लिए निलहों को बड़ी संख्या में मजदूरों को लगाना पड़ता था। रैयत जिस दर से मजदूरों को मजदूरी देते थे, उससे कम मिलता था जिरात में काम करने वालों को। गाड़ीवानों को भाड़े में रैयतों से जो पैसा मिलता, उससे भी बहुत कम जिरात में भाड़े का काम करने से मिलता था।

रैयत हो या मजदूर (भूमिहीन), उन्हें निलहों के कार्यों को प्राथमिकता देनी पड़ती थी। पहले नील तब और कुछ। काश्तकारों को पहले नील लगाना पड़ता था, तब अपनी खेती में लगना होता था। अनाज की उपज (काश्तकारों की) निरंतर घटते जाने के मूल में यह 'नील की खेती' थी।

अधिसंख्य निलहे 'साहब' प्रशासन के अंग समझे जाते थे। यह सही भी था। प्रशासन निलहों को संरक्षण देता था। प्रशासन के कई गोरे अधिकारियों और निलहे 'साहबों' की प्रवृत्तियों और स्वभाव में अन्तर नहीं था।

कुछ निलहों की आदत इतनी बिगड़ी हुई थी कि उनके जमींदारी क्षेत्र की नवविवाहिताओं की सुहागरात निलहों की कोठी में बितानी पड़ती थी। दांपत्य सुख वंचित निलहा रखैल रखता था। (चंपारण पुनर्यात्रा के दौरान हमने कुछ किस्से-कहानियां सुनीं। लेकिन उनके सत्यापन अथवा प्रामाणिकता की कोशिश नहीं की। इसलिए प्रस्तुत रिपोर्ट में ऐसे प्रसंगों का 'सामान्य' रूप में उल्लेख नहीं किया गया है।)

प्रो. हरिशंकर प्रसाद सिंह के लेख 'चम्पारण में रैयत विद्रोह' (चम्पारण विशेषांक - 'प्रतिकार') के मुताबिक "निलहा अपनी कोठी के निकट के गांवों में अपने खानसामाओं को बसाकर रखता था। जहां भी निलहों की कोठी बनी, कारखाना खुला, उसके चतुर्दिक निवासियों की इज्जत नहीं बची। ...निलहों में अपवाद भी थे। लेकिन साधारणत: निलहे ऐशो-आराम वाले थे और उनके अमले इसका प्रबंध करते थे।

"दीनबंधु मित्र की पुस्तक 'नील दर्पण' की कथा चम्पारण के उन गांवों की कहानी है, जो नील के कारखाने के आस-पास थे।"

"निलहा कोठी के निकटस्थ गांवों में बसे लोगों को दूसरे गांव (दूर के लोग) अपनी जाति-बिरादरी में निम्नस्तरीय समझते थे। जिन्हें सम्मान की चिंता थी, वे जूझे और नहीं तो घर छोड़कर नेपाल की तराई भाग गये। अन्यत्र के लोग कोठियों के निकट के गांवों में संबंध (रोटी-बेटी का संबंध) रखने या बनाने से बचते थे।"

"आम तौर पर, इन कोठियों में जिन्होंने चाकरी की उनके कई वंशज आज भी उसी तरह की 'चाकरी' कर रहे हैं। निलहों के अमले-दस्ते में शामिल पूर्वजों पर निलहों की जो छाप पड़ी, वह उनके वंशजों पर बदस्तूर जारी है। उनमें

सहिष्णुता, पर दुःख कातरता जैसी भावना नहीं आ पायी।

"निलहों के ऐश जिन्होंने देखे, अमलों के रूप में उसमें हिस्सेदारी की, उन्होंने वैसी ही नकल की, उनके वंशज स्वातंत्र्योत्तर भारत में लगभग दो दशकों तक वैसे ही ऐश करते रहे। ये कोठियां अत्याचार, शोषण, बलात्कार की नींव पर बनीं।"

क्या तब के कोठियों के निकट के लोगों और निलहों के अमलों के वंशज आज के नवधनाढ्य हैं? निलहों की कोठियों, बंगलों को जिन्होंने 'जिरात' लिये वे कौन थे? आज उन पर काबिज लोग कौन हैं? चंपारण पुनर्यात्रा-सर्वेक्षण के दौरान कदम-कदम पर ये सवाल चुभते थे। हमने जो कुछ देखा-सुना उससे इन सवालों की चुभन और तीखी हुई, लेकिन विषयांतर होने के खतरे के मद्देनजर इन सवालों पर यह पट्टी बाँध कर रख छोड़ा है कि ये सवाल गंभीर शोध के – केस स्टडी के - विषय हैं।

खंड - तीन

दस्तावेज

गांधी मिशनमंडली के समक्ष बयान

तुरकौलिया कोठी और फैक्ट्री के खिलाफ किसानों के बयान गांधी मिशनमंडली के करीब 31 सदस्यों ने दर्ज किये। इनमें से कुछ के नमूने निम्नलिखित हैं।

अनुग्रहनारायण सिंह :

मोतिहारी, 17-4-1917

(1) शेख दोस्त मोहम्मद आत्मज शेख फतेह, निवासी कमालपुर, थाना मोतिहारी, फैक्टरी तुरकौलिया, का बयान :

कोई चार साल पहले फैक्टरी के नौकरों ने मुझ पर हमला किया तब उन्होंने जबर्दस्ती मेरे अंगूठे का निशान, मेरा इस्तीफा जिसमें मेरी सारी जमीन-जायदार, जो 12 बीघा 9 कट्ठा, जिसमें 10 कट्ठों में बांस लगे हुए हैं को ले लें, लगवा लिया। मैंने फैक्टरी के पटवारी ठाकुरलाल के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करवाया। इसी के साथ मामले पर इस शर्त पर समझौता हुआ कि मैं अपने तीन बीघे की फसल, जो मुझे 25 रु. देकर फैक्टरी द्वारा काट ली गई थी, क्षतिपूर्ति के रूप में दे रहा हूं।

फैक्टरी के पटवारी ने धोखे से समझौते में दर्ज किया कि मैं अपनी जायदाद भी दे रहा हूं। इसके बाद फैक्टरी ने मुझे घर से निकाल बाहर दिया तथा मुझे मेरी जायदाद से वंचित कर दिया। अब मैं स्व. शेख जनाब अली के मकान में एक गांव पचरूखा में और साथ ही साफी में रहता हूं जहां मेरी थोड़ी सी जमीन है। तब मैंने एक मुकदमा दायर किया जिससे सबको मालूम हो जाए, परंतु इसे खारिज कर दिया था। उसके बाद नए सिरे से मैंने धारा 103 के अंतर्गत अपना दावा प्रस्तुत किया।

पुनः मुझे दीवानी अदालत जाने का आदेश दिया गया। मेरी जायदाद के बांसों के झुरमुट तथा दो बीघा जिरात पर फैक्टरी का कब्जा है और बाकी के लिए पटवारी तथा अन्य किसानों, जिनमें रामबरन, जिसे घर बनाने के लिए जमीन दी गई थी, भी शामिल है, के साथ समझौता हो गया।

मेरी जायदाद का लगान 30 रु. या इसके करीब था। पिछले सर्वेक्षण में मेरी साढ़े नौ बीघे जमीन का लगान कुल जमा 26 रु. या इसके करीब था।

प्रश्न : वह क्या कारण है जिससे फैक्टरी ने जबर्दस्ती दबावपूर्वक इस्तीफे के लिए तुम्हारा अंगूठा निशान लगवा लिया?

उत्तर : इसके पहले फैक्टरी ने मेरे विरुद्ध एक आपराधिक मुकदमा दायर किया, जिसमें पुनर्विचार की प्रार्थना करने के बाद मुझे दोषमुक्त कर दिया गया। गाड़ी नहीं हांकने के लिए लगभग 150 रु. के नुकसान के हर्जाने का दावा भी मेरे खिलाफ किया गया था, उसका फैसला भी मेरे पक्ष में हुआ।

(2) खोबारी पाण्डेय आत्मज सालिग्राम पाण्डेय, निवासी गांव परसरामपुर, थाना मोतिहारी का बयान :

1317 फसली के बाद अलग से 4 आना प्रति पशु मांग करने की बात से फैक्टरी के साथ झगड़े की शुरूआत हुई। इस बात ने बहुत सारे दीवानी और फौजदारी विवादों को एक साथ तभी से जन्म दिया था। मुझसे शरहवेशी की मांग 1320 फसली में की गई थी परंतु मैंने किसी भी तरह का समझौता करने से मना कर दिया। इस बात पर फैक्टरी और अधिक भड़क उठी। संशोधित सर्वेक्षण में भी फैक्टरी की लड़ाई से उत्पन्न सब परेशानियों का ब्यौरा मिलेगा जब इनके दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे। अब भी अनेक विवाद अनिर्णित पड़े हैं। इन सभी मुकदमों का मूल उद्देश्य मुझको बर्बाद करना है, मोहम्मद अली तहसीलदार ही फैक्टरी का वह प्रमुख आदमी है जिसने यह सब बदमाशी की है।

फैक्टरी के अमलों ने बहुत सारी बाधाएं खड़ी करके मेरे लिए व्यावहारिक रूप से यह असंभव कर दिया है कि मैं अपनी भूमि को जोत सकूं, यद्यपि विवाद अभी भी है। उन्होंने कुछ बाधाएं कम की हैं क्योंकि सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मुझे निर्दोष पाया है।

मोतिहारी, 18-4-17

(3) मोसम्मात फरीदन, निवासी गांव कमालपुरा, साकिन टोला जाट टिनकोलिआ का बयान :

मेरे पुत्र का नाम मीर तिफारत है। मेरे पति के पास 5 बीघा 12 कट्ठा, 12 धुर, 16 ताड़ के वृक्ष और बानों की 8 कोठियों की जायदाद थी। फैक्टरी के बढ़ते

उपद्रवों के कारण मेरे दूसरे रिश्तेदार गांव और अपनी जमीन छोड़कर मालगंज में रहने के लिए चले गए। फैक्टरी के अमलों ठाकुर लाल और मो. अली तहसीलदार चाहते हैं कि मैं भी गांव छोड़कर चली जाऊं। मैं कभी इससे सहमत नहीं थी। यही कोई सात बरस पहले उन्होंने जबरन मुझे अपनी जमीन के स्वामित्व से बेदखल कर दिया, गोकि मैंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने मेरे घर का सारा सामान भी बेच दिया और वे चाहते थे मैं घर के लिए कहूं, जिसे मैंने अस्वीकार किया और विरोध प्रदर्शन किया। मैं अब भी घर व जमीन पर रहती हूं तथा भीख मांग कर जीवित हूं। मैंने जिला सर्वेक्षण कलेक्टर को प्रार्थनापत्र भेजा तो फैक्टरी के अमलाओं ने जमीन वापस करने का वादा किया। उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है, केवल घर, जमीन 4 कट्ठा बांस के सहित मेरे नाम पर दर्ज कर दिया है।

शपथपूर्वक साक्षी के अंगूठे का निशान लिया गया क्योंकि वह अनपढ़ है।

(4) झाबू साहू आत्मज दुर्गा साहु, निवासी परसारमपुर, थाना मोहिजारी का बयान :

1320 फसली में फैक्टरी यह चाहती थी कि सब काश्तकार नील उगाना बंद कर दें तथा बढ़ी हुई लगान दरों पर समझौता करें। मैंने तथा तीन अन्य काश्तकारों गोबिंद पांडे, बालगोबिंद लाल और खेलावन पांडे ने 2-11-12 को जिला हाकिम (कलेक्टर) के समक्ष उन्हें यह सूचित करते हुए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया कि फैक्टरी बढ़ी हुई लगान दरों पर समझौता रजिस्टर करवाने के लिए अवैध तथा गलत ढंग अपना रही थी। दण्डाधिकारी (मजिस्ट्रेट) महोदय ने फैसला देते हुए आदेश दिया कि उन्हें करारनामे को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसी वजह से 1913 के लगभग फैक्टरी ने 11 गेनन्त बनाकर बलपूर्वक मुझे बेदखल करने की कोशिश की। तीन काश्तकारों ने जबर्दस्ती मेरी जमीन पर अधिकार कर लिया। संशोधित सर्वेक्षण में फैक्टरी फर्जी इस्तीफे के द्वारा इस अवैधता को पुष्ट करने में सहायता करना चाहती थी। जिसने यह सब किया वह ब्रह्मलाल पटवारी है। सर्वेक्षण अधिकारियों ने इस विवाद का फैसला मेरे पक्ष में दिया। साहब तो पूर्णत: अपने अमलाओं के हाथ की कठपुतली है मुख्यत: मोहम्मद अली तहसीलदार। वह स्वयं चीजें नहीं देखते, देखिए प्रार्थनापत्र तथा फैसला, प्रमाणित प्रतिलिपियां और कोरी प्रतियों पर दस्तखत तभी तो अमला मुझे दबा रहे हैं।

(5) अच्छे राय, उम्र 59 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी मुरारपुर, थाना गोबिंदगंज, कोठी तुरकौलिया का कथन इस प्रकार है :

सर्वेक्षण के ठीक पहले कोठी ने बाध्यतापूर्वक मुझसे एक समझौता स्वीकार कराया जो शहरवेशी की जमीन जो सराह मोइयां हैं, के लिए था। हमने बढ़ी हुई

लगान दर देना नामंजूर किया। मैं बंदोबस्त अधिकारी के समक्ष पेश हुआ। उसने मेरी सराह मोइयां और खेमी की जमीन पर मूल लगान के बराबर दंड लगाया तथा बढ़ाई हुई सब राशि अस्वीकृत कर दी। बगाल लगान वसूली अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत कोठी को लाया गया परन्तु वहां भी हम सफल रहे। अंत में अधिकारों को समाहित करने वाले रजिस्टर में मूल लगान राशि ही प्रकाशित की गई। सर्वेक्षण अधिकारियों द्वारा तय हुई। लगान राशि ही प्रकाशित की गई। सर्वेक्षण अधिकारियों द्वारा तय की गई लगान राशि जब हम जमा करने के लिए गए तो कोठी ने स्वीकार करने से मना कर दिया। हमने इसे मनीआर्डर द्वारा भेजा जो वापस आ गया था। परंतु कोठी अड़ी रही कि मैं या तो शरहवेशी का भुगतान करूं या नील उपजाऊं। मुझे और अधिक परेशान करने के लिए फैक्टरी ने सी.आर.पी.सी. की धारा 107 के अंतर्गत मेरे विरुद्ध झूठे आरोप लगाए, किंतु दंडाधिकारी (मजिस्ट्रेट) ने उस प्रक्रिया को बंद करवा दिया। नील की खेती करने की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया और सर्वेक्षण अधिकारियों द्वारा पेड़ों का उपयोग करने की छूट हमें दे दी गई।

मोतिहारी, 23.4.17

(6) राजवल्लभ महतो आत्मज अनंत महतो, आयु 53-54 साल, निवासी गांव बासवरिया, थाना गोबिंदगंज, जाति खतरी, धंधा कर्मचारी और कृषि का बयान :

फसली में गांव तुरकौलिया कोठी को पट्टे पर दिया गया। 1291 में पट्टे को किसी फैक्टरी की मुकर्ररी में बदल दिया गया था। जबकि कोठी ने भी पट्टे के अनुसार कइ तरह के अहबाब भुनाने की कोशिशें कीं जैसे सलामी और उसी तरह अन्य। लगान तेजी से बढ़ाए जाने की मांग जोरों से आती रहीं और कृषकों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए दीर्घकालीन कानूनी प्रक्रिया शुरू करनी पड़ी। जब गांव मुकर्ररी में आया, छोटी लग्गी से कोठी द्वारा जमीन नापी गई और शरियत तथा बढ़े हुए क्षेत्र के लिए लगान वसूली के और मुकदमे दायर किए गए। मुकदमे किसी तरह असफल हो गए और पुराने आदेश ही यथावत् रहे। 1300 की सर्वेक्षण कार्यवाही पूरी होने के साथ ही कोठी में दूसरे तरह की उलझनें पैदा की गई। परिणाम यह हुआ कि शरियत को पहले की तरह छोड़ दिया गया था और बढ़े हुए क्षेत्रफल पर सामान्य लगान भुगतान योग्य पाया गया। 1318 में तुरकौलिया कोठी से जलहा कोठी (यह गांव जलहा के अंदर पड़ता है) दूसरे बगान मालिक को हस्तांतरित कर दिया गया। नए साहब ने नील उगाने के लिए नया सट्टा लागू करने के लिए किसानों पर दबाव डालना शुरू किया। हमने कलेक्टर से प्रार्थना की और उन्होंने साहब को बलपूर्वक शासन नहीं करने को कहा। परंतु इससे कोई असर नहीं हुआ। पुलिसवालों की धमकियों के साथ सट्टा लागू कर दिया गया (मुनसिफ और

उप-न्यायाधीश बनाम कुछ किसान जिन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया के फैसले के अनुसार) बाद में जब नील की खेती एक घाटे का सौदा बन गई तब रु. 45 से रु. 55 हर्जाने के रूप में हमसे मांगे गए। और यदि हम इसे नहीं दे पाए तो हम पर शरहवेशी समझौता लगान दर रु.18 प्रति बीघे के हिसाब से लागू करने को कहा गया। हममें से अधिकांश ने उपरोक्त विकल्प स्वीकार करने से मना कर दिया। इसके बाद दीवानी मुकदमे लाए गए जिनका फैसला हमारे पक्ष में हुआ (फैसला दर्शाता है) इससे असंतुष्ट कोठी ने अनेक तरह से हमें परेशान करना शुरू कर दिया और आपराधिक आरोप लगाए जिनमें हम दोषमुक्त करार दिए गए। तब कोठी ने हमारे ऊपर सी.आर.पी.सी. की धारा 107 के अंदर अभियोग लगाया। सौभाग्य से इससे भी हम इसी तरह दोषमुक्त करार दिए गए। वर्तमान सर्वेक्षण के खतियान में पुराने रजिस्टर में दर्ज लेख के विपरीत नील को प्रवेश करा दिया गया। लगान व्यवस्था के वैध विक्रय में मैंने अपने भाई रघुनंदन महतो के नाम से एक जमाबन्दी खरीदी और 12 वर्षों से मेरे स्वामित्व में है, परंतु कोठी द्वारा इसका दाखिलखारिज नहीं किया गया क्योंकि साहब ने लगान दर रु. 3 प्रति बीघे की मांग की जबकि मैं पूर्व मालिक के नाम से एक रुपया भुगतान करता रहा हूं दूसरे 4 बीघे जमीन के विषय में मेरा नाम कोठी द्वारा अपने शेरिस्ता में नहीं चढ़ाया गया, जबकि यह सराह मोइयां मोकर्ररी उस जमीन पर एक रुपया प्रति बीघा है। अत: मैं रु. 2-8-0 प्रति बीघे की उनकी मांग से सहमत नहीं हूं।

हस्ताक्षर
अनुग्रह नारायण सिंह

धरनीधर :

तुरकौलिया के खिलाफ शिकायत

(1) शेख इनायत उल्ला आत्मज शेख मीर सरवर, निवासी गांव शंकर सरइया, टोला फतेह, थाना मोतिहारी का बयान :

अतिरेक प्रभाव तथा बलपूर्वक राज करने के तरीकों से फैक्टरी ने मुझसे तथा अन्य किसानों से शरहवेशी लिया। इसमें जोर-जबर्दस्ती सहित हर तरह की निर्ममताएं भी बरती गईं।

यह भी दस्तावेजों में टिप्पणी दर्ज है कि आधी लकड़ी भूस्वामी की होती है जो पूर्व सर्वेक्षण और रीति-रिवाजों के विरुद्ध है।

फैक्टरी ने बलपूर्वक हल और बैलगाड़ियां ले लीं। यहां तक कि यदि हम अपनी जमीन पर दोबारा मकान बनाते हैं तो वह भी फैक्टरी हमें सलामी का भुगतान दिए बगैर नहीं बनाने देती। मोहम्मद अली तहसीलदार नियुक्त होने के बाद से ही

कृषकों पर हर प्रकार से जुल्म ढा रहा है।

कृषकों को दिये जाने वाले सिमाल रु. 0-16-0 फैक्टरी ने दबावपूर्वक छीन लिये। ठीका जमीन के पेड़ों पर सायर लगान भी फैक्टरी ने भुना लिया। फैक्टरी हर किसान से आठ आना प्रति भैंस तथा 4 आना प्रति गाय के हिसाब से वसूल करती रही। शरहवेशी के बाद इससे छूट दी गई।

जब तक भैंसे दूध देती थीं उन्हें फैक्टरी ले जाया जाता और वहीं रखा जाता था। इस प्रकार यह भी अमला को किसानों से फिरौती वसूल करने का मौका मिलता है। जो अमला को कुछ दे देते जैसे एक या दो रुपए, उन्हें अपनी भैंसें वापस ले जाने दिया जाता। जिस साल लगान चुकाया जाता उस साल में रसीद नहीं दी जाती है।

किसानों के पशुओं से मिलने वाला दूध, गोबर आदि फैक्टरी बलपूर्वक छीनती और अपने लाभ के लिए पशुओं की खाल भी बेच देती है। इसीलिए यह हुआ कि चमारों ने जूते और छोमला देना बंद कर दिया। फैक्टरी के बाड़े में पशुओं की खाल का गोदाम है।

इसी तरह का बयान उसी गांव के निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा भी दिया गया–

शेख अकबर आत्मज शेख अब्दुल रहमान
राम किशुन साहू आमज प्रयाग साहू
फेकूसिंह आत्मज भोलासिंह
जुगतसिंह आत्मज बालसिंह

(2) हरिहर चौबे आत्मज बिरजमोहन चौबे, निवासी गांव अहिरगांव, थाना गोबिंदगंज का बयान :

1319 फसली से फैक्टरी ने शरहवेशी लेना शुरू किया। हमने इसका विरोध किया। फैक्टरी के द्वारा 1320 में मजदूर, नाई, धोबी, बढ़ई और लोहारों को किसानों के लिए कोई भी काम करने से वर्जित कर दिया गया। पशुओं को हटाकर भारी संख्या में चपरासियों की नियुक्ति भी शुरू हो गई। जबरदस्ती के इन तरीकों के कारण हमको शरहवेशी मानना पड़ा।

ऐसे ही आक्रमणों और कोठीघर में कैद करके हमसे बढ़ी हुई लगान वसूली गई। इसी का परिणाम हुआ कि हर साल कृषक गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। बकाया भुगतान करने के लिए हमें अपने पशुओं को बेचना पड़ता है। बढ़ोतरी से सामान्य रूप से लगान दोगुनी कर दी गई।

हमारे खेतों की जुताई के मौसम में फैक्टरी जबर्दस्ती हमारे हल ले जाती और प्रति बीघा दो, चार और दो फुल्टन केवल 8 आना देती। हल के बिना हमारे खेत सूखे

पड़े रहते हैं जबकि उनमें बुआई हो जाना चाहिए। एक बीघे के जोतने के लिए 6 या 7 हलों की जरूरत पड़ती और हमें इस तरह दो आने प्रतिदिन देना पड़ता इसके अलावा एक सेर सतुआ खाने के लिए। इस प्रकार हम जो खर्च करते वह पाते नहीं हैं।

जो फैक्टरी से स्वीकृत होता वह भी वास्तव में हमको नहीं प्राप्त होता। फैक्टरी के अमला इसका दुरुपयोग और घपला करते हैं।

फैक्टरी जबर्दस्ती हमारा सट्टा और बैलगाड़ियां ले गई। महाई के मौसम में उनसे महीनों गाड़ी चलवाते और यदि एक दिन भी गाड़ीवान को देर हो जाती तो उसे बेरहमी से पीटा जाता अैर हमसे एक दिन का पांच रु. जुर्माना लिया जाता।

एक साल के लिए एक गाड़ी का हमें तीन या चार रु. से अधिक प्राप्त नहीं होता।

संशोधित सर्वेक्षण में एक नोट दर्ज किया गया है कि आधी इमारती लकड़ी जमींदार की फैक्टरी के कब्जे में है, यह पूर्व सर्वेक्षण और रिवाज के विपरीत है।

इस तरह के बयान उसी गांव के निम्नलिखित व्यक्तियों के भी हैं–

1. गुलाम दुसाध आत्मज तुलसी दुसाध
2. कमल तिवारी आत्मज बासु तिवारी

आगे बताते हैं– गांव मोहम्मदपुर में मेरे पास ढाई बीघा बिरट है। पिछले सर्वेक्षण में इसे भ्रामक ना दिया गया है। यह जोल्हा फैक्टरी में है। राज और फैक्टरी ने इसे काबिल लगान के रूप में दर्ज करवा लिया और क्षेत्रफल को सिर्फ ढाई बीघा दर्ज करवा लिया है।

(3) शेख कुदरत आत्मज शेख शहादत, निवासी गांव चानरगन्हा, थाना मोतिहारी का बयान :

फसली में फैक्टरी ने किसानों से कहा कि नील नहीं उगाएं क्योंकि तब यह फायदेमंद नहीं रह गई थी और चाहती थी कि किसान बढ़ा हुआ लगान दें तथा शरहवेशी समझौते को मानें। किसानों ने ऐसा करने से मना कर दिया और इससे किसानों पर एक सुनियोजित दमन और आक्रमण चालू हुआ। पशुओं को कांजी हाउस में डाल दिया, चपरासी नियुक्त कर दिए गए, नील की खेती के लिए चुनी हुई जमीन के पास निकास और पैथर बाधा उत्पन्न की गई और किसानों को शरहवेशी मनवाने के लिए फैक्टरी ले गए। 138 फसली में इस प्रकार अधिकांश किसानों ने शरहवेशी को मान लिया, जबकि हममें से कुछ ने उसी साल इसका विरोध किया। दमनचक्र चलता रहा और अंत में हमको बहुत कुछ खोना पड़ा। 1320 फसली में इस तरह आक्रमण के अंदर मुझे शरहवेशी मानना पड़ा। मेरे पास 18 बीघे, 3 कट्ठा, 12 धुर कुल जमा रु. 25-2-9 की जायदाद थी। पिछले साल के सर्वेक्षण में कम लंबाई का लग्गा था। फैक्टरी ने मेरी जायदाद का क्षेत्रफल बढ़ाकर 20 बीघे और इससे

अधिक कर दिया। दूसरे किसानों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव हुआ। बढ़ोतरी के कारण जमा को लगभग रु. 54 तक बढ़ा दिया गया। मेरी दूसरी जायदाद है उनका जमा भी बढ़ा दिया। संशोधित सर्वेक्षण का हमने विरोध किया जिसे उन्होंने स्वीकार किया। तत्पश्चात् फैक्टरी ने किसानों को बढ़ोतरी के लिए सहमत होने के समझौते का प्रार्थना-पत्र देने के लिए बाध्य कर दिया।

तब हमने दूसरी कोशिश की और उसका फिर से धारा 103 के अंतर्गत विरोध किया जो सफल नहीं हो पाया, क्योंकि डिप्टी साहब ने कहा कि वह आदेश परसाउना मुकदमे के फैसले के बाद पारित किया जाएगा। अभी तक हमको मालूम नहीं कि वह मुकदमा खतम हुआ या नहीं, तथापि वह सब एक साल पुरानी बात है।

प्रश्न : तुमने धारा 103 के मुकदमे के परिणाम इतने लंबे समय से जानने की चिंता क्यों नहीं की?

उत्तर : फैक्टरी के आदमियों के डर से हमने मुकदमे की पैरवी करना छोड़ दिया और धारा 103 के अंदर हमारा विरोध खारिज हो गया होगा।

फैक्टरी ने थिक्का भूमि के पेड़ों की उपज की आधी कमाई भी जबरदस्ती वसूल की। पहले जैसे 10 से 15 साल पूर्व फैक्टरी सिसो की डालियां ही बांटती रही है, परंतु संशोधित सर्वेक्षण के बाद से तो यह थिक्का भूमि के सभी पेड़ों की आधी लकड़ी पर कब्जा जमा रही है। इस बात को प्रभावी करने के लिए संशोधित सर्वेक्षण में एक नोट दर्ज किया गया है। यह रीति के विरुद्ध है और पिछले सर्वेक्षण के विपरीत है।

फसली से पहले प्रत्येक महाई मौसम में बैलगाड़ियों के लिए 25 रु. से 40 रु. प्राप्त होते थे और इसका हिसाब महाई मौसम खतम होने के तत्काल बाद चुकता कर दिया जाता था।

परन्तु 1318 फसली के बाद हमें बैलगाड़ियों के लिए 4 रु. या 5 रु. से अधिक नहीं मिले वह भी महीनों बाद।

फसली से पहले जिलेदार, सेजवाल और टोकेदार हर गाड़ीवान से 2 रु. लिया करता था। 1318 फसली के बाद में वे कुछ नहीं लेते। अब सेजवाल हर गाड़ीवान से केवल एक रुपया लेता है।

फैक्टरी हमारे खेतिहर मजदूरों को जबरदस्ती काम छोड़ने पर बाध्य करती है और फैक्टरी की जमीन पर काम पर लगाती है।

फैक्टरी हमारे हल ले गई और वे औसतन 6 पाई प्रति हल प्रतिदिन से अधिक नहीं देते हैं। मुंशी हिसाब चुकाते समय अपने लिए कुछ काट लेता है। लग्गी को छोटा करके 7 3/4 हाथ कर दिया है।

(4) कोदई मियां आत्मज भारदुल मियां, निवासी बभनौलिया, थाना मोतिहारी का बयान :

1320 फसली में तीनकठिया पद्धति के अंतर्गत फैक्टरी ने वहां नील उगाना बंद कर दिया जहां हम खेती करते थे और हम पर हमला करके शरहवेशी मान्य करने के लिए बाध्य कर दिया। मेरे पास तीन जामा मेरे अपने नाम से, मेरे भाई के नाम से और भाई दिलजान के नाम है। शरहवेशी सभी जामा पर लिया गया था।

बढ़ोतरी की दर रु. 1-8-0 से 2 रु. प्रति बीघा है। पहले हमारी जमीनें जायदाद 3 रु. प्रति बीघा थीं।

कौरी रु. 0-8-0 प्रति पशु बेचने पर और अनाज बेचने पर रु. 0-0-3 प्रति रुपया वसूल किया जाता है।

फसली का बहाना बनाकर लगान भुगतान के लिए पटवारी रु. 0-0-6 प्रति रुपया किश्त खिलाफी (किश्त के बाद भुगतान) वसूल करता है। संशोधित सर्वेक्षण मे एक नोट दर्ज किया गया है कि जमीन की आधी लकड़ी पर जमींदारों का कब्जा है। यह रीति और पूर्व सर्वेक्षण के विपरीत है।

हमें अपने हल या घर बनाने के काम के लिए भी शाखाएं काटने की अनुमति नहीं है। हमें घर बनाने की आज्ञा लेने के लिए एक रुपया सलामी के रूप में देना पड़ता है।

कोदई मियां का
अंगूठा निशान

इसी गांव के रामदत्त आत्मज रामग्रह महतो ने यही बयान दिया।
जोड़ा-मेरे पास 2 जामा मेरे नाम और मेरे चाचा के नाम पर है।

रामदत्त का अंगूठा निशान

(5) रामसहाय आत्मज झगडू महतो, गांव वभनौलिया का निवासी, थाना मोतिहारी का बयान :

1381 या 1319 फसली में फैक्टरी ने मुझसे और दूसरे किसानो से आकर नील बोने और बढ़ी हुई लगान देने तथा शरहवेशी को मान्य करने के एि कहा। किसानों ने पहले ऐसा करने का विरोध किया, परंतु अत्याचार और निर्मम तरीके के द्वारा उन्हें शरहवेशी को मान लेने पर बाध्य कर दिया गया। इसी प्रकार मैंने और दूसरे किसानों ने शरहवेशी को लागू किया।

संशोधित सर्वेक्षण में यह दर्ज किया गया है कि थिक्का जमीन की आधी लकड़ी जमींदारों की है। इसे फैक्टरी के संकेतों पर दर्ज किया गया। यह रीति-रिवाजों और पिछले सर्वेक्षण के विरुद्ध है।

बेगारी तरीके के अंतर्गत फैक्टरी हम खेतिहरों से हल व मजदूर लेती है। हमारे अपने जुताई के मौसम में हल ले जाए जाते हैं।

जब हमें अपने घर बनाने के लिए आज्ञा लेने के लिए सलामी का एक रु. का भुगतान करना पड़ता है।

जब हम अपने पशु बेचते हैं, हमको 8 आना प्रति पशु कौड़ी देना पड़ता है।

जब जमीन रेहन में रहती है नील की खेती की प्रति बीघे कीमत 20 रु. आती है और यदि मृदु (सुंभा) होती तो 6 रु. प्रति बीघा।

इस कार्य में दो बार कोरनी, तीन बार हल, प्रत्येक समय 2 चारु या चार बार चलाना पड़ता और यदि वर्षा हुई और हर समय हल चलाना पड़ा तो उस्टानी भी होती है।

हम गोंद फसल के मामले में 15 रु. प्रति बीघा भुगतान करते रहे अन्यथा फसल के परिणाम के बराबर या बीजमार के मामले में कुछ भी नहीं।

बेगारी मजदूर के मामले में मजदूरों का नाममात्र का भुगतान होता और बहुधा कुछ भी नहीं मिलता।

वे मजदूर जो दिन-प्रतिदिन फैक्टरी में काम करते, उन्हें 2 आना या 1 आना 3 पाई उम्र के अनुसार मिलता है।

हम अपने मजदूरों को 1 सेर खाने के अलावा दो आने देते हैं।

रामसहाय का अंगूठा निशान

इसी गांव के निम्नलिखित व्यक्तियों ने इसी के समान बयान दिए हैं।

1. पठलू आत्मज नारायण महतो, जायदाद 5 बीघा, 7 धुर, जमा रु. 15-2-6 की दर से। इसे बढ़ाकर रु. 24-1-6 कर दिया। एक हिस्सा वालीजान को बेच दिया गया।

   पठलू का अंगूठा निशान

2. प्रहलाद आत्मज जयपाल महतो, रु. 13-2-6 के जमा पर 5 बीघा 10 धुर की जायदाद पर अब बढ़ाकर 22 रु. किया गया है।

   प्रहलाद का अंगूठा निशान

3. तापसी जोलाहा आत्मज शकूर मियां। 15 रु. के जमा पर 5 बीघा की जायदाद। बहुत पहले मैंने कुछ हिस्सा वालुजान को बेच दिया, शेष बची 2 बीघा 3 कट्ठा जमा 6 रु. को अब बढ़ाकर 11 रु. कर दिया गया है।

   तापसी जोलाहा का अंगूठा

4. राजदेव आत्मज तुलसी ठाकुर। 11 रु. के जमा पर 4 बीघा 10 कट्ठा की जायदाद, अब बढ़ाकर 20 रु. कर दिया है।

राजदेव का अंगूठा निशान

5. दसाइन कोइरी आत्मज डोमन महतो। रु. 24-10 के जमा पर 10 बीघा जायदाद, अब बढ़ाकर रु. 45-8-0 कर दिया है।

दसाइन का अंगूठा निशान

6. शुकुल साहू आत्मज टूला साहू, 7 रु. के जमा पर 2 बीघा 15 कट्ठा की जायदाद, 4 रु. के जमा पर 1 बीघा जायदाद, कुल 11 रु., अब बढ़ाकर 15 रु. कर किया गया है।

शकुल साहू का अंगूठा निशान

7. लालचंद चमार आत्मज झारी चमार– 8 रु. के जमा पर 2 बीघा जायदाद, वालीजान को बेचे गए 15 कट्ठा समेत। अब मुझे केवल दो बीघा के लिए 8 रु. देना पड़ता है।

जोड़ा गया-दस साल से जानवरों की खालों पर फैक्टरी का एकाधिकार चल रहा है।

लालचंद का अंगूठा निशान

8. किशुन भगत आत्मज बिसराज भाट– रु. 0-14-0 के जमा पर 6 कट्ठा 7 धुर की जायदाद, अब बढ़ाकर रु. 1-7-0 कर दिया गया है।

किशुन भगत का अंगूठा निशान

9. धनेशर भाट आत्मज गरीब राय, रु. 1-13-0 के जमा पर 1 बीघा 5 कट्ठा की जायदाद, अब इसे बढ़ाकर रु. 3-13-0 किया गया। पिछले साल मेरे पिता से सर्वेक्षण अधिकारी के सामने दबावपूर्वक प्रार्थनापत्र दिलवाकर शरहवेशी वसूल की गई। मेरे पिता गुजर गए हैं।

धनेशर भाट का अंगूठा निशान

हस्ताक्षर धरनीधर

रामनवमी प्रसाद :

बेतिया, 24.4.17

(1) शिवगोविंद लाल आत्मज रामयद लाल, निवासी गांव माधोपुर, थाना मोतिहारी, कोठी तुरकौलिया, मैं बेतिया राज का अमीन हूं, आयु 43 साल का बयान :

पहले मैं चुनावी पद्धति के तरीके से 2 कट्ठा प्रति बीघे के हिसाब से नील उगाता रहा जो अपने आप में एक खराब बात थी। नील की फसल में मैं छः रु. या सात रु. प्रति बीघा खर्च किया करता था। कोठी 15 रु. प्रति बीघे का भुगतान किया करती थी। मुझे 9 रु. प्रति बीघे का फायदा प्राप्त होता रहा। मैंने नील की खेती की देखभाल नहीं की। प्रति कट्ठा खेती के लिए निम्नलिखित मजदूरों की आवश्यकता होती है–

कोड़नी	3 जन
चिखूरी दो बार	10 जन
सोहनी दो बार	4 जन
कटनी	4 जन
कुल	21 जन

दर 0-1-6 = 1-15-6

इसके अलावा हलों की संख्या 8 = 1-0-0

लगभग 3-0-0

इस तरह हिसाब लगाने पर खर्च लगभग 60 रुपए आता है। मैंने गलती से गलत हिसाब दे दिया था।

नील की खेती 1320 फसली तक होती रही। इसके बाद फैक्टरी ने बलपूर्वक वृद्धि करने का समझौता लागू करवा दिया। मैं एक रुपया प्रति बीघा देता रहा। अब इसे बढ़ाकर 2 रु. से 3 रु. प्रति बीघा कर दिया गया है। मैंने फैक्टरी के डर से सर्वेक्षण अधिकारियों से विरोध प्रगट नहीं किया। वे भी कोठी के विरुद्ध नहीं जा सकते। एक भूखंड के लिए सर्वेक्षण अधिकारियों ने बढ़ोतरी नहीं मानी। उसके बाद फैक्टरी ने तीन चपरासियों को मेरे पास भेजा जो मुझे फैक्टरी ले गए जहां मुझे हिरासत में दो घंटे के लिए फैक्टरी के मुलाजिम की देखरेख में रखा गया। उसी जगह से मुझे मोतीहारी लाया गया जहां मुझे सर्वेक्षण अमला के सामने अपील करनी थी तथा मुझे उस जमीन पर नील की खेती के लिए राजी होना था। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि मेरे पशु जब्त न कर लिए जाएं। डोम मेरे दरवाजे पर बैठा दिए गए होते। हज्जाम ने आना बंद कर दिया होता। मेरा पानी बंद कर दिया जाता। फैक्टरी जोर-जबरदस्ती लगान वसूल करती है और लोगों को कई तकलीफें देती है जिसमें लोगों की इज्जत का कोई ध्यान नहीं रखा जाता।

मोतिहारी, 30-4-17

(2) मोसमात फरीदन विधवा पति मीर किफायत, निवासी कावलपुर, थाना

मोतिहारी, कोठी तुरकौलिया का बयान :

मेरे पति के पास 5 बीघे जमीन थी जो उसकी मृत्यु के बाद मेरे स्वामित्व में थी। परन्तु पांच या छः साल पहले कोठी ने मुझे जमीन से बेदखल कर दिया। फैक्टरी ने सर्वेक्षण के सामने मुझे अपना विरोध प्रगट नहीं करने दिया, जब भी मैं आई, मुझे दूर भगा दिया गया। मेरा एक अवयस्क पुत्र मीर तिहामत है (रोते हुए)।

अंगूठा निशान बयानकर्ता

(3) दोस्त मोहम्मद आत्मज शेख जालिम, निवासी करवलपुर, थाना मोतिहारी, कोठी तुरकौलिया का बयान :

मेरे पास 12 बीघे 9 कट्ठा जमीन है। मैं नील उगाया करता था। बलपूर्वक तीन वर्ष पहले मुझे जमीन से बेदखल कर दिया गया। बहुत सारे किसान वाटगंज (पिपरा फैक्टरी के अंतर्गत) की ओर भाग गए। मेरे विरुद्ध एक आपराधिक अभियोग लगाया गया जिसमें मुझे निर्दोष पाया गया। कोठी द्वारा एक मुकदमा गाड़ी नहीं भेजने के लिए जुर्माना भरने की मांग को लेकर चलाया गया। यह मुकदमा भी खारिज हो गया। तब कोठी ने मेरी दो बीघा जमीन पशुओं से चरवा दी। दूसरा आपराधिक अभियोग मैंने पटवारी के खिलाफ लगाया। इस विवाद का समझौताा हो गया। इसके बाद मुझे बेदखल कर दिया गया। मैं अपने रिश्तेदार के साथ मोहम्मदपुर गांव, थाना मोतिहारी में रहता हूं।

(4) रोज मियां आत्मज चुलहई मियां, निवासी ग्राम टिकैता, थाना मोतिहारी का बयान :

फसली 1318 में फैक्टरी ने मुझसे और दूसरे किसानों से कहा कि आगे से नील की खेती बंद करो और बढ़ा हुआ लगान देने तथा शरहवेशी दस्तावेजों पर अनुबंध करने के लिए कहा। किसानों ने इसके लिए इनकार कर दिया। इस पर दो माह तक किसानों पर हर तरह के अत्याचार किए गए जैसे पशुओं को बंद कर देना, किसानों के घरों पर चपरासियों की तैनाती, गोरहा जमीन का चयन, नील की खेती के लिए निकास बंदी। इस प्रकार किसानों को शरहवेशी दस्तावेजों पर जबरन अनुबंध के लिए बाध्य किया। मैंने भी दबाव में शरहवेशी दस्तावेजों को निष्पादित किया। मेरी 2 बीघा 8 कट्ठे संपत्ति का जमा रु. 7-14-0 था, जो कि अब बढ़ाकर रु. 12 कर दिया गया है। फैक्टरी तभी से बढ़ा हुआ लगान वसूल कर रही है। फैक्टरी वृद्धित लगान की रसीदें ही स्वीकृत करती है।

प्रश्न : क्या आपने पुनरीक्षणात्मक सर्वेक्षण में केई विरोध दर्ज करवाया?

उत्तर : पटवारी और गुमाश्ता ने कुछ किसानों, जिन्होंने विरोध किया था, पर हमला किया और मारा-पीटा और शेष को डराया-धमकाया, अतः हमने कोई विरोध

नहीं किया। पुनरीक्षण सर्वेक्षण में यह टिप्पणी दर्ज है कि थिक्का जमीन की आधी लकड़ी भूस्वामी की है, यहां तक कि यह रिवाजों और पिछले सर्वेक्षण के विपरीत है। फैक्टरी जोर-जबरदस्ती हमारे हल ले जाती है और हमसे जबरन मजदूरी करवाती है। खेतों का खर्च थिक्का पद्धति से दिया जाता है यथा एक कट्ठे पर दो आना दिया जाता है। परन्तु वास्तव में हमें वह भी नहीं दिया जाता क्योंकि लेखा-जोखा 15 दिन बाद किया जाता है और बहुत थोड़ा दिया जाता है।

मुतर्फा हर जुलाहे से लिया जाता है जो आठ आना प्रति व्यक्ति है, यद्यपि हम बुनाई का काम नहीं करते।

अंगूठा निशान रोज मियां

इसी प्रकार का बयान इसी गांव के नीचे लिखे व्यक्तियों ने दिया–

1. तुरब मियां आत्मज मुस्सदी मियां
2. सत्ता मियां आत्मज छत्तू मियां
3. सुप्पन मियां आत्मज तूफानी मियां
4. सुकन मियां आत्मज उतीम मियां
5. शिवदयान ठाकुर आत्मज धनराज ठाकुर

(5) गोखुल सुकुल आत्मज जगेसर सुकुल, निवासी गांव चारगढ़, थाना मोतिहारी, कोठी तुरकौलिया, का बयान :

मैं दबाववश मजदूरी में नील उपजाता रहा। मेरा सट्टा तीन साल पहले समाप्त हो गया है। उसी समय से मैं नील नहीं उगा रहा हूं। दबाव के कारण मुझे शरहवेशाी समझौता मानना पड़ा। मेरा सट्टा कब समाप्त हुआ मैं ठीक-ठीक नहीं बता सकता। मैं अनपढ़ हूं। कोठी बढ़ी हुई लगान वसूल कर रही है। पिछले कातिक में पटवारी ने मेरे भाई लक्ष्मण सुकुल से लगान की मांग की है। परन्तु उसके पास उस समय पैसे नहीं थे। उन्होंने उसे सन्मतलाल के डेरे के सामने कुएं में फेंक दिया। उसको जीवित बचा लिया गया। रसीदें समय पर नहीं दी जाती हैं। रसीदें देते समय फैक्टरी हमारे अंगूठे की छाप चाहती है, परंतु हमने मना कर दिया। हम अनपढ़ हैं और नहीं जानते कि कौन से कागज पर कोठी को अंगूठे की छाप चाहिए। मेरे पास एक ही बैलगाड़ी है और कोठी में इसे महीनों वहां के उपयोग के लिए रखा जाता है।

अंगूठा निशान गोखुल सुकुल

हस्ताक्षर
रामनवमी प्रसाद

शिवनंदन प्रसाद :

(1) नंदकुमार सिंह आत्मज मकुंदसिंह, आयु 20 साल, शंकर सरैया गांव का निवासी, थाना मोतिहारी का बयान –

मेरे पास 6 3/4 बीघा जमीन थी जो पहले मेरे पिता के नाम पर थी। जब मैं 2 साल का था, मेरे पिता गुजर गए। 1319 फसली में जब मेरे गांव वाले शरहवेशी दस्तावेज को मानने के लिए मजबूर किए जा रहे थे, मेरे ऊपर भी उसी तरह का दबाव डाला गया। उपरोक्त दस्तावेज को मनवाने के लिए फैक्टरी के कर्मचारी जबरदस्ती मुझे रजिस्ट्रार के पास ले गए, परन्तु चूंकि मैं नाबालिग था रजिस्ट्रार ने मेरा प्रवेश नामंजूर कर दिया। तब साहब ने फैक्टरी के बनाए कागजों पर बलपूर्वक मेरा अंगूठा निशान लगवा लिया। उसके बाद उसे बढ़ी हुई लगान पर मेरी आधी जमीन का फैसला मेरे साथ किया और शेष बची आधी जमीन का सौदा दूसरे किसान डोमा तेली, सुकून दुसाध और सुकेशर कुरमी के साथ किया। मेरी जमीन का जमा 19 रु. था परंतु अब जबकि मेरी आधी जमीन मुझसे छीन ली गई है, शेष आधी जमीन का जमा भी 19 रु. है।

नंदकुमार सिंह का अंगूठा निशान

हस्ताक्षर
शिवनंदन प्रसाद

(2) मुंशी मल्लाह आत्मज करारी मल्लाह, आयु 22 साल, माजूराह मौजे का निवासी, थाना मोतिहारी का बयान –

मेरे पास 3 बीघा जमीन है मेरे पूर्वजों के समय से ही, और मैंने स्वयं 5 बीघा जमीन ली है। पूर्वजों की जमीन के संबंध में नील उगाने के लिए तीनकठिया पद्धति के अंदर मेरे पिता ने सट्टा मान्य किया था। इस पद्धति के अंतर्गत मेरी जमीन का सबसे अच्छा हिस्सा नील के उद्देश्य से छांट लिया जाता था, आवश्यक नहीं कि हर वर्ष एक ही हिस्सा समान रूप से छांटा जाता हो। नील के लिए जमीन तैयार करना अधिक खर्चीला है अपेक्षाकृत सामान्य भूमि के। मेरी जमीन रेतीली है और इसलिए कीमत अधिक नहीं है। यह लगभग 12 रु. प्रति बीघा है। यदि नील का खेत दोषपूर्ण पाया जाता तो हमें जुर्माने या बेतों की सजा के साथ दंड दिया जाता। इसकी वजह से कई बार मुझे पीटा गया। लगभग 5 साल पहले मुझे एक बार पीटा गया था। लछुमन सिंह फैक्टरी के नौकर ने मुझे मारा था। उससे पहले रोझन राय फैक्टरी के दूसरे नौकर ने भी मुझे पीटा था। अव्वल दर्जे की नील की कीमत 14 रु. प्रति बीघा थी, और दूसरे दर्जे की कीमत 7 रु. थी, और यदि बीज अंकुरित ही नहीं होते तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता था। 1320 फसली में जब नील की कीमतें

गिर गईं तो मुझे कोठी द्वारा सारी जमीन के लिए शरहवेशी को मान लेने का आदेश दिया गया। मैंने इसके खिलाफ आंदोलन किया क्योंकि यह मेरे लिए भारी कठिनाई भरा मालूम हो रहा था। परन्तु साहब (जेमी साहब) ने दस्तावेज को मान्य करने के लिए फैक्टरी के नौकरों को मेरे ऊपर दबाव डालने के लिए नियुक्त किया। पटवारी ब्रह्मलाल, लछुमन सिंह और एक खानसाब के साथ मेरे पास आया और मुझे कोठी ले गया, जहां रजिस्ट्रार मौजूद था। वहां जबरदस्ती दस्तावेज के ऊपर मेरा अंगूठा निशान लगवा लिया गया। रजिस्ट्रार ने मुझसे यह नहीं पूछा कि क्या मैंने इच्छापूर्वक दस्तावेज को मान्य किया है। शरहवेशी के द्वारा मेरा जमा रु. 20-3-0 से बढ़ाकर 38 रु. कर दिया गया। साल में कई बार मुझे फैक्टरी को हलों और कुलियों की आपूर्ति करना पड़ता है, परंतु उसके लिए कुछ नहीं मिलता है। मेरी भैंसों को साल में 15 दिन दूध के लिए कोठी में रोक लिया जाता है और उसके लिए मुझे कुछ नहीं प्राप्त होता है। मुझे कार्तिक में एक रुपया और बैसाख में एक रुपया पटवारी को बैठवाल के रूप में देना पड़ता हैं इसके अलावा मुझे दावतपूजा के रूप में पटवारी को एक रुपया देना पड़ता है।

मुंशी मल्लाह का अंगूठा निशान

हस्ताक्षर
शिवंदन प्रसाद

सरकारी कमीशन के समक्ष बयान :

चम्पारण एग्रेरियन इन्क्वायरी कमिटी के समक्ष राजकुमार शुक्ल, सन्त राउत और खेन्दर प्रसाद राय पेश हुए।

बेतिया, गुरुवार 19 जुलाई 1917

गवाह संख्या : *4 राजकुमार शुक्ल, वल्द कोलाहल शुक्ल, जाति ब्राह्मण, आयु 42 वर्ष, निवासी सतवरिया, थाना लौरिया, वर्तमान निवास मुरली भरहवा, थाना शिकारपुर, जिला चम्पारण। लिखित बयान -*

मेरे मकान दो गांवों में हैं। उनमें से एक मुरली भरहवा, थाना शिकारपुर में है। मुरली भरहवा गांव रामनगर राज का एक गांव है जो बेलवा फैक्ट्री के श्री अम्मान के पास लीज पर है। मुरली भरहवा में हमारा मकान विगत 40 वर्षों से था। मेरा चचेरा भाई जो मेरे साथ संयुक्त है, वहां रहता था। मैं ने मुरली भरहवा जाना 1306-एफ में प्रारम्भ किया तथा 1310-एफ से मेरे परिवार के बच्चे एवं महिलाएं उस मकान में रहते आये हैं। मुरली भरहवा और बेलवा में मेरे पास 10 बीघा काश्त है तथा 4 बीघा जरपेशगी , बांस की झाड़, पेड़, मकान इत्यादि और लगभग 2000 रुपयों तक का महाजनी का व्यापार है। मेरे पास मौजा सतवरिया में भी 4 बीघा

13 कट्ठा की काश्त भूमि है, दुमदुमा में 8 कट्ठा, तथा कठारिया में 3½ बीघा है। ये सभी तीन गांव साठी फैक्ट्री के इलाके में हैं। मेरा पुश्तैनी मकान सतवरिया में विगत 200 वर्षों से है। सतवरिया में मेरा महाजनी का काम लगभग 1500 रु. का है तथा कठारिया में लगभग 60 रु. का है। पहले मैं 3 या 4 वर्षों तक महारानी जानकी कुंवर के रानीबाग (गार्डेन महल) में मुहर्रिर था। यह महारानी के अधीन निजी रूप से था। मैं वहां 1310-एफ तक था। रामानन्द मिश्र तथा रामनिध मिश्रा, निवासी आनापुर, जिला इलाहाबाद, जो महारानी के पिता का निवास स्थान है, उनका मौजा हरदिया, थाना रक्सौल के हरदिया फैक्ट्री इलाका के अंतर्गत काश्त भूमि है, तथा मौजा सरकार, टोला बहुआरिया, थाना रक्सौल, मुरला फैक्ट्री उर्फ रामगढ़वा के इलाके के अंतर्गत और मौजा अहीरउलिया, खाप मिधिहारी, थाना रक्सौल, हरिहर प्रसाद बाजपेयी की मुकर्ररी के अंतर्गत है। रामानन्द मिश्र मेरे मित्र हैं और उन्होंने मेरे पक्ष में एक पावर ऑफ एटॉर्नी निबंधित करवाया है। जिसके बिना पर मैं उनके 15 बीघा की देखभाल करता हूं।

मैं जिले की प्रायः सभी फैक्ट्रियों की प्रक्रियाओं से अवगत हूं। इस जिले में लगभग 70 फैक्ट्रियां तथा उनकी शाखाएं हैं। प्रायः सम्पूर्ण जिला इन फैक्ट्रियों के हाथ में है। ये एक-दूसरे से लगभग 2 से 5 मील की दूरी पर अवस्थित हैं। उनके इलाके बंटे हुए हैं। वे बेतिया राज तथा रामनगर राज के गांवों को लीज पर लेकर अपना व्यापार चलाते हैं। इस जिले में फैक्ट्रियों का बहुत दमन है। हम रैयत अत्यन्त कष्ट में हैं। फैक्ट्री के साहिब जो चाहते हैं सो करते हैं। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ब्रिटिश सरकार का राज है। नील की खेती करनेवालों ने रैयतों को तिनकठिया के अंतर्गत नील, जौ और गन्ना लगाने, दण्ड वसूलने, अहवाब और हुन्डा आदि तथा बेठबेगारी (जबरन मजदूरी) लागू करने के द्वारा बरबाद कर दिया है। मुझे भी तिनकठिया में नील लगाना पड़ा है। जब साठी फैक्ट्री में नील लगाया जा रहा था तो मुझसे भी सतवलिया में जबरन नील लगवाया गया था। सट्टा के बल पर अथवा बिना सट्टा के भी नील लगवाया जा रहा था। रैयत अपने मन से और स्वतंत्र इच्छा से कभी भी नील की खेती नहीं करते हैं। यदि रैयत नील लगाने का अथवा सट्टा क्रियान्वित करने का, या फैक्ट्री के किसी आदेश के पालन का विरोध करते हैं तब गांव के धोबी, बढ़ई और लोहार की सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं तथा उनको आग व पानी लेने से रोक दिया जाता है। गांव के गोचर एवं परती भूमि को खोद कर घेर दिया जाता है ताकि रैयत के पशु वहां न चर सकें। रैयतों को उनकी भूमि से बेदखल कर दिया जाता है। फैक्ट्रियों द्वारा झूठा दीवानी या फौजदारी मुकदमा दायर किया जाता अथवा वजह तैयार किये जाते हैं। फैक्ट्रियों द्वारा पुलिस गार्ड भेजकर गांवों को लूटा जाता है। इन सबके द्वारा लोगों को डराया जाता है और फैक्ट्रियां

अपना काम कर लेती हैं। यह सब मैं ने स्वयं देखा है और मैं ने यह भी सुना है कि जो रैयत फैक्ट्रियों की नहीं सुनते, नील नहीं लगाते, अहवाब भुगतान नहीं करते, बेठबेगारी प्रदान नहीं करते उनके मवेशी जब्त किये जाते हैं तथा जुर्माना लगाया जाता और पीटा जाता है। उनको परेशान करने की दृष्टि से उनके घरों के आगे और पीछे की भूमि खोद दी जाती है। साठी फैक्ट्री में जब जावा नील लगाया जाता था तो रैयत नारायण ठाकुर, बहार ठाकुर और जुगेश्वर ठाकुर द्वारा नील लगाने से इनकार किया गया जो उनके कष्ट का बहुत बड़ा स्रोत था। इस पर ईशर सिंह ठेकेदार ने उनके बैल जब्त कर लिये तथा धोबी, हजाम और लोहार की सेवाएं फैक्ट्री द्वारा बंद कर दी गईं। इस प्रकार वे नील लगाने के लिए मजबूर किये गये। सतवरिया के नारायाण महतो ने बैलगाड़ी का सट्टा क्रियान्वित करने से इनकार किया था और साठी फैक्ट्री ने इसके लिए उसको 2 बीघा भूमि से बेदखल कर दिया तथा इसे अन्य रैयत को बंदोबस्त कर दिया। सतवरिया निवासी रघुनन्दन पाण्डेय ने फैक्ट्री के पक्ष में बैलगाड़ी का सट्टा क्रियान्वित करने से मना कर दिया था। इस पर फैक्ट्री के गोड़ाइत व ठेकेदार ने उनके मवेशियों को फैक्ट्री के अहाते में डाल दिया। बेलवा फैक्ट्री के अंतर्गत बिसवलिया पकरी के सवारथ राय और द्वारका राय के कुछ मवेशी अन्य रैयत के खेत में चले गए और फैक्ट्री के मैनेजर श्री अम्मान को उनके विरुद्ध खुंदक थी, इसलिए इस स्थिति का लाभ उठाते हुए उन्होंने सवारथ राय पर 200 रुपयों का जुर्माना लगाया। उस समय मैं फैक्ट्री में उपस्थित था। उसी समय मैं ने जाना कि धोबी, हजाम और पानी की सेवाएं बंद कर दी गई हैं और उन पर पियुन पदस्थापित किये गये थे। अंततः उनको अपना घर और जमीन छोड़ने और मौजा चतुर्भुजवा में रहने को मजबूर कर दिया गया जहां वे आज भी रह रहे हैं। उनके पास 30 बीघा जमीन थी जिसको मैनेजर ने बलपूर्वक दखल कर लिया। उसका कुछ हिस्सा जिरायत बनाया गया और कुछ हिस्सा जमुना तिवारी वल्द जोखन तिवारी को बंदोबस्त कर दिया गया। सतवरिया के बाउक कान्दू ने नील लगाने से इनकार कर दिया, इस कारण साठी फैक्ट्री ने उसको उसकी 3 बीघा जमीन से बेदखल कर दिया तथा इसे मोंजीलाल मिश्रा को बंदोबस्त कर दिया। हरदिया फैक्ट्री के अंतर्गत हरदिया, थाना रक्सौल के नाथू भगत अहीर ने तिनकठिया में नील की खेती नहीं की। इस कारण हरदिया फैक्ट्री ने उसके धोबी, हजाम और लोहार की सेवाएं बंद करा दी थी। पांच या छः वर्षों पहले मैं ने देखा था कि मतियरिया फैक्ट्री जो साठी फैक्ट्री का ही एक संस्थान है, के अंतर्गत सुआरछाप के सोनार किशुन साह ने फैक्ट्री के आदेशों का पालन करने से इनकार कर दिया। इस कारण मतियरिया फैक्ट्री ने उसके पास 16 धांगर भेज दिये तथा उसके घर के आगे और पीछे की जमीन घेरवा दी और उसका पानी, धोबी, हजाम इत्यादि बंद करवा दिये। वह अपने को छिपा रहा

था लेकिन जब पकड़ा गया तब धांगरों ने उसको एक गदहे की पीठ पर बिठा कर फैक्ट्री लाया। ढोकराहा मौजा में अकराहा नदी के किनारे एक परती है और गांव के मवेशी उस परती में चरते थे। ढोकराहा फैक्ट्री के मैनेजर ने इस परती को घेरवा लिया है। गांव के मवेशी इस परती को पार करके नदी में पानी पीने जाते थे। यह भी रोक दिया गया है क्योंकि रैयतों ने हुन्डा जमीन वापस कर दी है। इसी प्रकार नौतन के पूरब में एक बडी परती है जहां गांव के मवेशी हमेशा चरते थे। इसको भी ढोकराहा के मैनेजर ने उसी के कारण घेरवा दिया है। सिरिसवा के सीताराम तिवारी ने ढोकराहा फैक्ट्री को हुन्डा प्रदान करने से मना कर दिया। इस कारण पिछले वर्ष उसके मवेशी जब्त कर लिये गये तथा पकरी के महावीर सिंह के घर के आगे और पीछे की जमीन फैक्ट्री का आदेश न मानने के कारण घेर ली गई। इसके अतिरिक्त नील की खेती करनेवाले हमेशा इसी प्रकार के काम करते हैं जो सबको अच्छी तरह से मालूम हैं। चम्पारण का दमन अवर्णनीय है। एक व्यक्ति की जाति जितनी भी ऊंची हो, उसका सम्मान सुरक्षित नहीं है। अनेक रैयत अपना घर छोड़ कर नेपाल की तराई में चले गये हैं।

सतवरिया में मुझे 12 कट्ठा में नील लगाना पड़ता था। फैक्ट्री के अमला प्रति वर्ष मेरी जमीन में से सर्वोत्तम 12 कट्ठे का चुनाव करते थे। जब तक इस 12 कट्ठे का चयन नहीं हो जाता था, मैं तथा अन्य रैयतों को किसी भी भूमि पर खेती नहीं करने दिया जाता था। फैक्ट्री विशेषकर गोएनरा भूमि (घर के आसपास की जमीन) का चयन करती थी जो रैयत के घर के पास होती थी। नन्दलाल अहीर, खखन हजाम, रामेशर लोहार, अबिलख कान्दू, रामकिशुन हजाम, धरमलाल, राजन नोनिया, वजीर धोबी, रामदयाल राय, देबीदयाल राय, दिरपाल अहीर इत्यादि एवं अन्य रैयतों के घर के पास की जमीन पर नील की खेती की जाती थी। रैयतों के लिए यह अत्यन्त परेशानी का कारण होता था। जब भी कोई मवेशी घर छोड़ कर निकलता तो नील के खेतों वाली भूमि से होकर जाता था और यदि फैक्ट्री को मवेशी के मालिक से कोई खुन्दक हो तो मवेशी को खेत में से होकर गुजरने मात्र के लिए जब्त कर लिया जाता था। भूमि के चयन के बाद फैक्ट्री के ठीकेदार, जिलादार और जमादार चयनित खेत को जोतवाते और खोदवाते थे। मुझे और अन्य रैयतों को भी इस भूमि को स्वयं अथवा मजदूरों के द्वारा तैयार करवाना पड़ता था। जब तक यह भूमि तैयार नहीं हो जाती थी हमलोगों को अन्य भूमि पर कोई काम करने नहीं दिया जाता था, न ही हम उनमें खेती कर सकते थे। इसका परिणाम यह था कि हमारी भूमि पर उचित समय में खेती न होने के कारण हमारी भूमि कभी-कभी या तो परती रह जाती अथवा उपज कम हो जाती थी। आज भी जहां कहीं नील पैदा की जाती है, यह इसी प्रकार की जाती है। उन दिनों एक बीघा की खेती करने की

लागत लगभग 40 रुपये होती थी। हमारी भूमि बंजर है, मिट्टी कठोर है और वहां लग्गा साढ़े नौ हाथ लम्बा है। भूमि जहां बलुवाही है और जहां लग्गा छोटा है, वहां लागत कम से कम 20 रुपये प्रति बीघा है।

	रु.	आना	पाइ
एक बीघा कोड़ना, 40 मजदूर, प्रति मजदूर 3 आना के दर से	7	8	0
उचितउनी (घासफूस की सफाई), 25 मजदूर, 3 आना के दर से	1	14	0
ढेला फोड़ना, डंठल/घासफूस आदि की सफाई, 20 मजदूर 3 आना दर से	3	12	0
जोतना एवं हेंगा, 6 हल 3 आना के दर से	1	2	0
बुनाई से पहले 4 बार जुताई और हेंगा, 24 हल 3 आना के दर से	4	8	0
जुताई के बाद घासफूस, डंठल की सफाई, प्रत्येक बार 4 मजदूर, 20 पुरुष 3 आना के दर से	3	12	0
बुनाई के समय हेंगा चलाना	0	8	0
घासफूस सफाई, 20 मजदूर, 3 आना के दर से	3	12	0
बिदहनी , 4 हल 3 आना के दर से	0	12	0
कटाई, 15 मजदूर 3 आना के दर से	2	13	0
खूंटी की सफाई, 25 मजदूर 3 आना के दर से	4	11	0
जुताई, 4 हल 3 आना के दर से	0	12	0
खूंटी की कटाई, 14 मजदूर 3 आना के दर से	2	4	0
	42	**11**	**0**

फैक्ट्री रैयतों को अपने खेत में खाद डालने के लिए कभी भी सीठ नहीं देती है। तिनकठिया भूमि पर भी जो कुछ भी उपजता है उसको काटा और फैक्ट्री में ले जाया जाता है और उसका सीठ वहां से फैक्ट्री के जिरायत में भेज दिया जाता है। जिस खेत में नील लगाया जाता है वह थक जाता है, अन्य फसलों की उपज कम हो जाती है। यद्यपि हमलोगों को इतना खर्च करना पड़ता है, फैक्ट्री का आदेश है कि हमको रु. 19 या रु. 20 प्रति बीघा के दर से भुगतान किया जाए, परंतु हमको इस दर पर कभी भी भुगतान नहीं किया गया। बीजमार के नाम पर भुगतान हमेशा कम किया गया। जहां कहीं भी बीजमार होता था, वहां नुकसान भरपाई की अनुमति 10 रु. बीघा के दर से थी। परंतु भले ही बीजमार हो या नील की पूरी फसल

हो, रैयतों को वही खर्च वहन करना पड़ता था, मात्र बीजमार के मामले में कटाई का कोई मूल्य नहीं था। इस प्रकार रैयत नील के चलते बहुत कष्ट उठाते थे तथा उनको और भी अधिक हानि उठानी पड़ती थी। उनको उनकी लागत भी नहीं मिल पाती थी और वे अपनी भूमि पर कुछ नहीं कर पाते थे। इसका परिणाम यह है कि चम्पारण के किसान बहुत ही गरीब हो गये हैं। जिनके पास 15 या 20 हल होते थे, उनके पास अब केवल 2 या 4 हल हैं। कई के खेत बिक गये हैं, तथा अनेक किसानों के खेत फैक्ट्री की जिरायत में बदल दिये गये हैं। साठी के ठीक पश्चिम में एक गांव है हिच्छोपाल। उस गांव के लोग मारपीट कर भगा दिये गये तथा पूरे गांव की जमीन को साठी फैक्ट्री की जिरायत में बदल दिया गया। फैक्ट्री के ठीक दक्षिण में सुंदर खान और गुलाब खान की लगभग 60 बीघा जमीन रायबरवा मौजा में थी। चूंकि वे नील की खेती नहीं करते थे, फैक्ट्री ने उनसे लगातार लड़ाई करके उनको बरबाद कर दिया तथा उनके सम्पूर्ण 60 बीघा को फैक्ट्री की जिरायत में बदल दिया। इसी प्रकार सैदपुर फैक्ट्री जो कि चनपटिया फैक्ट्री का ही एक बाहरी अंग है ने सम्पूर्ण छम्मन गांव को जो शिकारपुर थाना का एक अच्छा गांव माना जाता था, लोगों को जबरन हटाकर परती जमीन पर भेज दिया और इसे फैक्ट्री की जिरायत में बदल लिया। इस प्रकार के अनेक कार्य फैक्ट्रियों ने किये हैं। फैक्ट्री के जो विशाल जिरायत प्लॉट दिखाई देते हैं ये सभी रैयतों से जबरन ले लिये गये हैं और उनको जिरायत में बदल दिया गया है। दमन के कारण कई रैयतों की मृत्यु हो गई है, कइयों को खदेड़ दिया गया है, कई भाग गये हैं, कई नेपाल की तराई में बस गये हैं। मेरे अपने गांव सतवरिया से लगभग 200 परिवार या रैयत, नील के दमन के चलते नेपाल की तराई में मौजा दिउलिया तथा मौजा लिपानी चले गये हैं। मेरे पास 60 भैंस और 300 गायें थीं, अब मेरे पास मात्र 3 भैंस, 8 गायें और 6 बैल हैं। मैं ने नील की खेती करना कभी पसंद नहीं किया। लेकिन जब मैंने देखा कि अच्छे-खासे लोग भी नील की खेती करने से इनकार करने की वजह से बरबाद हो गये तो मुझ जैसा मामूली रैयत कितने दिनों तक विरोध कर सकता था? फैक्ट्री का दमन इतना अधिक था कि नील की खेती न करना असंभव था।

जब साठी फैक्ट्री का दमन बहुत अधिक बढ़ गया तो रैयतों ने 1907 में लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक आवेदन सौंपा। इसके परिणाम स्वरूप फरखावां, अधिक मार्ग कर, तटबंध कर इत्यादि व नहर टैक्स जो 1 आना 6 पैसा प्रति बीघा के दर से फैक्ट्री वसूलता था को सरकार द्वारा बंद कर दिया गया। जब फैक्ट्री की आमदनी कम हो गई तो फैक्ट्री ने पइनखर्चा के लिए रैयतों से निर्बंधित सट्टा प्रति बीघा 3 रु. के दर से किया। इस काम के लिए फैक्ट्री में एक विशेष रजिस्ट्रार प्रतिनियुक्त हुआ था और गांव में एक पुलिस गार्ड की उपस्थिति का फायदा उठाते हुए फैक्ट्री

ने पइनखर्चा सट्टा निबंधित करवाया। एक सट्टा मुझसे भी डरा-धमका कर निबंधित करवाया गया। पइनखर्चा नियमित रूप से 7 या 8 वर्षों तक वसूला गया जबकि मेरा न कोई खेत पइन के निकट है और न ही किसी पइन द्वारा कभी सिंचित हुआ था। इस प्रकार से फैक्ट्री रैयतों से एक बड़ी राशि वसूलता था। 1914 में सरकारी सर्वे एवं सेट्लमेंट प्रारम्भ हुआ और अधिकारियों ने पइनखर्चा बंद करा दिया। जिलाधिकारी ने गांवों में नोटिस बंटवाया था कि रैयतों को अपना सट्टा वापस ले लेना चाहिए तथा उनको पइनखर्चा का भुगतान नहीं करना चाहिए। उसके बाद से साठी फैक्ट्री द्वारा पइनखर्चा नहीं वसूला गया है।

मौजा मुरली भरहवा पहले के दिनों में रामनगर राज के वास्ते दीवान आद्या प्रसाद के पास लीज पर था। यह 1312-एफ में बेलवा फैक्ट्री को लीज पर दिया गया था। दीवान आद्या प्रसाद के काल में इतना अधिक दमन नहीं था। परंतु जब लीज बेलवा को दे दिया गया, रैयतों का घोर दमन प्रारम्भ हो गया। फैक्ट्री ने विभिन्न प्रकार का अहवाब वसूलना आरम्भ कर दिया। लीज के प्रारम्भ होते ही फैक्ट्री ने रैयतों से गांव की जमाबंदी के अनुसार सलामी वसूला और इसके बाद के वर्ष से रु. 3-8-0 प्रति बीघा के दर से पइनखर्चा वसूलना प्रारम्भ हो गया हालांकि वहां कोई पइन नहीं है और न कोई भूमि फैक्ट्री द्वारा सिंचित होती है। कुल मिलाकर फैक्ट्री पइनखर्चा और अन्य अहवाब भी वसूलता है। वे निम्न प्रकार हैं :-

बपही-पुतही - जब किसी व्यक्ति का पिता या कोई अन्य संबंधी मरता है और उसकी जमीन विरासत के द्वारा उसको हस्तान्तरित होती है तो फैक्ट्री उसको कब्जे में लेने नहीं देती है, जबतक कि वह 5 रुपया प्रति बीघा के दर से फैक्ट्री को भुगतान नहीं कर देता।

घोड़ही-भैंसही - जब फैक्ट्री का भैंसा या घोड़ा बूढ़ा हो जाता है तब मैनेजर इनको लॉटरी के द्वारा बेचता है तथा प्रत्येक रैयत से 1 रुपया वसूलता है।

बंगलाही - जब बंगला के मरम्मत की आवश्यकता होती है तब प्रत्येक रैयत से 1 रुपया वसूला जाता है।

हक तालबना - किसी भी उद्देश्य से जब कोई पियुन किसी रैयत के पास पदस्थापित किया जाता है तो 1 रुपया के दर से तालबना वसूला जाता है।

फगुवाही - फगुवा के अवसर पर प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक रैयत से 1 रुपया वसूला जाता है।

हवाही या मोटराही - मोटर-कार खरीदने के लिए प्रत्येक रैयत से 1 रुपया वसूला जाता है।

हक फरखावां - लगान पर प्रत्येक रुपया पर एक आना वसूला जाता है।

बेठबेगारी - मजदूरों को बेगारी करने के लिए जबरन दबाव दिया जाता है। वे

हमारे मजदूरों को भी ले लेते हैं और उनसे बेगारी (मुफ्त में काम) करवाई जाती है या उनको 4 ढिबुआ लोहिया प्रति दिन या भोजन के लिए 1 सेर सत्तू दिया जाता है। यदि कोई मजदूर मात्र भोजन के लिए काम करना नहीं चाहता है तो उसको पीटा जाता है। मजदूरों की स्थिति भी बुरी है। यदि वे हमारे खेतों में काम करते हैं तो उनको सम्पूर्ण दिन के काम के लिये 6 सेर धान, एक सेर भोजन और ½ सेर जलपान मिलता है, जिसका मूल्य लगभग साढ़े तीन आना है। इसी प्रकार फैक्ट्री हल की बेगारी भी लेती है। यदि कोई भुगतान होता है तो वह मात्र एक आना है। बैलगाड़ी का किराया 2 आना है। हल के लिए किसान 3 आना और बैलगाड़ी के लिए 3 से 12 आना देता है। यदि फैक्ट्री के लिए मजदूरों को जबरन काम नहीं कराया जायेगा तो मजदूरों की और हमारी भी स्थिति सुधरेगी। मजदूरों को किसानों से बहुत काम मिलेगा।

हक जुर्माना - जब कभी भी किसी किसान और अन्य किसान के बीच विवाद होता है और फैक्ट्री को शिकायत की जाती है तो यह रु. 5 से रु. 500 तक जुर्माना वसूलती है। जुर्माने से फैक्ट्रियों को अच्छी-खासी आमदनी होती है। मैनेजर रैयतों के विवाद को स्वत: या निजी मध्यस्थता से निपटने नहीं देते क्योंकि इससे उनकी आमदनी कम हो जाएगी। पांच या छ: वर्षों पहले झोटिल अहीर के भैंस भुखल अहीर के खेत में घुस गये। भुखल, झोटिल का दामाद था। उन दोनों ने मध्यस्थता के लिए नायक राउत, बालसुन्दर राउत, रघुबीर राउत और मुझे नियुक्त किया। हमलोगों ने निर्णय लिया कि झोटिल के भैंस ने भुखल के छ: पसेरी अनाज का नुकसान किया है इसलिए झोटिल को उतना अनाज उसको दे देना चाहिए। झोटिल ने उसको उतना अनाज दे दिया। जब इस पंचयती की सूचना फैक्ट्री तक पहुंची तो फैक्ट्री ने मध्यस्थों को डांटा-फटकारा तब मिस्टर अम्मान ने उनको बुलाया व गाली दी तथा प्रत्येक से 1 रू. जुर्माने के रूप में वसूला। उस समय से कोई भी मामला पंचयती में नहीं जाता है, यहां तक कि सिविल कोर्ट में भी फैक्ट्री की अनुमति के बिना नहीं जाता है।

इन सबके अलावा फैक्ट्री अन्य कई चीजें वसूलता है। 1914 में जब हमारे यहां नहर खोदी गई और हमने इसके द्वारा खेतों की सिंचाई आरम्भ कर दी और 5 रु. प्रति बीघा भुगतान करते थे तब हमने और कुछ अन्य रैयतों ने जिलाधिकारी, लेफ्टिनेन्ट गवर्नर और वायसराय को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें हमने फैक्ट्री द्वारा पइनखर्चा इत्यादि वसूलने से संबंधित तथा अन्य प्रकार के किये जानेवाले दमन के बारे में शिकायत की थी और हमने मिस्टर अम्मान को पइनखर्चा देना बंद कर दिया (आवेदन की एक प्रति इसके साथ संलग्न है)। इसको लेकर मिस्टर अम्मान बहुत क्रोधित हो गये तथा मुझे और अन्य रैयतों को गिरफ्तार करने के लिए पियून लगा

दिये। मुझे यह भी खबर मिली कि वे मेरा घर लुटवाना चाहते थे। तब मैं ने अन्य रैयतों के साथ ज्ञापन की प्रति लेफ्टिनेन्ट गवर्नर, शिकारपुर के आरक्षी अधीक्षक को दिखलाई और उनको हमारे संकट के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वे जांच करेंगे लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। चार-पांच दिनों के अन्दर फैक्ट्री ने पलकधारी लोहार के द्वारा पुलिस के पास झूठा फौजदारी मुकदमा दायर करने की तैयारी कर ली, जिसकी आमतौर पर फैक्ट्री के साथ सांठगांठ है तथा जिसके घर में फैक्ट्री का पटवारी रहा करता था। शिकायत में यह था कि मै और कुछ अन्य लोगों ने पलकधारी को फैक्ट्री की तरफ से गवाही देने के लिए थप्पड़ और घूंसों से पीटा है। यह मुकदमा मुझको और अन्य रैयतों को झुकाने के लिए दर्ज किया गया था क्योंकि हमने अबवाब देना बंद कर दिया था और अनेक रैयतों ने भी हमारे उदाहरण पर पइनखर्चा देना बंद कर दिया था। वाद के दाखिल होने के बाद फैक्ट्री ने धोबी, हजाम, लोहार इत्यादि की सेवाएं बंद कर दीं तथा मेरे हरवाहा और चरवाहे को मेरे लिए काम करने से मना कर दिया। जयपाल लोहार ने मेरे हल का फाल 5 दिनों तक तेज किया था जिसके लिए उसको 5 रु. जुर्माना किया गया था। यह पिछले साल आषाढ़ में हुआ था। मुकदमे में फैक्ट्री के सेवकों के संबंधियों से झूठी गवाही दिलवाई गई थी। गवाह जान मोहम्मद, फैक्ट्री के गुमाश्ता आस मोहम्मद का भाई है। गवाह अगम हजाम, फैक्ट्री के तहसीलदार खोदादीन खान का हजाम और सेवक है। गवाह जुमरती हजाम, अगम हजाम का मामा है। इन तीन गवाहों की जांच फैक्ट्री के द्वारा की गई थी। गुमाश्ता आस मोहम्मद तथा पटवारी जगदम्बा लाल के नाम भी गवाह के रूप में दिये गये थे। परंतु उनको जांचा नहीं गया क्योंकि उससे यह स्पष्ट दिख पड़ता कि फैक्ट्री द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया था। परंतु यह शिकायतकर्त्ता पलकधारी की गवाही से स्पष्ट हो गया कि मुकदमे का खर्च फैक्ट्री द्वारा भुगतान किया गया था और यह कि मुकदमा फैक्ट्री के द्वारा दर्ज कराया गया था और इसका उल्लेख निर्णय (जजमेंट) में भी है। एक अभियुक्त रोज मियां को यह आशा देकर उनके तरफ कर लिया गया कि उसको सजा नहीं दी जाएगी और उससे झूठी गवाही दिलवाई गई। मुकदमे के लंबित रहने के समय सब-इन्सपेक्टर ऑफ पुलिस मथुरा प्रसाद मुझसे और अन्य रैयतों को फैक्ट्री से मेल कर लेने के लिए कहते थे और इसी समझ के साथ वह हमको मिस्टर अम्मान के पास ले गये। मिस्टर अम्मान ने ज्ञापन जमा करने के लिए सभी रैयतों को रू. 460 जुर्माना लगाया। इस संबंध में रैयतों ने असिस्टैंट सेट्लमेंट आफिसर बाबू इन्द्र बिलास मुखर्जी, कैम्प संख्या- XII, महेशपुर के पास एक आवेदन दाखिल किया। रु. 460 में से रोज मिंया से रु. 100, राजबली से रु. 50 तथा शेष अन्य रैयतों से वसूले गये थे। मुकदमे के लंबित रहने की अवधि में 1 दिसम्बर 1914 को मैं ने एक अन्य आवेदन लेफ्टिनेंट गर्वनर को

भेजा, परंतु कुछ निकलकर नहीं आया। अंततः उस मुकदमे में मुझे 21 दिन की जेल हो गई थी तथा रोज मियां और राजबली को कोर्ट में 3 घंटों के लिए हिरासत में रखा गया था। सजा पूरी करने के बाद जब मैं जेल से बाहर निकला, मैं अपना रेन्ट मनीआर्डर द्वारा भेजने लगा तथा पइनखर्चा देना बंद कर दिया और कुछ अन्य रैयतों को भी पइनखर्चा देने से मना कर दिया। मैं ने जो आवेदन लेफ्टिनेंट गर्वनर को 1914 में भेजा था मिस्टर स्वीनी उसकी जांच पड़ताल के लिए पहली बार गये और मैं ने उनके सामने सभी प्रमाण प्रस्तुत कर दिये। गवाहों को फैक्ट्री के वास्ते जांचा गया जिससे भी यह प्रतीत हुआ कि पइनखर्चा वसूला जाता था। मुकदमे का परिणाम मेरे विरुद्ध देखकर, रैयत डर गये और पइनखर्चा देना आरम्भ कर दिया। जब मुझको कहीं से मदद नहीं मिली तब 6 अप्रैल 1915 को प्रान्तीय सम्मेलन में जो उस वर्ष छपरा में हुआ था मैं ने अपने संकट के बारे में बताया। जब किसी के द्वारा कुछ नहीं किया गया तब निराश होने के कारण मैं दिसम्बर 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में गया तथा चम्पारण मामले में जांच के निर्णय का समर्थन करते समय मैं ने अपने और चम्पारण के कष्ट के बारे में बयान दिया था। इसके बारे में मिस्टर अम्मान को सूचना मिली थी।

जनवरी में कांग्रेस के अधिवेशन से मैं घर लौटा और मुरली भरहवा के रैयतों ने जिलाधिकारी को पइनखर्चा के संबंध में एक आवेदन दिया तथा अमोलवा के अन्य रैयतों ने भी इसी प्रकार का आवेदन दाखिल किया। 3 फरवरी 1917 को बगहा में जिलाधिकारी ने पइनखर्चा का भुगतान मना कर दिया। इससे कुछ समय पहले जब फैक्ट्री को ज्ञात हुआ कि संत राउत ने भी आवेदन जमा किया था, फैक्ट्री ने उसका घर लुटवा दिया था। इससे मुफ्फसिल में भय छा गया और रैयत अत्यन्त भयभीत हो गये थे और सभी ने पइनखर्चा देना प्रारम्भ कर दिया था। सिकंदर धोबी के द्वारा संत राउत के विरुद्ध एक झूठा मामला भी दायर किये जाने और उस पर दबाव बनाये जाने के कारण दण्डाधिकारी के समक्ष पइनखर्चा इत्यादि से संबंधित आवेदन देने के लिए संत राउत और अमलोवा के कुछ रैयतों को फैक्ट्री ने मजबूर किया। उसमें उन्होंने पइनखर्चा देने का वादा किया जिसको कुछ लोगों द्वारा सलामी या तिनकठिया भी कहा जाता है। परंतु मैंने सहमत होने से हमेशा इनकार किया।

चूंकि मैं ने प्रान्तीय सम्मेलन में कांग्रेस के समक्ष पइनखर्चा तथा अन्य दमन के बारे में तथ्य बताये थे तथा चूंकि कुछ रैयतों ने मेरे उदाहरण स्वरूप पइनखर्चा देना बंद कर दिया था, मिस्टर अम्मान ने मेरा घर और संपत्ति लुटवाने का मन बना लिया। उस समय मैं मुरली भरहवा में था। उसके पिछले दिन जब मुझको यह मालूम हुआ तो मैं ने अपना परिवार रात में हरपुर भेज दिया जो एक मील की दूरी पर है। परंतु मै धान वगैरह नहीं हटा सका। दूसरे दिन करीब नौ बजे प्रातः मिस्टर अम्मान,

सीतल राय, जमादार तथा फैक्ट्री के अन्य सेवक मेरे घर पर बड़ी संख्या में लोगों को लेकर आये तथा मिस्टर अम्मान ने लूटने का आदेश दिया। इसके कुछ समय पहले जब मैंने उनको आते हुए देखा तथा बचने का कोई रास्ता न पाकर मैं ने अपने आपको खराई के ढेर में छिपा लिया। आदेश देने के बाद मिस्टर अम्मान लौट गये तब उनके सेवकों ने मिट्टी के अन्न-भंडार से मेरा धान और संपत्ति लूट लिया और मेरा घर गिरा दिया तथा दरवाजों का चौखट और पल्ला ले गये। मेरा रु. 2500 मूल्य की संपत्ति लूटी गई थी, और खेतों में जो भी खड़ी फसल थी उसको मवेशियों द्वारा कई दिनों तक चराया गया। मेरे कर्जदारों को इकट्ठा किया गया और उनसे कहा गया कि वे मेरा उधार न चुकायें। पियूनों को पदस्थापित किया गया और मुझे गांव जाने से लगभग दो महीनों तक रोका गया।

...परंतु जिलाधिकारी ने मुझे एक आवेदन देने को कहा और स्वयं वहां जाने को राजी नहीं हुए। मैंने उत्तर दिया कि एक बार आवेदन तथा ज्ञापन देने के कारण मैंने 21 दिन की कैद भोगी है और यदि मैंने एक अन्य आवेदन दाखिल किया तो मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या भोगना पड़ेगा। इस कारण मैं आवेदन दाखिल करने को सहमत नहीं हुआ और जिलाधिकारी से निवेदन करता रहा कि उनको स्वयं जाना चाहिए और स्थल का निरीक्षण करना चाहिए, और यदि मेरी बातें झूठी साबित होती हैं तो मुझे बांधकर वापस लाया जाए। परंतु जिलाधिकारी ने कुछ नहीं किया। चम्पारण की स्थिति ऐसी है।

जो पेड़ मेरे ठीका जमीन पर खड़े हैं वे मेरे कब्जे में हैं और रहते आये हैं। मैंने हमेशा अपनी इच्छानुसार पेड़ों को काटा, बेचा और विनियोजित किया है। किसी के वास्ते कोई हस्तक्षेप कभी नहीं किया गया था। परंतु इस वर्ष के सर्वे में सभी प्रकार के पेड़, काम आनेवाले अथवा काम न आनेवाले जैसे शरीफा, नीबू, सहजन, अमरूद, जागर इत्यादि में आधा भाग जमींदार का और आधा रैयतों का दर्ज किया गया है। प्रथम सर्वे में यह सब दर्ज नहीं था। वर्तमान सर्वे में इस प्रकार का दर्ज किये जाने के द्वारा रैयतों पर बहुत जुलुम किया जा रहा है। न तो मालिक और न पट्टेदार किसी भी रैयत को हल बनाने के लिए शीशम और खैरा की डालियां काटने की अनुमति देता है। रैयतों के दमन का यह एक फलदायी स्रोत तैयार कर लिया गया है। 15 या 16 दिनों पहले मेरी भतीजी का विवाह था। उस अवसर पर मैं ने जलावन के लिए ठीका जमीन पर खड़े आम के पेड़ों से कुछ डालियां काटनी चाही परंतु फैक्ट्री के अमलाओं द्वारा मुझे काटने से रोका गया।

राजकुमार शुक्ल, बुलाया और जांचा।

(सभापति) – गवाह का बेलवा और साठी फैक्ट्री में जमीन है। अपने एक

मित्र के लिए वह हरदिया फैक्ट्री में भी जमीन का प्रबंध करता है। साठी फैक्ट्री ने 8 या 9 वर्षों से नील की खेती नहीं की थी; मिस्टर गौरले की रिपोर्ट से पहले इसने नील की खेती छोड़ दी थी। नारायण महतो और रघुनंदन पांडे द्वारा दिया गया सट्टा का संबंध उस समय से है जब नील की खेती की जाती थी।

मिस्टर अम्मान बेलवा का प्रबंध 1312-एफ (1904-05) से करते थे। लगभग 6 या 7 वर्षों पहले सवारत राय को मिस्टर अम्मान द्वारा 200 रु. का जुर्माना लगाया गया था क्योंकि उसके मवेशियों ने अतिक्रमण किया था। वह 200 रु. मिस्टर अम्मान को नहीं मिला हालांकि सवारत राय पर पियून लगाये गये और गांव की सेवाएं बंद कर दी गई थीं, वह भाग गया। सवारत राय ने अपनी जमीन नहीं बेची; इसका कुछ हिस्सा अब जिरायत था और कुछ हिस्सा जमुना तिवारी एवं अन्य को बंदोबस्त हुआ। सवारत राय ने दीवानी मुकदमा दायर नहीं किया परंतु जिलाधिकारी से शिकायत की। गवाह को मालूम नहीं कि क्या आदेश पारित हुए हैं परंतु उसने सवारत राय से सुना है कि इस बाबत फौजदारी मुकदमा था परंतु परिणाम मालूम नहीं। उसको विश्वास था कि विवाद सेट्लमेंट अधिकारियों के समक्ष उठाया गया था और यह कि फैक्ट्री अपना मुकदमा जीत गया था। जब जुर्माना लगाया गया था तो मिस्टर अम्मान खुद ही इसे लेते थे, चोटिल पार्टी को मुआवजे के तौर पर कभी कुछ नहीं दिया गया था।

बेलवा फैक्ट्री ने नील की खेती कभी नहीं की और हरदिया फैक्ट्री ने बहुत वर्षों पहले नील छोड़ दिया था।

किशुन साहु को साठी फैक्ट्री के साथ उसके लगान को लेकर कुछ झंझट था। उसने गवाह को बताया था कि उसके घर पर धांगर आये थे परंतु गवाह ने उनको नहीं देखा था। गवाह ने उसको धांगर द्वारा गदहे पर बिठा कर फैक्ट्री लाये जाते देखा था। उस समय मैनेजर मिस्टर नॉरमन रीड थे। इसके बारे में किशुन साहु ने किसी से शिकायत नहीं की थी।

ढोकराहा फैक्ट्री के अंतर्गत गवाह की कोई जमीन नहीं थी परंतु उसके संबंधियों की वहां जमीन थी और जब वह हरदिया जाता तो ढोकराहा होकर जाता था। ढोकराहा के लोगों ने उसको बताया था कि परती में चराई बंद की जा रही थी। उसको मालूम नहीं कि परती रैयतों की थी या जमींदार की और बिना कागज देखे वह इस मामले में अपना कोई दृष्टिकोण नहीं दे पाया। रैयतों ने बताया था कि बहुत समय से वे अपने मवेशी वहां चराते आ रहे थे। गांव में बहुत अधिक परती थी।

जिस समय सतवरिया में नील की खेती होती थी, 200 पुरुषों ने गांव छोड़ा था और नेपाल भाग गये थे। परिणाम स्वरूप तब की तुलना में अभी जनसंख्या कम थी। जो जमीनें उनके द्वारा खाली कर दी गई, वे सभी अन्य के साथ बंदोबस्त

हो गई थीं।

सट्टा के अनुसार साठी फैक्ट्री में पइनखर्चा प्रति बीघा 3 रु. लिया जाता था। हालांकि दो वर्षों पहले इसे बंद कर दिया गया था। गवाह ने पइनखर्चा देने के लिए 1908 में इकरारनामा लिखा था। बेलवा प्रतिष्ठान में पटवारी को छोड़कर प्रत्येक रैयत को प्रति बीघा रु. 3-8-0 पइनखर्चा के रूप में देना पड़ता था। अन्य मानमर्दन भी वसूले जाते थे, कुछ कभी-कभी और कुछ वार्षिक। 3 वर्षों पहले मोटराही प्रत्येक रैयत से एक रुपया की दर से ली गई थी।

बेलवा प्रतिष्ठान में मजदूरी मुफ्त में ली जाती थी। धान रोपनी की मजदूरी में कुलियों को भोजन दिया जाता था या भोजन के बदले 3 या 4 पैसा परंतु अन्य प्रकार के कामों के लिए उनको कुछ नहीं मिलता था। हल के लिए प्रति दिन एक आना भुगतान किया जाता था। यदि गवाह ने अपने लिखित गवाही में दो आना लिखा था तो यह एक भूल थी। एक हल के लिए रैयत तीन या चार आना भुगतान करते थे। बैलगाड़ियों के लिए फैक्ट्री दो आने भुगतान करता था, चाहे उनको पूरा दिन या आधा दिन रखा जाए। रैयत जिस दर से भुगतान करते थे वह पूरे दिन के काम के लिए प्रति बैलगाड़ी आठ आना से लेकर एक रुपया और कम समय के लिए उससे कम।

मिस्टर अम्मान ने कभी कोई विवाद पंचायत में नहीं भेजा। एक बार जब पंचों ने मैनेजर को बिना बताये विवाद निपटा दिया था तो प्रत्येक को एक रुपया जुर्माना लगाया गया था। वे पंचों में से एक थे परंतु उनको जुर्माना नहीं लगा और न भुगतान करने के लिए कहा गया।

गवाह को 1915 में पलकधारी द्वारा दायर एक मामले में जेल हुई थी। उसने अपील की थी परंतु अपील समयावधि से बाहर थी और अस्वीकार कर दी गई थी।

उसका घर पिछले 5 मार्च को लूटा गया था परंतु उसने इस बाबत कोई मामला दर्ज नहीं किया। जब उसने मोतीहारी में जिलाधिकारी को बताया तो जिलाधिकारी ने उसको शिकायत दर्ज करने को कहा था परंतु उसने ऐसा करना अस्वीकार किया क्योंकि उसके द्वारा विगत समय में दायर किये गये एक शिकायत के परिणाम स्वरूप उसको जेल की सजा मिली थी।

उसने दावा किया कि राज और फैक्ट्री वालों को कोई अधिकार नहीं है कि वे उसे उसकी रैयती जमीन के पेड़ों को काटने से रोकें क्योंकि जिस जमीन पर पेड़ खड़े हैं वह उसका लगान देता है। पेड़ उसके और उसके पूर्वजों के कब्जे में विगत एक सौ वर्षों से हैं और उसने प्रायः पेड़ों की लकड़ियां बेची हैं। उसने इनकार किया कि पेड़ों पर राज का कोई अधिकार है।

वह एक महाजन था परंतु उसने कभी आयकर नहीं दिया था। 2 प्रतिशत प्रति माह की दर पर उसकी 3000 रु. या 4000 रु. की पूंजी भी ऋण पर लगी हुई थी। उसको पता नहीं कि अग्रिम पर फैक्ट्री कितना शुल्क लेता है।

उसके पास हलवार थे, प्रत्येक को वह एक बीघा या इसी सीमा तक जमीन बटाई किराये पर देता था। इसके अतिरिक्त जब वे काम करते थे तो उनको छः सेर धान और एक सेर भोजन के लिए मिलता था। गवाह उनको 1 प्रतिशत प्रति माह की दर से ऋण भी देता था जिसको वे आमतौर पर चुकता करते थे परंतु जब वे नहीं देते थे तो उसे उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराना पड़ता था।

(मिस्टर गांधी)- गवाह ने इनकार किया कि राज ने कभी रैयती भूमि के पेड़ों का हिस्सा कभी लिया था और उसने जोड़ा कि यदि उन्होंने ऐसा किया था तो बलपूर्वक किया था। उसने किसी ऐसे रीति-रिवाज के बारे में नहीं सुना जिसकी बदौलत राज को लकड़ी के आधे हिस्से का अधिकार है। वह किसी ऐसे गांव में नहीं गया जो राज के सीधे प्रबंध व्यवस्था में था।

(मिस्टर रीड)- नील वाले या बगैर नील वाले, दोनों ही प्रकार के गांवों में रैयतों का समय खराब चल रहा था। गवाह यह नहीं बता पाया कि किस श्रेणी के गांवों में रैयत की स्थिति सबसे बुरी थी; उनके विचार से दोनों में कोई अंतर नहीं था।

भारतीय ठीकेदार कभी-कभी तय किराये से अधिक राशि लेते थे।

जब 200 पुरुषों ने नील के चलते सतवरिया छोड़ा तो उनकी कुछ जमीनें बाकी रैयतों के साथ बंदोबस्त हुआ था और कुछ जिरायत के रूप में लिया गया। जहां तक गवाह को याद आया रैयत लोग भाग जा रहे थे।

उसने 1914 में जिलाधिकारी, लेफ्टिनेंट गर्वनर और वायसराय को आवेदन भेजा था, परंतु कोर्ट में उसने कभी कोई फौजदारी शिकायत दर्ज नहीं कराई। 1915 में एक मामला उसके विरुद्ध लाया गया क्योंकि उसने ये आवेदन भेजे थे और अबवाब का भुगतान करने से इनकार किया था। इस मामले के अन्य दो आरोपियों ने समझौते के लिए मिस्टर अम्मान के पास आवेदन दिया था जिन्होंने अत्यन्त क्रोधित होने के कारण उनको और अन्य को 470 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने को गांव की सेवाएं बंद कराकर बलपूर्वक वसूला गया था। उसको मालूम नहीं कि अबवाब की छोटी रकम देने से इनकार करने के बाद उन्होंने जुर्माने की इतनी भारी रकम क्यों दी।

गवाह के हलवार पूरे दिन काम करते थे और यही वजह थी कि वह बाहर हल चलाने के लिए दी जाने वाली दर की अपेक्षा अधिक भुगतान करता था।

गांव का लोहार जयपाल लोहार को गवाह का फाल तेज करने के लिए 5 रु. जुर्माना लगाया गया था जबकि मैनेजर ने उसके लिए काम करने से मना किया था।

(मिस्टर एडामी)- 1312-एफ में गवाह के पास मुरली में साढ़े चार बीघा थे, जो 1322 में बढ़कर 10 बीघा हो गये थे। इस अतिरिक्त जमीन को लेने के लिए मिस्टर अम्मान ने उसकी कोई सहायता नहीं की थी, हालांकि एक वर्ष उन्होंने गवाह को 19 मन धान उधार दिया था और समय-समय पर छोटी रकम दिया करते थे। मिस्टर अम्मान ने कभी किसी अन्य की सहायता नहीं की। गवाह जिन बांसों का उपयोग करता था, उसके अपने थे और सखुआ की जो लकड़ी उसने इस्तेमाल की, वह राज की थी।

1914 में मिस्टर अम्मान ने गवाह को उसके जमीन से बेदखल करना चाहा और इस उद्देश्य से सेट्लमेंट अधिकारियों के पास दावा किया। हालांकि मामलों को मिस्टर अम्मान के नाम से नहीं बल्कि अन्य रैयतों के नाम से दाखिल किया गया था।

गवाह संख्या - 5 : *सन्त राउत, वल्द धनरी राउत, जाति बढ़ई, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी मौजा अमोलवा, थाना शिकारपुर। लिखित बयान -*

मेरा घर अमोलवा, थाना शिकारपुर में है। अमोलवा में मेरे पास 15 बीघा 2 कट्ठा, छतमी में 2 बीघा 2 कट्ठा, असुरारी में 5 बीघा, हरपुर दहनगढ़वा में 19 बीघा 12 कट्ठा, बिसवलिया में 5 बीघा, 15 कट्ठा, और बलुआ में 5 बीघा काश्त है। ये छः गांव रामनगर राज के हैं। अमोलवा, छतमी, हरपुर, दहनगढ़वा और पकरी बिसवलिया, बेलवा प्रतिष्ठान के साथ लीज पर हैं।

फैक्ट्री रैयतों से हमेशा पइनखर्चा (सिंचाई कर) रु. 3-8 प्रति बीघा की दर से वसूलती है। फैक्ट्री का कोई पइन नहीं है और न सिंचाई का कोई प्रबंध है। जब इन गांवों को पहली बार फैक्ट्री को लीज पर दिया गया तो फैक्ट्री ने रैयतों से गांव की जमाबंदी के अनुसार सलामी वसूली और इसके बाद इसने पइनखर्चा हमेशा रु. 3-8-0 प्रति बीघा, प्रति वर्ष के हिसाब से लिया है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के अबवाब भी वसूले गये हैं जो निम्न प्रकार हैं:-

भइंसही - फैक्ट्री के बूढ़े और बिना काम के भैंसे लॉटरी के द्वारा बेचे जाते हैं जिसके लिये प्रत्येक रैयत को 1 रु. देना पड़ता है।

घोड़ही - फैक्ट्री के घोड़े लॉटरी द्वारा बेचे जाते हैं और प्रत्येक रैयत से 1 रू. वसूला जाता है।

फगुआही - फगुआ के समय प्रत्येक रैयत से 1 रू. वसूला जाता है।

फरखावां - लगान के साथ-साथ प्रति रुपया 1 आना वसूला जाता है।

बपही-पुतही - जब रैयत के पिता या किसी संबंधी की मृत्यु हो जाती है तब मृतक की जमीन उत्तराधिकार में प्राप्त करने से पहले फैक्ट्री उससे प्रति बीघा 5 रु. से 10 रु. वसूलती है।

हक तालबना - जब किसी सिपाही (पियून) को किसी व्यक्ति के पास पदस्थापित किया जाता है तब पियून पहुंचते ही 1 रू. वसूल लेता है।

हक जुरबाना - जब रैयत और रैयत के बीच विवाद होता है और विवाद की खबर फैक्ट्री तक पहुंचती है तब फैक्ट्री जुर्माना वसूलती है। जुर्माने की रकम 5 रु. से लेकर 200 रु. तक वसूली जाती है। पार्टियां अपना विवाद स्वयं से या गांव की पंचायत (मध्यस्थता) के माध्यम से निपटारा नहीं कर सकती हैं। यदि वे निपटारा कर लेते हैं तब पार्टियों और मध्यस्थों पर फैक्ट्री द्वारा जुर्माना लगाया जाता है। फैक्ट्री के भय से कोई भी, कोर्ट में कोई मुकदमा दायर नहीं कर सकता है।

मैं 12 या 13 वर्षों तक फैक्ट्री का गुमाश्ता था। फैक्ट्री के आदेशों के अनुसार मैं ने एक बड़ी रकम जुर्माने के तौर पर वसूल किया और फैक्ट्री को दिया है। विगत 3 महीनों से मैं ने गुमाश्ता पद छोड़ दिया है।

पिछले वर्ष भादो में मैनेजर ने बाबूराम कलवार पर 50 रु. जुर्माना लगा दिया जिसको मैं ने वसूला। उसके विरुद्ध शिवदयाल कलवार ने शिकायत की थी। चार वर्षों पहले राजबली छाइ से 13 रू. जुर्माना वसूला गया था क्योंकि उसने कहा था कि मैनेजर बहुत जबर्दस्ती करता है। पिछले वर्ष मुझे 1 रु. जुर्माना देना पड़ा था क्योंकि मैं जौ की कटाई पर नहीं गया था। मुहम्मद दीन से 50 रु. का जुर्माना वसूला गया था; उसके विरुद्ध चिरकुट धोबी ने शिकायत की थी। दूधनाथ चौधरी से 40 रु. जुर्माना के रूप में वसूला गया था। उसके विरुद्ध जंगी राउत ने शिकायत की थी। रामेसर छाइ से 11 रु. का जुर्माना वसूला गया था। इस वर्ष के चैत में दूधनाथ चौधरी ने भगेलू साह कलवार के विरुद्ध उधार के लिए शिकायत की थी। साहेब ने दूधनाथ से रु. 30 लिये और भगेलू साह को उसका उधार दिलवाया। जो भी जुर्माना वसूला जाता है फैक्ट्री उसको विनियोजित कर लेती है। दस वर्षों पहले झोटा महतो का खेत एक डोम का सूअर चर गया था। यह विवाद हिरमन कलवार और तापसी राय राजपूत द्वारा निपटा दिया गया था। जब मिस्टर अम्मान को इसकी खबर मिली उन्होंने पंचों को पिटवाने की धमकी दी और प्रत्येक को 8 आना जुर्माना लगाया तथा उनसे पूछा कि उनके ठीकेदारी के अंतर्गत विवाद सुलझाने का उनका अधिकार क्या था। उस समय से सभी पंचयती बंद हो गए।

बेठबेगारी - फैक्ट्री द्वारा हल, मजदूर, और बैलगाड़ियां बेगारी में लिये जाते हैं। मजदूरों को मजदूरी के रूप में 4 लोहिया मूल्य के बराबर एक सेर भोजन दिया जाता है और उनको पूरा दिन काम करना पड़ता है। मजदूर अपनी इच्छा से काम पर नहीं जाते हैं। उनको 6 सेर अनाज दिया जाता है। सामान्य किसानों द्वारा उनको साढ़े तीन आना मूल्य का एक सेर भोजन और आधा सेर जलपान। यदि उनको भुगतान नकद दिया जाता है तो उनको 12 ढिबुआ मजदूरी के रूप में तथा 1 सेर

भोजन और आधा सेर जलपान मिलता है। फैक्ट्री के काम के लिए मैं हमेशा जबरन बेगारी लेता था। मैं उनको गाली देता और पीटता भी था। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो मजदूर फैक्ट्री नहीं जाते और मैनेजर मुझको गाली देता व पीटता था। इसी प्रकार मैं भी जबरन हल और बैलगाड़ियां लेता था। एक हल की मजदूरी 7 ढिबुआ है और एक बैलगाड़ी के लिए 2 आना। किसान एक हल के लिये 4 आना भुगतान करते हैं और बैलगाड़ी के लिए 12 आना। किसानों के यहां मजदूरों को पर्याप्त काम मिल सकता है। वह लाभदायक भी है। यदि फैक्ट्री अपना काम बंद करती है तो वे किसानों के यहां मजदूरी करके खुशी-खुशी जीवन बिता सकते हैं।

हमारे इलाके में चार वर्षों पहले सरकारी नहर खोली गई थी। लोगों ने अपने खेत सींचना और सरकार को प्रति बीघा 5 रु. देना शुरू किया। लोग प्रति बीघा रू. 3-8-0 पइनखर्चा जो मैनेजर वसूलता था, से अत्यन्त असंतुष्ट थे। 1322 में मुरली भरहवा के रैयतों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक आवेदन भेजा। हमने इसके बारे में सुना। किसी ने मैनेजर को बताया कि शुक्ल के साथ मैं भी मिला हुआ था। इस कारण उसने मुझको 10 रु. का जुर्माना लगाया और वसूला। यह पइनखर्चा दे देकर हम परेशान हो चुके थे। हम यह देखने का इंतजार कर रहे थे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या करेंगे। मुझे प्रतिवर्ष 150 रु. पइनखर्चा के रूप में देना पड़ता था और आज भी मुझे यह देना पड़ता है। यह बहुत बड़ा भार स्वरूप है। इसके लिए कोई रसीद नहीं दी जाती है। तीन वर्षों पहले मैनेजर ने शुक्ल के विरुद्ध एक झूठा मुकदमा खड़ा किया और उनको जेल कराया क्योंकि शुक्ल लोगों को पइनखर्चा न देने के लिए समझाते थे। अनेक लोगों ने फैक्ट्री को पइनखर्चा देना बंद कर दिया था। लोग शुक्ल के जेल जाने से बहुत भयभीत हो गये थे और पइनखर्चा फिर से देना आरम्भ कर दिया।

बाद में इस वर्ष भी मुरली भरहवा के लोगों ने पइनखर्चा से संबंधित एक आवेदन जिलाधिकारी को दिया है। मैं ने सुना कि रामनगर मामले से संबंधित आदेश पारित किया जाएगा। इसके बाद मैं और मेरे गांव के कुछ लोग, शायद 25 जनवरी 1917 को रामनगर गये और मुरली भरहवा के रैयत भी वहां गये। वहां पर भी हमने, जो पइनखर्चा को लेकर परेशान किये गये थे, इससे व बेगार आदि से संबंधित आवेदन दाखिल किया। जिलाधिकारी ने हमको बताया कि आदेश 3 फरवरी को बगहा में पारित किया जाएगा। जब यह खबर फैक्ट्री को मिली तब शीतल राय, फैक्ट्री के जमादार, दुखी लाल, फैक्ट्री के पटवारी और सरजू प्रसाद पियून ने मुझे धमकाया और कहा - "हम तुमको लूटेंगे और हड्डियां तोड़ देंगे। तुमने मैनेजर के विरुद्ध अरजी क्यों दिया है?" इस बाबत मैं ने बेतिया के दण्डादिधकारी के पास 30 जनवरी को सूचना दी है (आवेदन की प्रति संलग्न है)। आदेश यह था कि इसको 3 फरवरी 1917 को बगहा में प्रस्तुत किया जाएगा। जब मैं घर लौटा तो पता चला

कि 30 और 31 जनवरी को हरपुर धांगढ़वा में मेरा खेत, अनाज भंडार, अनाज, बर्तन-बासन, सखुआ की लकड़ी इत्यादि, जिसकी कीमत रु. 2000 है, कोठी के कारण लूट लिया गया। चूंकि जिलाधिकारी ने हमको बगहा में 3 फरवरी 1917 के दिन आदेश के लिए मौजूद रहने को कहा था, हम और मुरली भरहवा के अन्य रैयत वहां गये। वहां मिस्टर अम्मान, जिलाधिकारी और बेतिया के दण्डाधिकारी मौजूद थे। जिलाधिकारी ने हमसे कहा कि हमें पइनखर्चा भुगतान नहीं करना चाहिए परंतु मैनेजर तब हमको वैसी सहायता नहीं प्रदान करेंगे जैसा कि वे देते आये हैं। हमने उनको बताया कि मैनेजर ने हमको सहायता नहीं दी है। बेतिया के दण्डाधिकारी ने मुझसे कहा कि मुझे 16 फरवरी को मेरे आवेदन में दिये गये डराने-धमकाने की शिकायत साबित करनी होगी। मैं ने दण्डाधिकारी, जिलाधिकारी और मिस्टर अम्मान की उपस्थिति में तत्काल कहा कि मेरी चीजें लूट ली गई हैं, मैं क्या प्रमाण दे सकता हूं, उनको स्वयं जाकर स्थल का निरीक्षण करना चाहिए। जिलाधिकारी और मिस्टर अम्मान चुप रहे परंतु दण्डाधिकारी ने मुझसे कहा- "तुम बदमाश व्यक्ति हो, दूर हो जाओ। 16 को प्रमाण प्रस्तुत करो।" जब मैं घर लौटा तो पाया कि फैक्ट्री के पियून पकरी बिसुवलिया के 188 मवेशियों द्वारा मेरा खेत चरवा रहे हैं। मैं ने आपा खो दिया और अपने सेवकों के माध्यम से मवेशियों को शिकारपुर के मवेशी बंद कर रखनेवाले बाड़े में भेज दिया। दूसरे दिन मैं मुजफ्फरपुर गया; तथा पइनखर्चा और लूट इत्यादि से संबंधित एक आवेदन लेफ्टिनेंट गर्वनर को भेजा (यह 7 तारीख की बात है)। उस आवेदन की एक प्रति मैं जमा कर रहा हूं।

जब मैं घर लौटकर आया तो एक दिन एक कान्सटेबल (सिपाही) हमारे पास और मुरली भरहवा के रैयतों के पास आया और बताया कि जिलाधिकारी आये हुए थे तथा हमलोगों को जाकर मिस्टर अम्मान को रेन्ट (लगान?) देना चाहिए और जिलाधिकारी देखेंगे कि हमलोगों को रसीद दी जाती है। हम और मुरली भरहवा के रैयत अपने रेन्ट के साथ वहां गये। हमने वहां पुलिस इन्सपेक्टर, सिपाही और फैक्ट्री के सेवकों को पाया। हमारे पहुंचते ही हममें से 11 लोगों को जिसमें मैं भी शामिल था, को गिरफ्तार कर लिया गया और हमने पहली बार सुना कि मवेशियों को जब्त करने संबंधी झूठा मुकदमा सिकंदर धोबी द्वारा फैक्ट्री के पास दायर किया गया था और उसी को लेकर हमको गिरफ्तार किया गया था। हमको हाजत में एक दिन और एक रात बेलवा में रखने के बाद, पुलिस ने दूसरे दिन मेरा चालान थाना में कर दिया। वहां फैक्ट्री के एक सेवक राजबली ने मुझे बताया कि मैनेजर ने कहा है कि यदि मैं पइनखर्चा देता हूं तो वह मेरा मुकदमा वापस ले लेंगे और यह कि मुझे भुगतान करना चाहिए जैसा कि मैं देता आया था। मैं बहुत संकट में था और डर रहा था कि मुझे भी राजकुमार शुक्ल के समान जेल हो जाएगी। जब मैं राजी

हो गया तो उन्होंने मुझे बेल पर छुड़ाया। तब मिस्टर अम्मान स्वयं हमारे गांव आये तथा मुझे और अमोवा तथा मुरली भरहवा के अन्य रैयतों को ले गये। जब हम वहां गये तो उन्होंने हमसे कहा कि हमें भुगतान करना चाहिए तथा पइनखर्चा देना जारी रखना चाहिए और हमलोगों को इस बाबत उनके द्वारा लिखा गया आवेदन दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए और वे सिकंदर धोबी का मामला वापस कर लेंगे। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, हमने स्वीकार कर लिया। कुछ लोगों ने उसी दिन पइनखर्चा दे दिया, अन्य ने बाद में और हममें से प्रत्येक ने एक रुपया नजर के रूप में भुगतान किया। 15 फरवरी 1917 को मैनेजर बेतिया आये और इजलास में दण्डाधिकारी के पास बैठे और सिकंदर धोबी की ओर से मुकदमा वापस लेने के लिए आवेदन दाखिल किया गया। और अंग्रेजी में लिखे दो आवेदनों में से एक पर जिनको मैनेजर साथ लाये थे, मेरा और अमोवा के अन्य रैयतों का हस्ताक्षर लिया गया तथा दूसरे पर मुरली भरहवा के रैयतों का हस्ताक्षर लिया गया और उनको दाखिल कर दिया गया। दण्डाधिकारी ने हमसे कहा कि हम फैक्ट्री से लड़ाई न करें और हमने मामले को खत्म करके अच्छा किया था। चूंकि हम जेल में बंद किये जाने से डरे हुए थे इसलिए जब हमसे पूछा गया तो हमने बताया कि हमलोगों ने आवेदन स्वेच्छा से दाखिल किया था। वस्तुतः मिस्टर अम्मान ने हमारे विरुद्ध फौजदारी मुकदमा करने का दबाव डालकर आवेदन दाखिल करवाया। आवेदन में जो कुछ कहा गया है वे सच नहीं हैं। मैं दोनों आवेदनों की प्रति तथा सिकंदर धोबी की शिकायतवाद और ऑर्डर शीट की प्रति भी तथा मवेशियों को बाड़े में बंद करने की रसीद दाखिल कर रहा हूं।

सन्त राउत, बुलाया और जांचा

(सभापति) - गवाह ने बताया कि वह 12 वर्षों तक बेलवा फैक्ट्री का गुमाश्ता था। उसने वह काम दो या तीन महीने पहले छोड़ दिया। उसने श्री गांधी से, जब वे अमोवा आये थे, शिकायत की थी जिसके चलते मैनेजर ने उसको बर्खास्त कर दिया था। यह सच नहीं था कि उसने स्वेच्छा से छोड़ दिया था।

गवाह फैक्ट्री के लिए जुर्माना वसूला करता और मैनेजर को दे दिया करता था। उसने अपने लिये कुछ नहीं रखा। फैक्ट्री अमलाओं के दमन व मांग संबंधी रैयतों की शिकायत झूठी थीं।

उसको जौ की कटाई करनेवाले मजदूरों की निगरानी न करने के कारण मैनेजर द्वारा दण्डित किया गया था। जब जुर्माना वसूला जाता तो मैनेजर उनको अपने पास रख लेता था और पीड़ित पार्टी को कोई मुआवजा कभी नहीं दिया गया था।

फैक्ट्री बहुत प्रकार की जबरन मजदूरी, हल और बैलगाड़ी लिया करता था।

बैलगाड़ी के लिए 2 आना प्रतिदिन या दिन के कुछ भाग के लिए भुगतान किया जाता था जबकि रैयत 12 आना या एक रुपया प्रति बैलगाड़ी प्रतिदिन का भुगतान करते थे। हल के लिए फैक्ट्री भोजन हेतु एक सेर अनाज देती थी जबकि रैयत 3 या 4 आना देते थे। रैयतों को बैलगाड़ी और हल लाने के लिए गवाह उनको गाली देता व पीटने की धमकी देता था। उसको ऐसा करना पड़ता था, नहीं तो उसको फैक्ट्री सजा दे सकती थी।

विगत जनवरी को मैनेजर ने गवाह का घर लुटवाया। जब यह हुआ मैनेजर उपस्थित नहीं थे, जबकि उनके जमादार और पियून मौजूद थे। गवाह ने पीटे जाने और जेल भेजे जाने के भय से इस बाबत शिकायत दर्ज नहीं करवाई।

गवाह ने सरकारी नहर के बकाया के रूप में प्रति बीघा 5 रु. का भुगतान किया तथा रू. 3-8-0 प्रति बीघा पइनखर्चा एवं अन्य अबवाब का भुगतान किया। उसने बाद का योग विगत 12 वर्षों से दिया था और यह सत्य नहीं है कि उसने अनुमंडल अधिकारी को कभी कहा कि फैक्ट्री का सेवक होने के कारण उसको अबवाब के भुगतान से छूट है।

मैनेजर के कहने पर उसका खेत चरवाने के लिए 188 मवेशी भेजे गये थे। जब उसने इनको पाया तो 6 मील दूर शिकारपुर के बाड़े में ले गया। उत्तर दिशा में एक और बाड़ा था जो मात्र 4 मील की दूरी पर था, परंतु चूंकि यह फैक्ट्री का था, गवाह मवेशियों को वहां नहीं ले गया। उस पर आरोप लगा था कि उसने मवेशियों को जबरन जब्त किया। आरक्षी अधीक्षक, इन्सपेक्टर और सब-इन्सपेक्टर ने जांच-पड़ताल की और उसको परीक्षण के लिए भेज दिया परंतु मामला बाद में समझौता हो जाने के कारण उठा लिया गया। बाद में 12 लोगों ने अबवाब के बारे में शिकायत करते हुए एक आवेदन लिखा। अनुमंडल अधिकारी ने कोई जांच-पड़ताल नहीं की क्योंकि मामले में समझौता हो गया था; यह समझौता मिस्टर अम्मान द्वारा जबरन तय किया गया था। गवाह ने अनुमंडल अधिकारी से कभी कुछ नहीं कहा था कि समझौता स्वेच्छा से, भय के कारण हुआ, वस्तुतः यह सच नहीं था।

गवाह के पास ठीका पर एक गांव कभी था परंतु 6 वर्षों पहले छोड़ दिया। उस गांव में उसने कभी भी पइनखर्चा नहीं वसूला। अनुमंडल अधिकारी के पास उसने स्वीकार नहीं किया कि उस गांव में वह अबवाब वसूलता था।

(श्री गांधी) - अनुमंडल अधिकारी को संबोधित राजीनामा युक्त आवेदन को मिस्टर अम्मान द्वारा पहले ही से लिखित रूप में लाया गया था। रामावतार लाल जिसने आवेदन में हस्ताक्षर किया था, गवाह का मुख्तार था। जब आवेदन कोर्ट में दाखिल किया गया तो मिस्टर अम्मान मौजूद थे। गुमाश्ता के रूप में गवाह को वार्षिक 12 रु. मिलते थे।

गवाह संख्या - *6 : खेन्दर प्रसाद राय, वल्द तिलक राय, जाति राजपूत, उम्र 39 वर्ष, निवासी ग्राम लौकरिया, थाना बेतिया। लिखित बयान –*

मौजा लौकरिया जहां मेरा घर अवस्थित है, बेतिया राज का है। 1298-एफ के माघ से यह गांव बैरिया फैक्ट्री के पास लीज पर है। ग्राम टढवा नन्दपुर भी बेतिया राज का एक गांव है, परंतु यह बैरिया फैक्ट्री के साथ मुकर्ररी पर है। टढवा नन्दपुर में मेरा 70 बीघा पुश्तैनी काश्त है और लौकरिया में 40 बीघा। इन दो गांवों में मेरे पास 15 या 16 बीघा जरपेशगी तथा खरीदी हुई जमीन है। मेरे पिता के जीवनकाल में मेरी एक लाख तक की महाजनी थी जिसमें से 40 से 50 हजार बैरिया फैक्ट्री धारता था। मेरे पिता की मृत्यु 1299 में हो गई। उनके समय में मेरी संपत्ति दो लाख रुपये की थी। बैरिया फैक्ट्री को लौकरिया लीज देने से पहले, मौजा टढवा नन्दपुर बैरिया के पास 15 या 16 वर्षों तक लीज पर था। कुछ समय बाद इसे मुकर्ररी पर दे दिया गया। मैं ने सुना है कि जिस समय टढवा नन्दपुर को लीज पर दिया जा रहा था तब फैक्ट्री ने रैयतों से तीनकठिया नील के लिए सट्टा जबरन ले लिया था। सभी रैयत बाध्यता के अंतर्गत नील की खेती करने लगे। चूंकि मेरे पिता फैक्ट्री को ऋण देनेवाले व्यक्ति थे, फैक्ट्री से उनको छूट प्राप्त थी। फैक्ट्री ने लौकरिया मौजा का लीज 1298-एफ में लिया। मैनेजर ने मेरे पिता को बुलवाया और उनसे कहा- "मैं तुम्हारा मालिक बन गया हूं, मुझे सलामी दो।" उस समय फैक्ट्री के पास 11,000 या 12,000 बकाया था। साहब ने उनसे कहा कि इसमें से आधा सलामी में दे दो। मेरे पिता ने सलामी देने और तिनकठिया करने से इनकार कर दिया। मिस्टर कार्लटन ने जो फैक्ट्री के मालिक थे, सुन्दर राय के मार्फत, जो फैक्ट्री का पियून था, मेरे पिता के विरुद्ध उनको झुकाने की गरज से एक झूठा फौजदारी मुकदमा यह कहते हुए दायर कराया कि उन्होंने उसकी गाय जबरन ले ली है। वह मुकदमा झूठा पाया गया और मेरे पिता बरी कर दिये गये थे। मेरे पिता ने अपना बकाया मांगने के लिए एक आदमी फैक्ट्री भेजा। मैनेजर ने उसको पीटा और खदेड़ कर भगा दिया। 1298 के अंत-अंत में मेरे पिता ने फैक्ट्री के विरुद्ध 11,625 रु. का वाद दायर कर दिया। वाद दायर होने के बाद फैक्ट्री ने पैसा जमा करा दिया परंतु खर्च के सवाल पर वाद का विरोध किया। परंतु मै ने डिक्री प्राप्त की। मैं 21 सितंबर 1891 के जजमेंट और डिक्री की प्रति दाखिल करता हूं। फैक्ट्री ने मेरे सभी देनदारों को अपना बकाया चुकाने से रोक दिया। उन सभी ने अपना बकाया देना बंद कर दिया। तब मेरे पिता ने घूर चमार के विरुद्ध उसके बकाया के लिए वाद दायर किया तथा डिक्री हासिल की। इसके बाद मिस्टर कार्लटन ने घूर के माध्यम से एक झूठे आरोप पर मुकदमा दर्ज करवाया कि ऋण चुकता कर दिया गया है और वाद का सभी खर्च दे दिया गया है तथा झूठा प्रमाण भी प्रस्तुत किया। परंतु वाद खारिज हो गया

तथा अदालत द्वारा मैनेजर के प्रमाण पर विश्वास नहीं किया गया। यह भी प्रमाणित हो गया कि मैनेजर विवाद को भड़का रहा था (दिनांक 28 जून 1892 के जजमेंट की प्रति दाखिल है)।

इस मामले के तुरंत बाद मेरे पिता की मृत्यु आषाढ़ 1299 में हो गई परंतु फैक्ट्री के समस्त दमन व उत्पीड़न के बावजूद उन्होंने कभी भी तिनकठिया सट्टा नहीं किया न कभी नील की खेती की। मेरे पिता की मृत्यु के समय मेरी उम्र 15 वर्ष थी। मैं ने पिता का श्राद्ध किया। मुझे अपमानित करने के लिए फैक्ट्री के मैनेजर ने ब्राह्मण पुरोहित तथा हजाम की सेवाएं बंद करा दी। मैं और मेरी मां बहुत मुश्किल में पड़ गये थे। बहुत प्रयास करने के बाद हमको बैकुंठवा से एक ब्राह्मण पंडित रंगराज दुबे श्राद्ध करवाने के लिए मिले। झिंगन महरा मल्लाह जो फैक्ट्री का तहसीलदार था, ने 15 या 16 ब्राह्मणों को श्राद्धकर्म में सम्मिलित होने की अनुमति देने के लिए 100 रु. लिये। बैरिया तथा मल्लाहिया इलाके के अंतर्गत रहनेवाले मेरे संबंधियों में से कोई भी श्राद्ध में नहीं आया। लौकरिया तथा टढवा नन्दपुर के मेरे सभी खेत बिना खेतीबारी के रह गये। फैक्ट्री ने मेरे सभी मजदूर रोक दिये और मेरी स्थिति दयनीय हो गई।

इसके बावजूद मैंने कभी भी तिनकठिया सट्टा नहीं बनवाया तथा नील की खेती कभी नहीं की। फैक्ट्री ने तब 30 दिसंबर 1892 को टढवा नन्दपुर के जिओत तुरहा द्वारा मेरे, मेरे चचेरे भाई और सवेकों के विरुद्ध मछली पकड़ने के आरोप में एक झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। इस मामले में फैक्ट्री के मैनेजर मिस्टर ह्यूम ने शिकायतकर्त्ता के बदले गवाही दी परंतु हमें बरी कर दिया गया था (दिनांक 30 फरवरी 1893 के जजमेंट की प्रति तथा 30 दिसंबर 1892 के शिकायतवाद की प्रति दाखिल किये गये हैं)। इसके बाद आनेवाले फागुन में फैक्ट्री ने फैक्ट्री का टैनरी तोड़ने का आरोप लगाते हुए मेरे विरुद्ध एक अन्य शिकायतवाद दायर कर दिया। मैं और मेरी मां बहुत चिंतित हो गए और जगरनाथ सहाय को बुलवाया जो मोतीहारी में रहते थे तथा मेरे पिता के समय से ही हमारा काम किया करते थे। वह फैक्ट्री गये और उन्होंने मैनेजर से पूछा कि वह क्यों हमें बर्बाद कर रहे थे। मैनेजर ने कहा कि यदि मैं जुर्माने के रूप में 1000 रू. दे दूं तथा नील की खेती करने के लिए तिनकठिया सट्टा करवा लूं तो वह मामले को खारिज करवा देंगे। अन्त में अपनी बर्बादी की आशंका को देखते हुए मैं नौतन गया जहां मिस्टर कार्लटन रह रहे थे तथा 1000 रू. जुर्माना दिया और 5 बीघा में नील की खेती करने का सट्टा कर लिया। मैनेजर ने तब फौजदारी मामले को वापस ले लिया (इसकी प्रति जो मेरे पास थी, जला दी गई है और अब कोई प्रति उपलब्ध नहीं है, अतः मैं दाखिल नहीं कर रहा हूं)। परंतु हमारे यह सब करने के बाद भी हमको कोई राहत और आराम नहीं

मिला। फैक्ट्री का तहसीलदार झींगन महरा गुस्सा हो गया क्योंकि उसको कोई सलामी नहीं दी गई थी। उसने सलामी के रूप में 500 रु. मांगे जो हम नहीं दे सके। वह मैनेजर के पास मेरे विरुद्ध झूठी शिकायत करने लगा। जब मुझे किसी भी प्रकार से राहत नहीं मिल पायी तो मैं ने लौकरिया छोड़ देने की सोची और 1300-एफ के आषाढ़ या सावन में थाना शिकारपुर का मौजा मतेरिया 15000 रु. की जरपेशगी पर ले लिया तथा अपने मवेशी वहां भेज दिये और निर्णय किया कि 1301-एफ के माघ या फागुन में वहां चला जाऊंगा। इसी के साथ 1301-एफ के कार्तिक या अगहन महीने में झींगन महरा के भड़काने पर मैनेजर ने मेरे और मेरे करपरदाज के विरुद्ध 110 सीआरपीसी के अंतर्गत मुकदमा दायर कर दिया। इसमें भी मैं बरी हो गया। इसके कुछ ही समय बाद मिस्टर कार्लटन ने 1301 में फैक्ट्री मिस्टर हैरीसन को बेच दिया और मिस्टर कॉक्स मैनेजर बन गये। मिस्टर कॉक्स मेरे गांव से होकर फैक्ट्री जा रहे थे। मैं उनसे मिला और सभी तथ्य बता दिये। उन्होंने मुझे फैक्ट्री पर बुलाया और मैं वहां गया। मैनेजर ने तब मुझे टढवा नन्दपुर में नील की खेती के लिए 10 बीघा का सट्टा बनाने को कहा। मैनेजर ने मुझे धमकाया और डराया और कहा कि यदि मैं ने सट्टा बनवा लिया तो खुशी से जीवनयापन कर सकता हूं। मैं राजी नहीं हुआ। उस रात मुझे फैक्ट्री में रोक कर रखा गया। दूसरे दिन मैनेजर मुझको बेंत से मारने ही वाला था कि डर से मैं ने सट्टा बनवा लिया। वहां कोई मदद नहीं थी। मैं 15 बीघे में नील की खेती करने लगा। इन विवादों के चलते मैं गरीब हो गया था। मुझे 20000 रु. खर्च करना पड़ा था।

नील की खेती के कारण मुझे बहुत नुकसान में डाला गया था। प्रत्येक बीघा में 30 रु. से लेकर 50 रु. खर्च हो जाता था जबकि फैक्ट्री पहले 17 रु. और बाद में 20 रु. देता था। परंतु मुझे कभी भी वास्तविक मूल्य पर भुगतान नहीं किया गया; बीजमार के नाम पर हमेशा कटौती कर ली जाती थी। कभी-कभी हमको एक बीघा का 10 रु. दिया जाता था जिसके बारे में लौकरिया के रैयतों ने राज को आवेदन दिया था। मेरे हल और मेरे मजदूर हमेशा इसी 15 बीघा के तिनकठिया जमीन पर व्यस्त रखे जाते थे। मेरी अपनी जमीन पर न खेती हो पाती और न उचित समय पर देखभाल की जा सकती थी। जब मैं गरीब हो गया और मेरे हल और बैलों की सख्या कम हो गई तब 1307-एफ से मैं ने 7 बीघा मात्र में नील की खेती शुरू कर दी। नील हमारे नाक में दम कर रहा है। जब से मैं नील की खेती कर रहा हूं तब से प्रत्येक वर्ष मुझे 100 रु. से 150 रु. जुर्माना फैक्ट्री को देना पड़ रहा है। यदि मैं तिनकठिया खेत में बताये गये दिन पर हल नहीं चलवा सका या घास-फूस साफ नहीं करवा पाया तो मुझको जुर्माना देना पड़ता है। चूंकि मेरे पास जमीन बहुत है इसलिए मेरे लिये यह हमेशा संभव नहीं है कि फैक्ट्री के सेवकों द्वारा दिये गये

निर्देश के अनुसार तिनकठिया खेत की जुताई और निकौनी करवा सकूं। नील के लिए अच्छे खेतों का चयन होता है। मेरे घर के पास जो गोएन्रा खेत है अगर मैं उसमें कोई दूसरी फसल उगाता तो मुझे रु. 100 से रु. 125 मिलते, कई बरस इसको नील की खेती के लिए लिया गया है। इस वर्ष भी मेरे 7 बीघा गोएन्रा खेत ले लिये गये हैं। हमारे खेतों में खाद डालने के लिए फैक्ट्री कभी सीठ नहीं देता है। सभी सीठ उसके अपने जिरायत को दे दिये जाते हैं। कभी-कभी हमको नील के बदले थोड़ा नील, थोड़ा जौ और थोड़ा गन्ना लगाना पड़ता था। यह और भी परेशान करनेवाला है। जौ का उत्पादन चाहे जो भी हो, हमको उतना ही भुगतान किया जाता है जितना फैक्ट्री आंकती है।

मजदूरों के हल और बैलगाड़ी भी अत्यधिक दमन के शिकार हैं। मजदूर पीटे जाते हैं तथा फैक्ट्री के सेवकों के द्वारा उनको जबरन फैक्ट्री के जिरायत में ले जाया जाता है। फैक्ट्री संपूर्ण दिन की मजदूरी के रूप में 2 पैसा या 4 पैसा देती है। मजदूर अत्यन्त कष्ट में हैं। एक दिन के लिए किराये पर लिये गये हल का भुगतान 5 या 6 पैसा है। हम किसान एक मजदूर को 6 सेर अनाज और एक सेर भोजन देते हैं जो लगभग साढ़े तीन आना मूल्य का होता है; 7 बजे से 12 बजे दोपहर तक काम करने के लिए एक हल का हम 4 आना और एक सेर भोजन देते हैं। यदि हम बैलगाड़ी पूरे दिन के लिए किराये पर लेते हैं तो 1 रुपया देते हैं। फैक्ट्री जिस दर पर बैलगाड़ी के लिए भुगतान करती है, वह एक दिन के लिये 2 आना से अधिक नहीं पड़ता है। 1301-एफ में मैनेजर ने मुझसे बैलगाड़ी का सट्टा जबरन करवा लिया। इसके बाद मुझे तीन सट्टा, प्रत्येक 7-7 वर्षों के लिए करना पड़ा। एक बैलगाडी के रखरखाव में मुझे प्रति माह 11 या 12 रुपया खर्च करना पड़ता है। एक गाड़ीवान का वेतन, उसके भोजन सहित रु. 5-8-0 है। बैलों के लिए चारा रु. 3-8-0 आता है, बैलगाड़ी के लिए तेल का खर्च 1 रु. होता है। एक महीने में मरम्मत का खर्च 1 रु.। फैक्ट्री मुझको संपूर्ण वर्ष के लिए 2 रु. से 5 रु. देती है।

बैरिया के मैनेजर ने मुझसे बार-बार मतियरिया गांव, जिसे मैं ने जरपेशगी में लिया था, को चनपटिया के मिस्टर बायोन को लीज पर देने को कहा। अंत में मुझे 1306-एफ में मजबूर होकर मिस्टर बायोन को लीज पर देना पड़ा तथा 1308-एफ में मिस्टर बायोन को बेच दिया। मैं इसको नहीं बेचता, परंतु ऐसा मैं ने बैरिया के मैनेजर के दबाव के कारण किया। हालांकि हस्तांतरण विलेख (डीड) में रू. 15,000 दर्ज किया गया, मुझको वास्तव में मात्र 9000 रू भुगतान किया गया। अभी तक मुझको बकाया नहीं मिला है।

जब नील का दाम गिर गया तब फैक्ट्री ने प्रति बीघा 100 रु. तवान मांगना आरम्भ कर दिया तथा इसको अत्यन्त सख्ती से वसूल किया जाने लगा। लौकरिया

का मुसहर धोबी यह भुगतान नहीं कर रहा था और उसको कवल सिंह जमादार के द्वारा बुरी तरह पीटा गया। नन्दन मिश्रा ने इसको नहीं दिया तो उसके खेत से हल के जुअे उतार लिये गये। रामअवतार राय, बाबू नन्द राय और रामलगन राय के भी हल के जुअे इसी प्रकार उतार लिये गये थे। मेरी पूरी जमीन पर तिनकठिया का हिसाब करके मुझे भी तवान देने को कहा गया था (रु. 1,800 के बराबर)। दूसरे लोगों पर दमन को देखते हुए तथा अपने पिता तथा स्वयं के घोर दमन को याद करते हुए मैं ने 7 बीघा के नील की खेती पर, जो मैं उस समय कर रहा था 700 रु. देना मंजूर किया। परंतु जमादार कवल सिंह स्वीकार नहीं कर रहा था। मुझको फैक्ट्री भेजा गया। मिस्टर गेल जो अभी मैनेजर हैं, उस समय भी मैनेजर थे। उन्होंने तवान के रूप में 1,800 रु. मांगे और मुझसे कहा कि मैं अन्य लोगों से तवान वसूलने में उनकी सहायता करूं। मैं ने कहा- "मैं 700 रु. दूंगा परंतु वे नहीं माने और 1600 रु. मांगे।" मैं ने कहा- "मेरे पास उतना पैसा नहीं है।" इसके बाद मैनेजर ने मुझे सुझाव दिया कि मैं अपना हाथी बेच दूं और भुगतान करूं।" मैं ने इनकार कर दिया। कमरे के अन्दर जहां मैं बात कर रहा था, दरवाजे पर 5 टोकेदार, कवल सिंह, जमादार और तीन सिपाही आकर कमरे के दरवाजे पर खड़े हो गए, तथा जहां मैं और मैनेजर बातें कर रहे थे वहां फैक्ट्री का बाबू और मुंशी मौजूद थे। मैनेजर ने बाबू से एक सादा स्टाम्प पेपर लिया और मुझे उस पर लिखने को कहा। मैं ने पूछा कि मैं उसमें क्या लिखूं? उन्होंने कहा कि जो वे बोलते हैं मैं उसको लिखूं। मैं ने उनसे कहा- "मुझे बताइए कि क्या सब लिखना है, उनको सुनकर अगर मुझको लगेगा कि लिखना चाहिए तो लिखूंगा अन्यथा नहीं लिखूंगा।" इस पर मैनेजर क्रोधित हो गए और अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो गये, उन्होंने एक बेंत लिया और मेरी बांह पकड़कर बोले कि अगर मैं ने नहीं लिखा तो वे मुझे पीटेंगे। तब वहां हल्ला-गुल्ला हुआ था और मेरा चचेरा भाई रामआश्रे राय जो बाहर खड़ा था, ने उनसे कहा कि वे ऐसा जुलुम क्यों कर रहे थे और यदि वे ऐसा करना जारी रखेंगे तो वे उनके जीवन के बारे में ध्यान नहीं दे पायेंगे; क्या सरकार राज चला गया? इसके बाद मैनेजर उसकी ओर दौड़े और मुझे वहां से खिसकने का मौका मिल गया। संयोग से वहां मेरे गांव के दो अन्य लोग भी मौजूद थे। जब उन्होंने देखा कि हमसब चार थे और वहां बहुत हुल्लड़ होनेवाला था तो उन्होंने हमलोगों को छोड़ दिया और हम घर लौट गये। इसके दूसरे दिन मैं बेतिया गया और सेट्लमेंट आफिसर, मिस्टर स्वीनी को डाक द्वारा एक आवेदन भेजा तथा बाबू पशुपति घोष, असिस्टैंट सेट्लमेंट ऑफिसर ने जांच भी की, परंतु मुझे परिणाम का पता नहीं चला।

फैक्ट्री का जुलुम बढ़ गया। लोगों के मवेशी जब्त होने लगे। बसंत चमार, शिवनंदन राय, रामलगन चौबे और अन्य के मवेशी जब्त किये गये थे। वैसे रैयत

जिनके हाथ में नकदी नहीं थी उन्होंने हस्त-लिखित नोट तथा बंधक पत्र, रु. 1 से रु. 1-8 के ब्याज के साथ दिया। हस्त लिखित नोट तथा बंधक पत्र में तवान का कोई उल्लेख नहीं था परंतु राशि को ऋण के रूप में दर्ज किया गया। मेरा विश्वास है कि हमारे इलाके से मैनेजर ने लगभग दो लाख वसूला। तब एक सौ सतरह लोगों ने संयुक्त रूप से कलक्टर, कमिश्नर और लेफ्टिनेंट गर्वनर को ज्ञापन सौंपा (दिनांक 1 जुलाई 1914 के ज्ञापन की प्रति दाखिल है)। इस ज्ञापन के बाबत बेतिया के दण्डाधिकारी ने जांच किया। हमने उनको फुलाखंड में हमारे ऊपर हो रहे कष्टों के बारे में बताया परंतु दण्डाधिकारी ने हमसे कहा कि या तो हम नील की खेती करें या तवान का भुगतान करें। हममें से कुछ ने बताया कि सट्टा की समयावधि समाप्त हो गई थी और हम नील की खेती नहीं करेंगे परंतु दण्डाधिकारी ने कहा कि हम इसकी खेती अवश्य करें। तीनों फैक्ट्री के मैनेजर, जिनके नाम नौतन, बैरिया और मल्लाहिया है, वहां जुटे हुए थे।

उसी वर्ष सुभग अहीर, निवासी मल्लाहिया देहात तथा कुछ अन्य लोगों ने शायद कमिश्नर और लेफ्टिनेंट गर्वनर को आवेदन दिया था। उस के लिए तथा तवान न देने के कारण मल्लाहिया फैक्ट्री के मैनेजर ने सुभग के दरवाजे से उसके मवेशी खोलकर जब्त कर लिये। मवेशियों का बाड़ा फैक्ट्रियों के नियंत्रण में हैं और आमतौर पर वे फैक्ट्री के निकट अवस्थित हैं। सुभग ने दण्डाधिकारी तथा जिलाधिकारी को आवेदन दिया। जब मवेशियों को नीलाम करने के लिये थाना भेजा गया था, उनको 20 रु. या 22 रु. के भुगतान के बाद छोड़ दिया गया था, परंतु भूखे रहने के कारण सभी मवेशी कमजोर हो गये थे, और परिणामस्वरूप उनमें से कुछ तो मर गये।

इसके साथ ही मेरे ऊपर पुलिसवाले लगा दिये गये थे, एक हेड कॉन्सटेबल और दो कॉन्सटेबल। कान्सटेबलों की मदद से फैक्ट्री के सेवकों ने हमारी जमीन की खेती रुकवा दी और केवल नील वाले खेतों पर ही खेती करवाना आरम्भ कर दिया। उन्होंने मेरा पानी भी बंद कर दिया। वे कुंआ से पानी नहीं लेने देते थे। तब मैं इन्सपेक्टर और डिप्टी सुपरिन्टेडेंट के यहां गया और उनको बताया। परंतु कुछ नहीं हुआ। मैं ने 14 अक्तूबर 1914 को मोतीहारी में जिलाधिकारी के पास आवेदन दाखिल किया (जिसकी प्रति दाखिल है)। हम पांच लोगों ने आवेदन दाखिल किया। दूसरे दिन उपस्थिति के लिये हमसे बॉन्ड लिये गये। दूसरे दिन हम उपस्थित हुए और हमारी जांच-पड़ताल हुई। आवेदन को बेतिया के दण्डाधिकारी के पास भेज दिया गया। मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ परंतु हमारे घर से पुलिसवाले हटा लिये गये।

ऊपर वर्णित मल्लाहिया इलाका के सुभग अहीर ने अपने मवेशियों की हानि के बाद भी तवान भुगतान नहीं किया। इसके लिए मल्लाहिया के मैनेजर ने उसका

घर और संपत्ति लुटवा ली। उसके पास 25 बीघा जमीन थी जिससे उसको बेदखल कर दिया गया था और उसे गांव से भगा दिया गया था।

पिछले वर्ष जेठ में 40 रु. मूल्य का भूसा जला दिया गया था। किसी को मालूम नही कि यह कैसे जला था। बैरिया फैक्ट्री ने बैरिया तथा बगही गांव के लोगों से रु. 500 जुर्माना के रूप में वसूला। पुलिसवाले भेजे गये थे और वसूली उन्हीं की मदद से हुई थी।

चौकीदारी का आकलन करनेवाला मैनेजर है। वह जानवरों का बाड़ा की देखभाल करता है। सड़कें उसके नियन्त्रण में हैं। वही ठीकादार है। उसको जो अच्छा लगता है वह करता है। रैयत कष्ट में हैं। उन गांवों के रैयत जो गांव राज के खाम प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं, खुश हैं और जो ठीका गांव में हैं वे दुर्दशा में हैं। मौजा लौकरिया की लीज अवधि समाप्त हो गई है। यह निवेदन किया जाता है श्रीमान् कि इसे राज के द्वारा ही रखा जाये, अन्यथा हम रैयतों को रहने नहीं दिया जाएगा।

खेन्दर प्रसाद राय, बुलाया और जांचा

(सभापति)-गवाह ने बताया कि भूमि धारक के अलावा वह एक महाजन भी था और रु. 4000 से रु. 5000 की पूंजी ऋण पर लगे हुए थे। वह आयकर के रूप में 20 रु. देता था और उसने यह तब तक दिया जब तक वह व्यापार प्रबंधन करता रहा था; परन्तु उसको मालूम नहीं कि उसके पिता क्या देते थे।

बैरिया फैक्ट्री द्वारा नील की खेती की जाती थी और वह पहले साढ़े पन्द्रह बीघा में नील की खेती करता था परन्तु अब मात्र 7 बीघा में। उसकी धारित भूमि का कोई विशिष्ट अनुपात नील के अंतर्गत नहीं था। उसके पास दो गांवों में 110 या 115 बीघा जमीन थी जो दोनों ही स्थानों में बैरिया फैक्ट्री को लीज पर थी। 1316-एफ में उसके नील का लगान कम कर दिया गया था क्योंकि उसके हल संख्या में कम हो गये थे। नील के लिए दिया जाने वाला दर रु. 20 अथवा रु. 22 प्रति बीघा था परंतु मैनेजर कभी-कभी मात्र रु. 10 देता हालांकि फसल अच्छी होती थी। दर मैनेजर की इच्छा पर निर्भर था। प्रत्येक वर्ष देय राशि गवाह के रेन्ट में जमा हो जाते थे, जो रु. 87 था। गवाह के पास कुछ जरपेशगी जमीन भी थी। सभी रेन्ट नील के खाते से भुगतान हो जाते थे और यह हमेशा ऐसे ही दिया जाता था। कभी-कभी नील के खेत में जौ लगाया जाता था। नील के बदले जौ लगाने पर गवाह को प्रति बीघा रु. 9 का भुगतान होता था और फसल का उत्पादन मैनेजर के बताये अनुसार आपूर्ति करना पड़ता था।

मजदूरी के लिये फैक्ट्री प्रतिदिन 3 या 4 पैसा भुगतान करती थी, महिला और बच्चे क्रमशः 3 और 2 पैसा पाते थे। रैयत अपने मजदूरों को 6 सेर धान तथा एक

सेर भोजन के लिए, जो लगभग साढ़े तीन या 4 आना मूल्य का होगा। बैलगाड़ी के लिए फैक्ट्री 2 आना देता था। गवाह ने बैलगाड़ी का सट्टा किया था, हालांकि जिसकी समयावधि इस वर्ष समाप्त हो गई। 1914 में जब मिस्टर जॉन्सटन उसके आवेदन पर जांच कर रहे थे, उन्होंने मजदूरों को दिये जानेवाले दर की जांच-पड़ताल की थी। गवाह ने उस समय भी यही दर बताया था, जो अब बताया है परंतु उसको मालूम नहीं कि मिस्टर जॉन्सटन ने क्या रिपोर्ट किया था।

बैरिया में रैयतों से तवान लिया गया था परंतु उसने तवान नहीं दिया था। जिन लोगों ने दिया था, ऐसा दबाव में आकर किया था। इसके बारे में गवाह ने एक आवेदन सेटलमेंट आफिसर को भेजा और उसको विश्वास था कि जांच-पड़ताल हुई थी परंतु उसको मालूम नहीं कि किस निर्णय पर पहुंचे थे। यदि कोई बल प्रयोग नहीं हुआ होता तो रैयत लेफ्टिनेंट गर्वनर और वायसराय को आवेदन नहीं करते।

सुभग अहीर ने लेफ्टिनेंट गर्वनर को एक आवेदन भेजा था और तवान देने से इनकार किया था। इसके लिए उसके मवेशी जब्त किये गये थे, परंतु उसको मालूम नहीं यदि मवेशियों ने अतिक्रमण किया था।

वह नहीं जानता क्यों, या किसके आदेश से अक्तूबर या नवम्बर 1914 में उसके दरवाजे पर हेड कॉन्सटेबल और कॉन्सटेबलों की तैनाती हुई थी। केवल मौखिक रूप से पुलिस के डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट और सब-इन्सपेक्टर को छोड़कर उसने कहीं शिकायत नहीं की थी। मात्र पुलिस के चले जाने के अलावा कुछ नहीं हुआ था। उसको मालूम नहीं कि अनुमण्डल कार्यालय ने मामले में जांच-पड़ताल की थी।

1299 फसली में जब उसके पिता की मृत्यु हुई तो वह 15 वर्ष का था।

नील की खेती करने का खर्च अब भी वही है जो पहले था, अर्थात् रु. 30 से रु. 45 प्रति बीघा।

(मिस्टर रेनी) - उसके बैलगाड़ी का सट्टा मात्र एक बैलगाड़ी का था जिसका उपयोग फैक्ट्री द्वारा लगभग 8 महीनों तक होता था और लगभग 4 महीने उसके अपने कामों के लिए। वे यह बताने में असमर्थ थे कि फैक्ट्री द्वारा उसके बैलगाड़ी का उपयोग इस वर्ष में कितने दिन हुआ था। उनको मालूम नहीं कि फैक्ट्री का बाबू बैलगाड़ी की उपस्थिति हाजिरी बही में सही-सही लिखता था।

(मिस्टर गांधी) - उसके नील का हिसाब उसके रेन्ट से अधिक कभी नहीं हुआ, मात्र एक वर्ष को छोड़कर, लगभग 10 या 12 वर्षों पहले, जब उसको 100 रु. नकद मिला। उसको कोई वार्षिक अग्रिम नहीं मिला परंतु उसको प्रति बीघा 4 रु. की दर से अग्रिम मिला जब उसने मूल रूप से सट्टा बनवाया। एक गांव में नील के लिए सट्टा 22 वर्षों पहले निष्पादित हुआ था और दूसरे में 9 या 10 वर्षों पहले। व्यवहारिक रूप से नील का काम भादो से लेकर श्रावण तक वर्ष भर चलता था,

मात्र चैत्र को छोड़कर जब कोई काम नहीं रहता था।

(मिस्टर रीड) - गवाह को इस वर्ष रू. 32 नकद उसके नील खाते में रेन्ट से अधिक के रूप में नहीं मिले।

जौ की फसल के बाद वह मकई लगाता था, परंतु फसल अच्छी नहीं होती थी। उसके पास तवान देने के लिए पैसे नहीं थे और इसी लिए उसने प्रति वर्ष रु. 1000 की हानि से बचने के लिए जो उस पर नील की खेती अपरिहार्य होने के कारण होती थी, मात्र रु. 700 देने का प्रस्ताव किया।

बैरिया में मिस्टर गेल पांच या छः वर्षों से थे और गवाह के ऊपर प्रायः दमनात्मक कार्रवाई करते थे। गवाह के पिता ने एक रास्ता बनवाया था जिसमें एक पुल था जिसको बनवाने में रु. 22 तथा मरम्मत में रु. 11 लगे थे। मिस्टर गेल ने गवाह को रास्ता समतल करने तथा पुल के काठ के पटरों को हटाने के लिए कहा ताकि बैलगाड़ी पार न हो सकें। उसको मालूम नहीं मिस्टर गेल ने ऐसा क्यों करवाया तथा उसने उनसे कभी कारण नहीं पूछा।

गवाह ने नहीं सुना है कि नील का दाम बढ़ जाने के कारण बैरिया के रैयतों को अतिरिक्त भुगतान मिला था, परंतु उसने सुना था कि मल्लाहिया में उनको मिला था।

महाई में लगभग प्रति दिन बैलगाड़ियों की आवश्यकता कम से कम अढ़ाई से तीन महीनों के लिए लगातार होती थी। दो महीने उनकी आवश्यकता सीठ ढोने के लिए तथा तीन महीने धान और गन्ना ढोने के लिए। पिछले वर्ष उसकी बैलगाड़ी सात या आठ महीनों के लिए इस्तेमाल की गई थी।

नील खेती के काम में भादो के समय जोताई करते समय तामनी करना और तब से कार्तिक में बुवाई के समय तक खेत की साफ-सफाई करना शामिल है और इसके बाद अंत तक निकौनी करना है। नील का काम उसको श्रावण तक व्यस्त रखने का कारण यह था कि उसके पास 7 बीघा खेत थे और वह सबकी देखभाल एकसाथ नहीं कर सकता था।

गांधी की चेतावनी

गांधी का पत्र राजस्व सचिव को मोतीहारी, जनवरी 24, 1918

सेवा में,

सचिव

राजस्व-विभाग

बिहार और उड़ीसा सरकार

महोदय,

माननीय रायबहादुर पूर्णेंदुनारायण सिंह (बिहार और उड़ीसा विधानपरिषद् के सदस्य। वे उस प्रवर समिति के सदस्य भी थे जिसे चम्पारण कृषि-विधेयक विचार के लिए सौंपा गया था।) को चम्पारण कृषि-विधेयक के संबंध में जो कागजात दिये गये थे, वे उन्होंने मुझे उपलब्ध कर दिये हैं। मैं देखता हूं कि उनमें एक स्मृतिपत्र (5 जनवरी, 1918) है जो बिहार बागान-मालिक संघ, चम्पारण के सदस्यों ने दिया है, उसके साथ सिरनी संस्थान के प्रबंधकों का भेजा हुआ एक और स्मृतिपत्र भी है। प्रवर-समिति के विचार के लिए इन ज्ञापनों तथा कुछ अन्य पत्रों का उत्तर देना आवश्यक है।

किंतु अपने विचार व्यक्त करने के पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि सरकार विधेयक में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन करना ही चाहती है तो किसानों का एक प्रतिनिधि परिषद् में नियुक्त किया जाना चाहिए और प्रवर-समिति में भी रहना चाहिए।

और मैं महसूस करता हूं कि बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद या मेरे सिवा दूसरा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि जो इन हितों का भलीभांति प्रतिनिधित्व कर सके। मैं आशा करता हूं कि मेरी इस प्रार्थना पर सरकार उचित ध्यान देगी।

विधेयक के उपबंधों पर विचार करते हुए मेरी नम्र राय में सभी संबंधित लोगों के लिए यह स्मरण रखना अत्यंत आवश्यक है कि सरकार ने समिति की सिफारिशों पर एक घोषणा निकालकर अपना निर्णय किसानों को बता दिया है। (ये आदेश सरकार के अक्तूबर 18, 1917 के उस प्रस्ताव में सन्निहित किये गये थे, जिसे जांच समिति रिपोर्ट के साथ-साथ बिहार और उड़ीसा 'गजट' में तथा रैयत के लिए प्रांतीय भाषा में छापा गया था।)

हम आदरपूर्वक कहना चाहते हैं कि उपर्युक्त घोषणा में किसानों को जो आश्वासन दिये गये हैं उनको कार्यरूप देने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया गया है। इसलिए विधेयक में किसी महत्वपूर्ण मामले में परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसी स्थिति में अखबारों में जो कटुता-भरे पत्र छप रहे हैं तथा संबंधित पक्षों

द्वारा जो भली-भांति की अफवाहें फैलाई जा रही हैं उनसे किसान क्षुब्ध हो रहे हैं। 'तुरंत दान महा कल्याण' यह कहावत इस मामले में बहुत सटीक बैठती है। विधेयक को पास करने में अनुचित विलम्ब करने से भारी अनर्थ हो सकता है। इसलिए, मैं अनुरोध करता हूं कि विधेयक जितनी जल्दी हो सके प्रांत की कानून-संहिता में आ जाना चाहिए।

अब मैं उक्त पत्रों की जांच पर आता हूं। सबसे पहले मैं चम्पारण के जमींदारों के स्मृतिपत्र को लूंगा। साधारणतः यह ऐसी गलतबयानियों से भरा है, जिनके कारण यह तनिक भी महत्व देने योग्य नहीं रह जाता। इसमें कहा गया है कि कृषि जांच-समिति असंदिग्ध रूप से एक कृत्रिम आंदोलन को बंद करने के लिए नियुक्त की गई थी। तय यह है कि समिति जमींदारों के उस आंदोलन के फलस्वरूप नियुक्त की गई थी, जिसे उन्होंने इस आशा से आरम्भ किया था कि उससे किसानों का आंदोलन बंद हो जायेगा या दबा दिया जायेगा। इसके समर्थन में मैं 'पायनियर' से, जो देश में आंग्ल भारतीयों के विचारों को व्यक्त करने वाला एक प्रमुख पत्र है, एक उद्धरण प्रस्तुत करता हूं। उसने 1917 की मई के एक अंक में लिखा था :

"हमें लगता है कि बिहार और उड़ीसा सरकार, नील की खेती के जिलों में जमींदारों और किसानों के मतभेदों की जांच करने के लिए तुरंत एक आयोग नियुक्त कर देगी तो ठीक होगा। यह समझना कठिन है कि श्री गांधी की जांच से क्या लाभ हो सकता है। किंतु एक ऐसे आयोग द्वारा, जिसमें एक गैर-सरकारी तत्व रह सके, की गई निष्पक्ष जांच से दोनों पक्षों को अपना-अपना मामला पेश करने का अच्छा अवसर प्राप्त होगा और इसके परिणामस्वरूप अवश्य ही स्थायी शांति हो जायेगी।"

और जून के प्रारम्भ में बिहार और उड़ीसा सरकार ने चम्पारण कृषि जांच-समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है। यूरोपीय संघ के मंत्री (एलेक मार्श।) ने 8 जून, 1917 को बिहार और उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था : मेरी परिषद् को यह देखकर बहुत संतोष होता है कि आपकी सरकार ने बिहार और उड़ीसा प्रांत में जमींदारों तथा किसानों के आपसी संबंधों की जांच के लिए एक समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है।

स्मृतिपत्र में कहा गया है कि किसानों का आंदोलन 'कृत्रिम' था और उसका संगठन चम्पारण के बाहर किया गया था। तय यह है कि यह केवल चम्पारण तक ही सीमित था और अभी तक चम्पारण तक ही सीमित रहा है तथा जिस आंदोलन में बड़ी संख्या में जनसाधारण ने भाग लिया हो उसे 'कृत्रिम आंदोलन' कहना कठिन है। स्मृतिपत्र में कहा गया है : "आंदोलन व्यापक शिकायत का परिणाम कदापि नहीं था।" इसका खंडन सरकार की अपनी जांच से तथा सरकार द्वारा समिति के सामने

प्रस्तुत किये गये बहुत से कागजात से हो जाता है।

मेरे लिए यह शोभाजनक न होगा कि मैं उन बहुत-से आक्षेपों की ओर ध्यान दूं जो जांच-समिति पर अनुचित रूप से अकारण लगाये गये हैं।

चम्पारण के जमींदारों ने अपने स्मृतिपत्र में विधेयक के उपबंधों में जो विभिन्न संशोधन प्रस्तुत किये हैं। अब मैं उन पर विचार करता हूं।

खंड 3 की धारा (1) का संशोधन : स्मृतिपत्र में यह कहकर असावधानी की हद ही कर दी गई है कि विधेयक का उद्देश्य "बिना क्षतिपूर्ति के तथा बिना पर्याप्त कारण के उस प्रथा (तिनकठिया) को रद्द करना है जो 100 वर्ष से भी अधिक समय से प्रचलित है।"

यह बात इस तथ्य के बावजूद कही गई है कि जमींदारों ने इस प्रथा को, जो अब लाभप्रद नहीं रही है, समाप्त करने के लिए बहुत ज्यादा हर्जाना वसूल किया है और इस विधेयक की मंशा उस बेजा हर्जाने से आंशिक रूप से और मेरे विचार में अपर्याप्त रूप से राहत दिलाना है। एक जमींदार ने अपने किसानों से तवान के रूप में 3,20,000 रु. वसूल किये और इस आय के अतिरिक्त उसे 52,000 रु. वार्षिक की आय शरहबेशी से हुई।

उसने इस तथ्य का उल्लेख अखबारों तक में बड़े गर्व से किया है। और ऐसे जमींदार अनेक हैं।

स्मृतिपत्र में खुश्की प्रणाली के बारे में जो तर्क दिया गया है उस सबसे यही जाहिर होता है कि स्मृतिपत्र के दाता तिनकठिया को खुश्की के नाम से परिवर्तित रूप में पुनर्जीवित करना चाहते हैं। मेरे खयाल से खुश्की प्रणाली वह करार है जिसे किसान स्वेच्छया जमींदार के साथ करता है और जिसके अनुसार वह आपस में तय किये गये उचित भाव से अपनी कोई खास उपज जमींदार को देता है। करार में कोई ऐसी धारा रखने से जिससे किसान अपनी सारी जमीन में या उसके एक भाग में या उसके किसी खास खेत में, भले ही उसे उसने स्वयं चुना हो, कोई विशेष फसल बोने के लिए बंधता हो, तो उस करार का रूप ऐच्छिक नहीं रह जाता और किसान अपनी जमीन को अपनी इच्छानुसार उपयोग में लाने के अधिकार से वंचित हो जाता है। इस तरह की धारा बंगाल कृषि-अधिनियम के खंड 178 (3) (ख) और खंड 23 की संयुक्त व्यवस्था के विरुद्ध है। पेशगी देने की प्रथा अब तक प्रलोभन और जाल ही सिद्ध हुई है। खुश्की करार का किसान की जमीन से कोई संबंध न होना चाहिए। इसमें केवल यह शर्त होनी चाहिए कि किसान जमींदार को आपस में तय किये गये भाव से निश्चित मात्रा में नील देगा। किसान नील को अपनी जमीन में पैदा कर सकता है या दूसरे किसानों से खरीद सकता है, अथवा किसी अन्य साधन से प्राप्त कर सकता है। यदि एक बार उसकी जमीन करार के अंतर्गत आ गई तो

इसका अनिवार्य परिणाम यह होगा कि बाध्यता की वही भावना, जो अब तक नील उगाने के साथ सम्बद्ध रही है और जांच-समिति तथा सरकार की इच्छा जिले की भावी शांति के लिए जिसे दूर कर देने की है, धीरे-धीरे किसान के मस्तिष्क में घुसने लगेगी और समय आने पर उस पर हावी हो जायेगी। यहां मैं इसका उल्लेख कर दूं कि विधानसभा का मुख्य ध्येय उद्योग को समृद्ध करना या कायम रखना उतना नहीं है जितना किसानों का कल्याण करना। यदि किसान को तिनकठिया या खुश्की प्रथा के घातक प्रभावों से सर्वथा मुक्त करना है तो यह आवश्यक है कि (क) उस विशेष फसल को जिसे उपलब्ध कराने का जिम्मा उसने लिया है वह कहां से प्राप्त करना चाहता है और कैसे प्राप्त करना चाहता है, इसके लिए उसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाये और उसकी जिम्मेदारी परस्पर स्वीकृत मात्रा को उपलब्ध कराने तक ही सीमित रहे; (ख) खुश्की करारों की अवधि यथासम्भव छोटी हो, और वह जिस उत्पादन को मुहैया करता है उसकी कीमत उसे बाजार दर पर दी जाये।

स्मृतिपत्र में खंड 3 (1) में सुझाये गये (ख) और (ग) संशोधन उपर्युक्त कसौटियों पर खरे नहीं उतरते, इसलिए किसानों के दृष्टिकोण से वे पूर्ण रूप से अमान्य हैं।

अब मैं स्मृतिपत्र में खंड 3 (1) में प्रस्तावित संशोधन (क) पर आता हूं जिसमें तिनकठिया प्रथा को, चाहे वह पट्टे की शर्त के रूप में हो अथवा सट्टे या करारों से अस्तित्व में आई हो, 1920 तक बढ़ाने की बात कही गई है। यह प्रस्ताव अत्यंत खतरनाक है और इससे समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित तीन प्रमुख संस्थानों द्वारा दिया गया वचन भी भंग होता है। समिति की सिफारिश है कि इसे अक्तूबर 1917 से समाप्त कर देना चाहिए और इस पर कार्रवाई की जा चुकी है। अब यदि चम्पारण के नील-उत्पादकों का, जिन्होंने स्मृतिपत्र पर हस्ताक्षर किये हैं, प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाये तो इससे घाव फिर हरा हो जायेगा और इसके अकल्पनीय परिणाम होंगे। वास्तव में प्रस्ताव का अभिप्राय समिति की रिपोर्ट और उसके आधार पर की गई सरकारी घोषणा के प्रभाव को बेकार करना है। इस प्रथा को जारी रखने का मुख्य कारण यह बताया जाता है कि नील-उत्पादक बीज ले चुके हैं और वे नील की अगली फसल बोने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। किंतु यह नहीं भूलना चाहिए कि वे खुश्की की प्रथा का आश्रय ले सकते हैं और वे बीज, यंत्रों तथा अन्य सब वस्तुओं का उपयोग उसके अंतर्गत कर सकते हैं। यह सच है कि वास्तविक खुश्की प्रथा से किसानों पर उनका प्रभुत्व उतना न रहेगा, जितना सट्टे से रहता है और न उन्हें उतना भारी लाभ ही होगा जितना अब तक होता रहा है। किंतु उन्हें न्याय की दृष्टि से इस तरह की एक पक्षीय सुविधाएं लेने का अधिकार कभी नहीं था। हम चाहे कैसे ही सोचें इस प्रथा को जारी रखने का औचित्य सिद्ध करना कठिन है।

रही खंड 3 (1) के संशोधन (ग) की बात, जिसमें इस बाध्यता को पेशगी की वापसी तक जारी रखवाने का प्रयत्न किया गया है। मुझे यह देखकर दुख होता है कि राजस्व निकाय भी उसके जाल में फंस गया है। क्षण भर विचार करने से ही मालूम हो जायेगा कि यदि यह बाध्यता इस प्रकार जारी रखी गई तो उसे अनंतकाल तक जारी रखना पड़ सकता है, उससे किसान परेशान किये जा सकते हैं और बहुत-से मुकदमे खड़े हो सकते हैं। तब यदि नील-उत्पादक चाहेगा तो किसान से पेशगी कभी वापस ही न मांगेगा और तब संभव है, भोला किसान सदा गुलामी में ही जकड़ा रह जाये। मुझे आशा है कि यह दलील न दी जायेगी कि नील-उत्पादकों को पेशगी की वापसी का भरोसा होना चाहिए। वस्तुतः उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है। किसान उनके आसामी हैं और उन पर उनका अधिकार होता है जिसके बल पर वे किसी भी देनदारी को उनसे वसूल कर सकते हैं। इसलिए मुझे यह कहना पड़ता है कि प्रस्तावित संशोधन इस अनिष्टकारी प्रथा को ज्यादा-से-ज्यादा दिन तक जारी रखने की एक चाल-मात्र है। यदि उक्त संशोधन स्वीकार कर लिया गया तो इससे प्रस्तावित विधान का सांत्वनाप्रद प्रभाव लगभग नष्ट हो जायेगा और चम्पारण में आग भड़क उठेगी।

खंड 4 (शरहबेशी) में प्रस्तावित संशोधन : इस खंड के सम्बंध में पहला संशोधन सिरनी संस्थान के प्रबंधक द्वारा किये गये आवेदन पर आधारित है। किंतु यह संशोधन जिस रूप में है, उसमें कहा गया है कि कमी की दर के प्रश्न पर न केवल सिरनी के संबंध में, बल्कि जलहा तथा मोतीहारी के संस्थानों के संबंध में भी पुनर्विचार किया जाये। इस मामले पर पुनर्विचार का कोई भी कारण नहीं है। मोतीहारी संस्थान के मैनेजर श्री इरविन समझौते में शामिल थे। जहां तक सिरनी के प्रश्न का संबंध है, मैं नहीं जानता कि मैं जांच-समिति के रुख की व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र भी हूं। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि जांच-समिति को मामला पुनः सौंपे बिना उन अंकों पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे उस सुचिंतित समझौते के परिणाम हैं जो केवल समिति और नील-उत्पादकों का ही समझौता नहीं है, बल्कि उन विभिन्न हितों का भी समझौता है जिनका स्वयं समिति में प्रतिनिधित्व था। समझौता एक पूरी चीज और अखंड है और पूरी चीज को भंग किये बिना उसके एक अंश को भंग नहीं किया जा सकता। यह सच नहीं है कि श्री बायन (सिरनी संस्थान के मालिक।) जैसा उन्होंने अपने आवेदन में कहा है, गवाही देने के लिए बुलाये गये या उन्हें अपना वक्तव्य दर्ज कराने का अवसर नहीं दिया गया। सब लोगों के लिए आम सूचना निकाली गई थी कि यदि वे कोई गवाही देना चाहें तो अपना वक्तव्य भेज दें; वह उन पर भी लागू होती थी। इतना ही नहीं, बल्कि समिति की रिपोर्ट में उनसे यह दिखाने के लिए खासतौर पर कहा

गया था कि शरहबेशी में किस दर से कमी की जाये? इसका निश्चय मुख्यत: इस बात को ध्यान में रख कर न किया जाना चाहिए कि शरहबेशी किस दर से की गई थी। जो दलील इस मामले में लागू होती है वही आमतौर पर जलहा के मामले में भी लागू होती है।

खंड 4 (2) में संशोधन : एक मुद्दा ऐसा है जिस पर चम्पारण के नील-उत्पादकों के स्मृतिपत्र से सहमत होना सम्भव है। वह यह है कि इस विधेयक के अंतर्गत जो लगान निश्चित किया जाये वह अंतिम तथा अनिवार्य हो। यह उचित है। किंतु जो भी संशोधन किया जायेगा उसमें अनियमितता तथा अधिकार पत्र के उल्लंघन की बिना पर अपील करने का अधिकार सावधानी से सुरक्षित करना होगा।

विधेयक का खंड 5 : मैं इस आशय का संशोधन भेज ही चुका हूं कि इस खंड में से 'अपने पट्टे की जमीन पर या उसके किसी भाग पर लगाई गई' शब्द निकाल दिये जायें। तिनकठिया पर विचार करते हुए इस पत्र के पूर्व भाग में मैं बता चुका हूं कि खुश्की करार में किसान की जमीन का उल्लेख क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

चम्पारण के नील-उत्पादकों ने स्मृतिपत्र द्वारा इस खंड में दो संशोधन प्रस्तावित किये हैं।

पहला यह है कि धारा (1) में 'तीन' शब्द के स्थान में 'पांच' शब्द कर देना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो सट्टे की अवधि केवल तीन वर्ष की नहीं, बल्कि पांच वर्ष की कर दी जाये। सच्चाई यह है कि तीन वर्ष की अवधि भी रियायत के रूप में रखी गई है। खुश्की करार की अवधि यथासम्भव छोटी होनी चाहिए। स्मृतिपत्र में लम्बी अवधि के सट्टों की समाप्ति के प्रस्ताव पर खेद प्रकट किया गया है और इस बात को भुला दिया गया है कि समिति के सामने साक्षी देने वाले किसी भी नील-उत्पादक ने लम्बी अवधि के सट्टों के समर्थन करने का साहस नहीं किया था और उनमें से कुछ ने तो यहां तक कहा था कि वे सट्टों को लागू नहीं करते। गन्ने के सट्टों के बारे में भी गॉर्डन कैनिंग (पुरसा संस्थान के प्रबंधक) ने कहा था कि जब उन्होंने गन्ना बोना प्रारम्भ किया था तब सट्टे किये गये थे; किंतु वे लागू नहीं किये गये थे, इसलिए उन्हे रद्द समझा जाये।

स्मृतिपत्र में एक अन्य सुझाव यह है कि किसान इस बात को सदा बहुत ज्यादा पसंद करेंगे कि उन्हें माल की तोल या कूत की अपेक्षा जमीन, जिसमें निर्दिष्ट फसल बोई गई हो, के रकबे के आधार पर एक बंधी दर से दाम दिया जाये। यह मेरे अनुभव के प्रतिकूल है। यह समझ लेना चाहिए कि इस संबंध में भी अन्य बातों की तरह वास्तविक उद्देश्य तिनकठिया को पुनर्जीवित करना ही है।

■■■

सौ साल पहले बयान देने वाले पीड़ित लेकिन संघर्ष के लिए निकले निर्भय किसान परिवारों के वंशजों ने पिछले 100 वर्षों में क्या खोया व क्या पाया? 1917 में अनेक ऐसे किसानों ने बयान दिया था जिनकी रैयती जमीन अंग्रेज कोठी वालों ने छल से ले ली थी। क्या उन पूर्वजों के वंशज में भी कोई आज भूमिहीन या पर्चाधारी है? यह सब जानने-समझने से वह इतिहास परत दर परत खुलेगा, जो चंपारण की 'स्मृतियों' में जिंदा 'गांधी, उनके 'सत्याग्रह' की संकल्पना-स्ट्रैटजी की सफलता-विफलता और प्रासंगिकता आदि से जुड़ा है। और, यह सिर्फ चंपारण या बिहार के नहीं, बल्कि पूरे देश के किसानों के लिए प्रासंगिक हो सकता है। खास कर कपास जैसे कैश क्रॉप से जुड़े कर्ज और घाटे की खेती के कारण जिन किसानों की जान सांसत में है और जो आत्महत्या की अटूट कतार में खड़े रहने को मजबूर हैं! (सौ साल पहले चंपारण में 'नील' कैश क्रॉप था न!)

सौ साल पहले जिस चंपारण ने देश को आजादी की नयी राह दिखाई थी, वह आज आजाद देश की विकास-यात्रा की राह में कितना आगे बढ़ा या कितना पीछे रह गया?